खण्ड २—अंक ३९

१८ अप्रैल, १९५५ (सोमवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha
(Session IX)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

87 LSD

विषय-सूची

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

(खंड २—अंक २१ से ४० —२३ मार्च से १९ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ से १३७३, १३७४, १३७७, १३७९ से १३८१, १३८६, १३८८, से १३९०, १३९२, १३९३, १३९६, १३९७, १३९९, १४००, १४०३, १४०४, १४०६, १४०७, १४०९, १४१३ से १४१५, १४१७, १४१८ और १४२१ . १५८७—१६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७४, १३७६, १३७८, १३८२ से १३८५, १३८७, १३९१, १३९४, १३९८, १४०१, १४०२, १४०५, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६, १४१९ और १४२० १६३०—१६४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४२३ . . १६४५—१६५०

अंक २२— गुरुवार, २४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४२२—१४३५, १४३८, १४४१, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५३, १४६४, १४६७, १४६८, १४७०, १४७१ . . . . १६५१—१६९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४३६, १४३७, १४३९, १४४०, १४४३, १४४५, १४४७, १४४९, १४५१, १४५२, १३६४, १४६६, १४७२–१४७७ १६९९—१७१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ से ४२७ . . . १७१०—१७१४

अंक २३ — शुक्रवार, २५ मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७८, १४७९, १४८०, १४८१, १४८३ से १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १४९९, १५०१, १५०४, १५०७, १५०८, १५१० से १५१३, १५१५ से १५१७, १५२१ से १५२३, १५२५, १५२७, १५३०, १५३१, १५३३ और १५३५ . . . १७१५—१७६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८६, १४८६, १४६३, १४६५, १४६७, १५००, १५०२, १५०३, १५०५, १५०६, १५०६, १५१४, १५१८ से १५२०, १५२४, १५२६, १५२८, १५२६, १५३४ और १५३६ से १५३८ . . . १७६१—१७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४६० १७७४—१८०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८०२

अंक २४—सोमवार, २८ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ से १५४१, १५४३ से १५५०, १५५२, १५५४, १५५५, १५५७ से १५६०, १५६२, १५६४, १५६८, १५६६, १५७१से १५७७, १५७६, १५८०, १५८२, १५८५ से १५८८ . १८०३—१८५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५४२, १५५१, १५५३, १५५६, १५६३, १५६५ से १५६७, १५७०, १५८१, १५८३, १५८४ . . . १८५०—१८५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ४६८ . . १८५७—१८६२

अंक २५— मंगलवार, २६ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६, १५६२, १५६४ से १६००, १६०२, १६०७, १६११ से १६१३, १६१५, १६१७, १६१६ से १६२१, १६२४ से १६२८, १६३० से १६३५, १६३८, १६४०, १६४२ से १६४८ और १६५० . . १८६३—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३, १६०१, १६०३ से १६०६, १६०८, १६०६, १६१४, १६१८, १६२३, १६२६, १६३६, १६३७ और १६३६ . . . . . १६१५—१६२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४८४ १६२३—१६३४

अंक २६—बुधवार, ३० मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ से १६५६, १६६४ से १६६६, १६६८, १६७० से १६७४, १६७७, १६७८, १६८०, १६८२, १६८६, १६८६ से १६६५ और १६६७ से १७०५ . . १६३५—१६८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १६६३, १६६७, १६६६, १६७५, १६७६, १६७६, १६८१, १६८३ से १६८५, १६८७, १६८८, १६६६, १७०६ से १७१० और १७१२ से १७२२ . . १६८१—२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४६० और ४६२ से ५१६ २०००—२०२२

अंक २७—गुरूवार, ३१ मार्च १९५५

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ से १७२७, १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४४, १७४५, १७४७ से १७५२, १७५४, १७५५, १७७०, १७५७ और १७५८ से १७६६ . . २०२३--२०७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७३६, १७३९ से १७४१, १७४३, १७४६, १७५३, १७५६, १७६७ से १९६९ १७७१, और १७७२ . . . . . २०७१--२०७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० से ५२३, ५२५ और ५२६ . २०७८--२०८२

अंक २८— शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४, १७७८, १७८०, १७८६, १७८९, १७९०, १७९२—१७९४, १७९६, १७९७, १७९९—१८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२—१८२४, १८२६—१८२८, . २०८३--२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६, १८१८, १८२०, १८२५. १८२९ . . . . . २१३३—२१४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७—५३७. . . २१४१—२१४

अंक २९-- सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ से १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९--२१९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२००—२२०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शद्धि . . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५, १८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५, १८०१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६, १८९० और १८९३ से १८९९ . . . . २२०५—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—२२५

अंक ३०— मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

मौखिक उत्तर के प्रश्न —

तारांकित प्रश्न संख्या १९००—१९०४, १९०६, १९०७, १९०९, १९१०, १९१३, १९१६, १९१८, १९२०, १९२१, १९२४—१९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५—१९३९, १९४१, १९४२, १९४४—१९५०, १९५३ . . . २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७, १९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०, १९४३, १९५१, १९५२, १९५४–१९५९ . . . २२९७—२३०८

अतारांकित प्रश्न सख्या ५७६, ५७७, ५७९—५९४, ५९७—६०२ . २३०८—२३२४

अंक ३१— बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२, १९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९ से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६ और २००८ से २०१० . . . . २३२५—२३७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३ १९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ . . . २३७०–२३७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ . . . . २३७७–२३७८

अंक ३२— बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०१३, २०१५–२०१७, २०१९, २०२२, २०२३, २०२५, २०२६, २०२८, २०३०, २०३३–२०३५, २०३७, २०३९—२०४२, २०४४, २०४५, २०४७–२०५३, २०५६, २०५९–२०६५, २०६७ . . २३८९—२४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०११, २०१२, २०१८, २०२०, २०२१, २०२४, २०२७, २०२९, २०३१, २०३२, २०३६, २०३८, २०४३, २०५४, २०५५, २०५७, २०५८, २०६६, २०६८—२०७१. . २४३५—२४४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२०—६५५ . . . . २४४६—२४७०

अंक ३३—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०७७, २०७९ से २०८१, २०८५, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३. २०९४, २०९६, २०९७ और २०९०. . . . . २४७१—२५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तेर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११०. . . २५०५—२५१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२. . . . २५१२—२५३०

अंक ३४—सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१११ से २११४, २११८, २१२०, २१२३, २१२५, २१२९, २१३०, २१३२, २१३३ से २१३५, २१३८, २१३९, २१३९—क, २१४०, २१४१, २१४३ से २१५९ . . २५३१—२५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८३, १९८८, २००७, २११५ से २११७, २११९, २१२१, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३१, २१३६, २१३७, २१४२. . . . . २५७९—२५८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ से ७१६. . . . २५८९—२६१०

अंक ३५—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६० से २१६३, २१६५, २१६६, २१६८, २१६९, २१७१, २१७४, २१८० से २१८४, २१८६, २१८७, २१८९, २१९२ से २१९४, २१९६, २१९८, २२०० से २२०२, २१७६, २१७८, २१६७ और २१९०. . . २६११—५०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७— . . . २६५०—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६४, २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७७, २१७९, २१८५, २१८८, २१९५, २१९७, २१९९ और २२०३ . . . . . २६५३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७७८ . . . . २६५९—९६

अंक ३६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ से २२०८, २२१० से २२१५, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२९ और २२३४ से २२४३ २६९७—२७३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०९, २२१६ से २२१८, २२२०, २२२२, २२३० और २२३२ . . २७३५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८०७ . . . . २७४०—५८

अंक ३७—शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४४, २२४८, २२५१, २२५२, २२५६, २२५९, २२७६, २२६१, २२६२, २२६५, २२६६, २२६८, २२७०, २२७१, २२७२ से २२७४, २२७७ से २२७९, २२८१ से २२८४, २२५५, २२५८, २२६३, २२६९, २२५३ और २२८० . . २७५९—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४७, २२४९, २२५०, २२५४, २२६०, २२६४, २२६७ और २२७५ . . २७९८—२८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८१६ और ८१८ से ८२९ . . २८०२—१४

अंक ३८— शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८६ से २२८८, २२९२, २२९४, २२९६ से २२९८, २३००, २३०२ से २३०४, २३०६, २३१०, २३१३ से २३१५, २३१७, २३१८, २३२१, २३२२ और २२९९ २८१५—४१

तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि २८४१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २८४१—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८५, २२८९, २२९० से २२९३, २२९५, २३०१, २३०५, २३०७ से २३०९, २३११, २३१२, २३१६, २३१९, २३२० और २३२३ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८७० . . . . २८५४—७८

अंक ३९—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २८७९

प्रश्नों के मौत्तिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२५, २३२७, २३२८, २३३० से २३३९, २३४१, २३४४ से २३४६, २३४९, २३५१, २३५३ से २३५५, २३५७ से २३५९, २३६२ और २३६४ . . .२८७९—२९११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२४, २३२६, २३२८, २३२९, २३४०, २३४२, २३४७, २३४८, २३५०, २३५२, २३५६, २३६०, २३६१ और २३६३. . . . . २९११—२९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८८५ . . . . २९१७—२९२६

अंक ४०—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ से २३७०, २३७२ से २३७६, २३८० से २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९३, २३९७ . २९२७—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३७१, २३७७ से २३७९, २३८५, २३९१, २३९४, २३९५, २३९८ . . . . . २९५७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ से ९०१, ९०३ से ९०८ . २९६२—७२

खंड २ की अनुक्रमणिका . . . . . १—१८९

लोक सभा

सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री वीर किशोर रे [कटक (उड़ीसा)]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इटली के मिशन

*२३२५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में इटली के कितने मिशन स्थापित हो चुके हैं; और

(ख) वे किन किन स्थानों पर स्थित हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख). स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् भारत में इटली के सात मिशन अथवा उनकी शाखायें खोली जा चुकी हैं : छः बम्बई में और एक राजस्थान में।

श्री डी० सी० शर्मा : प्रकट रूप मे वे क्या कार्य कर रहे हैं ?

श्री आबिद अली : वे शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा कर रहे हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार को कोई सूचनायें मिली हैं कि वे धर्म परिवर्तन के कार्य में व्यस्त हैं ?

श्री आबिद अली : जी हां, बहुत सी सूचनायें मिली हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : इस तथ्य को सामने रखते हुए कि समाचार पत्रों में संवाद प्रकाशित हुए हैं कि यह धर्म प्रचारक भारतीयों का बल-पूर्वक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री आबिद अली : इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने बताया है कि वे चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि इटली के इन धर्म प्रचारकों ने कितने हस्पताल खोले हैं और उनमें कितने रोगियों के लिये स्थान हैं ?

श्री आबिद अली : पूर्वसूचना।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यह संस्थायें इटली से कितने व्यक्ति लाई हैं और उन में से कितने व्यक्ति ईसाई मत का प्रचार कर रहे हैं ?

श्री आबिद अली : इस प्रश्न के लिये भी मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

श्री एम० डी० जोशी : किस क्षेत्र में उनकी गतिविधियां चल रही हैं ?

श्री आबिद अली : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं छः बम्बई में और एक राजस्थान में।

श्री एम० डी० जोशी : दोनों राज्यों के किन विशेष क्षेत्रों में ?

श्री आबिद अली : बम्बई में एक शाखा जिस का नाम बुक स्टाल है बम्बई शहर में मीडो स्ट्रीट के ऐग्जामीनर-प्रैस कार्नर के साथ ही है; बम्बई के निकट वील-पार्ले, चेम्बुर में सेंट ऐंथोनी कान्वेंट; चेम्बुर में एक और शाखा

और बम्बई के निकट सायन और बन्द्रा में एक एक शाखा है। राजस्थान की धर्म प्रचारक संस्था डुंगरपुर जिले में स्थित है।

सहायक छात्र सेना

*२३२७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक छात्र सेना की गतिविधियों और प्रगति को बढ़ाने के हेतु रक्षा और शिक्षा मंत्रालयों में समन्वय करने के लिये एक अन्तर्मंत्रालय समिति बनाई गई है ;

(ख) सहायक छात्र सेना के कार्य शिविर लगाने के लिये १९५४–५५ में कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) किन-किन स्थानों पर शिविर लगाये गये ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) ८,८७,६०० रु०।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें उन स्थानों के नाम दिये गये हैं जहां यह शिविर लगाये गये थे। [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १]

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से पता चलता है कि ५५ शिविर लगाये गये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि उनमें से कितने सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार खंड क्षेत्रों में लगाये गये थे ?

श्री सतीश चन्द्र : इनमें से बहुत से सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्रों में लगाये गये थे। जिन स्थानों पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड नहीं थे वहां यह शिविर अन्य ग्रामों में लगाये गये थे।

श्री एस० सी० सामन्त : इस ८,८७,६०० रु० की राशि में राज्य सरकारों ने कितना अंशदान दिया ?

श्री सतीश चन्द्र : यह राशि हमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा उस राशि में से दी गई है जो कि उन्हें युवकों के शिविरों के लिये आवंटित की गई है।

श्री एस० सी० सामन्त : इन छात्रों ने सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में किस प्रकार का कार्य किया ?

श्री सतीश चन्द्र : सड़कों और पानी के नालों का निर्माण, बांधों की मरम्मत, ग्रामों के तालाबों की रेत साफ करना, खेल के मैदानों को समतल बनाना, ग्रामों के आस पास जहां पानी जमा हो वहां मिट्टी डाल कर उसे भरना इत्यादि।

शिक्षण संस्थाओं को सहायता

*२३२८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सहायता प्राप्त ऐसी कितनी संस्थायें हैं जहां धार्मिक शिक्षा अथवा किसी धर्म विशेष के धार्मिक ग्रन्थों की शिक्षा दी जाती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : इस विषय का ताल्लुक राज्य सरकारों से है। भारत सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। केन्द्रीय सरकार किसी धार्मिक संस्था को अनुदान नहीं देती है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि आप अलीगढ़ यूनीवर्सिटी को और बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी को धार्मिक शिक्षा के लिये सहायता देते हैं या नहीं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : नये ऐक्ट के मुताबिक इन दोनों यूनीवर्सिटियों में मजहबी तालीम कम्पलसरी नहीं है।

नौ सेना जहाज़ों के दौरे

*२३३०. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रक्षा मंत्री उन देशों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनके नौ सेना जहाज़ वर्ष १९५३

और १९५४ में सद्भावना प्रकट करने के लिये भारत आये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :
१९५३—इंगलैंड, फ्रांस और अमरीका।
१९५४—नीदरलैंड, श्री लंका, स्वीडन, अमरीका, मिस्र, यूगोस्लाविया।

निरुद्ध विदेशी

***२३३१. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३, १९५४ और २८ फरवरी १९५५ तक निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत कितने विदेशियों को निरुद्ध किया गया और वे किन किन राष्ट्रों के थे; और

(ख) क्या मंत्रणा बोर्ड ने उनके मामलों का पुनरावलोकन किया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २]**

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : निरोध के क्या कारण थे ? क्या कोई प्रमाण मिला था कि वे गुप्तचर थे ?

श्री आबिद अली : मैं निरोध के कारण नहीं बता सकूंगा।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या वे व्यक्ति अब भी निरुद्ध हैं जिनके मामलों का मंत्रणा बोर्ड ने पुनरावलोकन किया था ?

श्री आबिद अली : एक तिब्बती देश से जा चुका है, उसे रिहा कर दिया गया था। तीन जर्मन व्यक्तियों को भी रिहा कर दिया गया है उनमें से एक जा चुका है और शेष दो व्यक्ति जाने वाले हैं। बर्मा के व्यक्तियों के बारे में विवरण में जानकारी दी गई है।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या कोई मामले भारत के उच्चतम न्यायालय के सामने लाये गये थे ?

श्री आबिद अली : इस बारे में मैं नहीं जानता।

श्री एन० एम० लिंगम : जिन जर्मन व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया था वे पूर्व जर्मनी के थे या पश्चिमी जर्मनी के ?

श्री आबिद अली : यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

डा० रामा राव : विवरण में बताया गया है कि निरुद्ध किये गये जर्मन व्यक्तियों में से दो स्त्रियां थीं। उन्हें क्यों निरुद्ध किया गया और शीघ्र ही क्यों रिहा कर दिया गया ?

श्री आबिद अली : मैं पहले ही बता चुका हूं। मैं इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं बता सकता कि उन्हें और निरुद्ध रखना आवश्यक नहीं समझा गया था।

इक्केरी में अघोरेश्वर मन्दिर

***२३३२. श्री वोडयार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि जिला शिमोगा (मैसूर राज्य) में इक्केरी में बने हुए "अघोरेश्वर मन्दिर" को मरम्मत की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में आवश्यक कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). सरकार स्वयं जानती है कि मन्दिर को थोड़ी बहुत मरम्मत की आवश्यकता है और मरम्मत करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री वोडयार : क्योंकि भारत की वास्तु-कला के इतिहास में इस मन्दिर का एक भव्य परिच्छेद है अतएव क्या सरकार भारत के

महान प्रशासकों में से एक श्री शिवप्पा नायक द्वारा बनाये गये इस मन्दिर के सांस्कृतिक सौन्दर्य का पुननिर्माण करेगी ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग का काम मन्दिर को इसकी वर्तमान हालत में रखना है ।

लेखे से लेखा-परीक्षा अलग करना

*२३३३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन राज्यों ने लेखे से लेखा परीक्षा अलग करना स्वीकार कर लिया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने दो विभागों में लेखे से लेखा-परीक्षा अलग करने का काम आरम्भ करना स्वीकार कर लिया है । नियन्त्रक महालेखा परीक्षक अन्य राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार कर रहे हैं ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या दूसरी सरकारों की ओर से कोई सूचना मिली है या नहीं कि इस तरह की देरी क्यों हो रही है ?

श्री एम० सी० शाह : पश्चिमी बंगाल सरकार के अतिरिक्त हमें किसी की राय मालूम नहीं हुई है ।

श्री राघेलाल व्यास : क्या इस बारे में मध्य भारत सरकार के विचारों का पता चला है ?

श्री एम० सी० शाह : जहां तक मुझे ज्ञान है, नहीं ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : बिहार सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई विचार भेजा गया है ?

श्री एम० सी० शाह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने इन्हें अलग कर दिया है और दूसरी सरकारों के बारे में पत्र व्यवहार चल रहा है ।

आदिम जाति क्षेत्रों में स्कूल

*२३३४. **सरदार अकरपुरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो :

(क) क्या आदिम जाति क्षेत्रों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिये स्कूल खोलने का कोई विचार है ;

(ख) आदिम जाति क्षेत्रों में जनसाधारण की सामूहिक शिक्षा का प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) जन साधारण की शिक्षा के लिये आदिम जाति क्षेत्रों में क्या सुविधायें हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). इस विषय का सम्बन्ध प्रथमतः राज्य सरकारों से है ।

सरदार अकरपुरी : मैं जानना चाहता हूं कि आया ट्राइबल एरिया के लोगों में पहले से कोई तालीम का तरीका है या नहीं और अगर है तो कौन सा है ?

डा० एम० एम० दास : यह प्रश्न राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिये । यह राज्य सरकार का कर्तव्य है ।

मैसूर विश्वविद्यालय

*२३३५. **श्री एन० राचय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मैसूर विश्वविद्यालय के लिये कुछ वित्तीय सहायता स्वीकार की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि स्वीकार की गई है; और

(ग) यह किन योजनाओं के लिये स्वीकार की गई है ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ३१-३-१९५५ तक १,७५,००० रु० ।

(ग) एक विवरण जिसमें जानकारी दी गई है सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३]**

श्री एन० राचय्या : क्या सरकार को अधिक अनुदानों के लिये मैसूर विश्वविद्यालय का कोई अभ्यावेदन मिला है ?

डा० एम० एम० दास : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक और योजना पर विचार किया जा रहा है । वह प्रस्ताव मैसूर विश्वविद्यालय के लिये प्रयोगशालाओं का वैज्ञानिक सामान खरीदने के हेतु २,७५,००० रु० की अतिरिक्त धन राशि स्वीकार करने के लिये है । इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री एन० राचय्या : यह अनुदान किस मुख्य प्रयोजन के लिये दिये जाते हैं ?

डा० एम० एम० दास : पहले दिया गया अनुदान इस प्रयोजन के लिये था ।

प्रयोगशाला की पुस्तकें और विज्ञान विषयों की पत्रिकाओं को खरीदने के लिये ४०,००० रु० ।

मानव विज्ञान, सांख्यकी, विज्ञान विभागों के लिये वैज्ञानिक सामान खरीदने के लिये १,३५,००० रु० ।

श्री बासप्पा : क्या सरकार को विदित है कि स्थानीय विधान मंडल में इस बारे में एक विधेयक विचाराधीन है इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह राज्य का विषय है । इस बारे में विधान बनाना राज्य का काम है और केन्द्रीय सरकार इस बारे में निदेश नहीं देती ।

श्री शिवनंजप्पा: क्या चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के विस्तार के लिये कोई अनुदान दिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : जिस प्रयोजन के लिये अनुदान दिया गया था वह मैं बता चुका हूं ।

अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियां

***२३३६. श्री रनदमन सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त की वर्ष १९५३ के प्रतिवेदन के खंड २० की कंडिका १४ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 'इन्डीजीनस पीपुल्स' नामक पुस्तक में अनुसूचित आदिम जातियों के संबंध में वर्णित विभिन्न भूलों को ठीक करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय से प्रार्थना की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मार्च १९५४ के जनेवा के तत्तत् देशीय मजदूरों की समस्याओं के विशेषज्ञों की समिति के दूसरे अधिवेशन में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कमिशनर ने स्वयं इस विषय की ओर अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय का ध्यान दिलाया था और उन्होंने नामनिर्दिष्ट पुस्तक के अगले संस्करण में इन त्रुटियों के शोधन करने का वचन दिया है ।

श्री रनदमन सिंह: प्रार्थना के साथ मुख्य किन किन भूलों को सुधार करने की रिपोर्ट दी गई है ?

श्री आबिद अली : जिनके बारे में मेम्बर साहब ने सवाल में जिक्र किया है उन गलतियों के सुधार के बारे में यह बातचीत हुई थी ।

श्री रनदमन सिंह: क्या यह भी सत्य है कि इंडीजीनस पीपुल नामक किताब में उत्तर प्रदेश में कुछ आदिम जातियों

के होने का जिक्र किया गया है, परन्तु राष्ट्रपति के आदेशानुसार वे लोग आदिवासी होते हुए भी यू० पी० में आदिवासी नहीं माने गए हैं ?

श्री आबिद अली : वह किताब तो मैं ने नहीं पढ़ी है ।

विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को यात्रा सम्बंधी रियायतें

*२३३७. **डा० रामा राव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी अवकाश के दिनों में पर्यटन करने के लिए, किस अभिकरण के द्वारा, रेलवे तथा बसों के किरायों में ७५ प्रतिशत रियायतें प्राप्त कर सकते हैं; तथा

(ख) इन रियायतों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नियम तथा शर्तें हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) राज्य सरकारें तथा विश्व विद्यालय ही वे अभिकरण हैं, जिनके द्वारा शिक्षा मंत्रालय, विद्यार्थियों को युवक-पर्यटनों के लिए अनुदान देता है ।

(ख) शर्त यह है कि विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत पर्यटनों के लिए अनुदानों के लिए विश्वविद्यालय तथा कालिज अपने अपने विश्वविद्यालयों के द्वारा और स्कूलों के विद्यार्थी अपनी अपनी राज्य-सरकारों द्वारा आवेदन-पत्र भेजें ।

डा० रामा राव: साधारणतया, रेलवे यात्रा करने के लिए रेलवे प्रबन्धक, विद्यार्थियों को ५० प्रतिशत रियायत शीघ्र ही दे देते हैं । परन्तु आप विद्यार्थियों को यह रियायत अग्रिम धन के रूप में नहीं देते । उन्हें स्वयं अपना खर्च करना पड़ता है और आप बाद में उन्हें वह धन लौटा देते हैं । मंत्रालय, विद्यार्थियों को अग्रिम धन देने अथवा यदि धन बाद में भी देना है तो शीघ्रता से उसे अदा करने के सम्बंध में, क्या कर रहा है ?

डा० एम० एम० दास : इसके लिए मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

श्री वी० पी० नायर : शिक्षा मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में, गत वर्ष कुल कितनी राशि दी थी ? और कुल कितने विद्यार्थियों ने इस रियायत से लाभ उठाया है ?

डा० एम० एम० दास : कुल विद्यार्थियों के सम्बंध में तो मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है, परन्तु जहां तक कुल राशि का सम्बंध है, १९५४–५५ में यह ११७४ रुपये थी ।

श्री मुहीउद्दीन : क्या सरकार को ज्ञात है कि देश के विभिन्न भागों में, अपने आप को सांस्कृतिक संस्थाएं कहने वाली बहुत सी संस्थाएं, सारे देश की यात्रा कराने के बहाने से विद्यार्थियों से रुपया इकट्ठा करती है, और उसके उपरान्त अदृश्य हो जाती हैं ?

डा० एम० एम० दास: इस मामले का सम्बंध राज्य सरकारों से है ।

रक्षा मुख्यालय भवन

*२३३८. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार का, रक्षा मुख्यालय के लिए एक नये भवन के निर्माण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कहां पर निर्मित किया जाएगा;

(ग) इस पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा; तथा

(घ) कार्य कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां

(ख) किचनर रोड के उत्तर और विलिंगडन क्रैसैन्ट के पश्चिम में एक ऐसे

स्थान पर जो कि किचनर रोड से तालकटोरा बाग तक फैला हुआ है।

(ग) चार करोड़ रुपया।

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त में किसी समय, यह कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

डा० राम सुभग सिंह : इस नये भवन निर्माण का कारण क्या यह है कि पहले भवन में स्थान की कमी के कारण अनेकों असुविधायें थीं, अथवा इसका कोई और कारण है ?

डा० काटजू : इसका निर्णय किए हुए तो कई वर्ष बीत चुके हैं। इस नये भवन के निर्माण का उद्देश्य यह है कि इसमें न ही केवल रक्षा मंत्रालय तथा इससे सम्बद्ध वित्तीय कार्यालयों और सेना मुख्यालयों को ही स्थान दिया जा सके अपितु सेना मुख्यालय के अधीन काम करने वाली उन २३ यूनिटों को भी स्थान दिया जा सके जो कि इस समय ऐसी हटमैन्टों में बसे हुए हैं जो कि बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, और उन पर हमारा अत्यधिक खर्च आ रहा है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार ने इनमें से कुछ एक कार्यालयों को देहरादून तथा अन्य स्थानों के उन प्रतिरक्षा-भवनों में स्थापित करने के विषय में कोई प्रयत्न किया है, जो खाली पड़े हुए हैं ?

डा० काटजू : उसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं, परन्तु उचित यही है कि ये सभी कार्यालय इकट्ठे एक ही स्थान पर स्थापित हों, ताकि सुविधा हो सके।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की गयी है कि इन हटमेंट्स में ही कुछ सुधार अथवा संशोधन करने के बाद यह दफ्तर वहीं क्यों न बना लिया जाय, बजाय इसके कि एक अलग से इसके लिए बिल्डिंग बनाई जाए ?

डा० काटजू : इंजीनियर साहबान यह कहते हैं कि इन पुराने हटमेंट्स को जिन्दा रखने में जितना खर्च आयेगा उससे कम खर्च में एक दूसरी बिल्डिंग बन जायगी।

श्री वी० पी० नायर : क्या चार करोड़ के इस भवन का निर्माण-कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा, अथवा यह ठेकेदारों को प्रतियोगीय दरों पर दे दिया जाएगा ?

डा० काटजू : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यह तो आवास मंत्रालय का काम है। वे इसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या इस निर्माण कार्य में सैनिक इंजीनियरिंग सेवा का कोई सम्बन्ध न होगा ?

डा० काटजू : इसके लिए पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

सैनिक परिचर्या सेवा

*२३३९. **श्री के० सी० सोधिया**: क्या रक्षा मंत्री निम्नलिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) सैनिक परिचर्या सेवा की सभी श्रेणियों के लिए कुल कितनी पदालियों की मंजूरी दी गयी है ;

(ख) इस समय प्रत्येक पदाली में वास्तव में कितने कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या इस सेवा में कोई अल्पकालीन सेवा की नियमित कमीशन प्राप्त पंक्ति भी है; तथा

(घ) इसकी विभिन्न पदालियों में किस प्रकार से भर्ती की जाती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४]

श्री के० सी० सोधिया : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि पदालियों की वास्तविक संख्या ५५३ है जब कि कुल ७९७ पदालियों

की मंजूरी मिली हुई है। इस इतने भारी अन्तर का कारण क्या है ?

सरदार मजीठिया : उपयुक्त पदाधिकारियों और परिचारिकाओं का अभाव।

श्री के० सी० सोधिया : वेतन तथा प्रतिष्ठा की दृष्टि से स्थायी और अस्थायी नौकरी में क्या अन्तर है ?

सरदार मजीठिया : वेतन में कोई अन्तर नहीं।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इन परिचारिकाओं को अग्रेतर प्रशिक्षण देने के लिए अथवा प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कोई संस्थाएं स्थापित की हैं ?

सरदार मजीठिया : हां, श्रीमान्। हमने एक श्रेणी प्रारम्भ की हुई है जिसमें हर वर्ष ३० परिचारिकाएं प्रविष्ट की जाती हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और अन्ततः नौकरी पर लगा लिया जाता है।

डा० रामा राव : क्या मंत्री महोदय के विवरण से हम यह समझें कि शेष १२२ परिचारिकाएं हम प्राप्त नहीं कर सकते ? ३०० परिचारिकाओं की मंजूरी है जब कि वास्तव में केवल १७८ लगाई हुई हैं। क्या शेष १२२ परिचारिकाएं मिल ही नहीं सकतीं ?

और इस विवरण में एक और पद भी है— वह है सहायक-परिचर्या-सेवा। मंजूर की गयी सूची में यह सम्मिलित नहीं है, परन्तु आपकी सूची में सम्मिलित है। क्या मैं इसके कारण जान सकता हूं ?

सरदार मजीठिया : जहां तक इस प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, हम अस्थायी परिचर्या सेवा और असैनिक सेवाओं में से भर्ती कर के इस कमी को पूरा कर रहे हैं। परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि हमें अपनी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए सर्वोत्तम व्यक्तियों को चनना है। और एक और बात यह है कि इन सभी स्थानों को सीधी भर्ती द्वारा हम नहीं भर सकते, क्योंकि इससे पहले काम करने वाली परिचारिकाओं की स्तर-वृद्धि नहीं हो सकेगी।

जहां तक द्वितीय भाग का सम्बन्ध है, यह पदाली युद्धकाल में प्रारम्भ हुई थी— इसमें अप्रशिक्षित परिचारिकाएं हैं। अब हम इस पदाली को समाप्त कर रहे हैं।

अखिल भारतीय सेवायें

*२३४१. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९४७ से आज तक भारतीय प्रशासनीय सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा में कुल कितनी नियुक्तियां की गयी हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जानकारी इस प्रकार है :—

भारतीय प्रशासनीय सेवा	९१४
भारतीय पुलिस सेवा	५९०
भारतीय विदेश सेवा	१५०

श्री शिवनंजप्पा : इनमें से कितनों को राज्य पदाली से चुना गया है और कितनों को सीधी भर्ती द्वारा ?

श्री आबिद अली : इसके लिए पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

श्री शिवनंजप्पा : पिछड़ी हुई जातियों से कितने व्यक्ति लिए गए हैं ?

श्री आबिद अली : इस के बारे में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य है कि राज्य पदाली से ये संवरण, केवल राज्य सरकारों द्वारा रखे गए अभिलेखों और इन्टरव्यू पर ही आधारित थे ?

श्री आबिद अली : यह भी एक आधार था।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या किन्हीं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को भी चुना गया है ?

श्री आबिद अली : मैं ने पहले ही कहा है कि इसके सम्बन्ध में मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है।

गुणाधारित छात्रवृत्तियां

*२३४४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणाधारित छात्रवृत्तियां देने के लिए, प्रादेशिक संवरण समितियां, संवरण के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाती हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों के अंग्रेजी और हिन्दी के बुनियादी ज्ञान की लिखित परीक्षा ली जाती है । क्या यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए विघ्न स्वरूप न होती होगी, जो हिन्दी नहीं जानते ?

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य विवरण को पूरा पूरा पढ़ें तो उन्हें ज्ञात होगा कि किसी भी छात्र के गुणों की जांच करते समय उसके हिन्दी और अंग्रेजी की परीक्षा के फल को ही केवल ध्यान में नहीं रखा जाता ।

श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी : क्या सभासचिव का कहने का अर्थ यह है कि चुनाव करते समय हिन्दी-परीक्षा के परिणाम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता ? यदि हिन्दी की परीक्षा के परिणाम पर ध्यान देना ही नहीं था तो फिर चुनाव में हिन्दी परीक्षा को आधार बनाने का लाभ ही क्या है ?

डा० एम० एम० दास : बच्चे की मातृभाषा में एक मौखिक परीक्षा ली जाती है । अतः वे बच्चे जो हिन्दी अथवा अंग्रेजी नहीं जानते, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं उठानी पड़ती ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : छात्रवृत्ति के लिए किसी विद्यार्थी को तीन आधारों पर चुना जाता है । विवरण के अनुसार दूसरा आधार तो मौखिक परीक्षा है । यह ठीक है । परन्तु प्रथम आधार यह है कि क्या कोई अभ्यर्थी हिन्दी जानता है या नहीं, क्या वह हिन्दी की कोई लिखित परीक्षा दे सकता है या नहीं । क्या यह सत्य है कि किसी भी विद्यार्थी को चुनते समय इस आधार को अधिक महत्व दिया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : जैसे मैंने कहा है चुनाव करते समय इस परीक्षा के परिणाम को अधिक महत्व नहीं दिया जाता मैं विवरण की कण्डिका दो की ओर निर्देश करता हूं जिसमें यह लिखा है कि सामान्य विज्ञान और गणित की मौखिक परीक्षाओं के लिए, माध्यम के रूप में, विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार जैसे उसने अपने आवेदन पत्र में लिखा हो, अंग्रेजी, हिन्दी अथवा मातृभाषा इनमें से कोई भी भाषा अपना सकता है । विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी में प्राप्त किए गए अंक उनका चुनाव करते समय उनके कुल अंकों में जमा नहीं किए जाते ।

प्रविधिक तथा औद्योगिक संस्थायें

*२३४५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री ४ मई, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २२१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई प्रविधिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के पुनर्गठन की योजना के बारे में कोई अंतिम निर्णय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). मांगी गई सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६]**

श्री भक्त दर्शन: जो विवरण रक्खा गया है उससे मालूम होता है कि ८ नान युनिवर्सिटी टैकनिकल इन्स्टिट्यूशन्स और ३ और यूनिवर्सिटीज को सहायता देने के बारे में सिफारिश की गई है, लेकिन पिछले वर्ष बहुत कम रकम दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जितनी सिफारिश की गई थी, उतनी सहायता नहीं दी गई ?

डा० एम० एम० दास : उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे पास केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के लिए एक व्यापक योजना भेजी है। इस योजना में निम्नलिखित तीन बातें सम्मिलित हैं : (क) हारकूर्ट बटलर टेक्नालौजिकल संस्था, कानपुर को एक टेक्नोलोजिकल विश्वविद्यालय में बदल दिया जाए ; (ख) अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों और व्यापार-पाठ्यक्रमों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में बाईस गैर-विश्वविद्यालय प्रविधिक और औद्योगिक संस्थाएं विकसित की जाएं ; (ग) अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए तीन विश्वविद्यालय संस्थाएं विकसित की जाएं।

इनमें से जहां तक हारकूर्ट बटलर टैक्नोलौजिकल संस्था को टेक्नोलोजिकल विश्वविद्यालय में बदल देने का सम्बन्ध है, सरकार इस पर सोच विचार कर रही है। इसे विश्वविद्यालय में बदल देने की बात यद्यपि विचाराधीन है तथापि उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि इन संस्थाओं को एक उचित स्तर तक लाने के लिए इनका विकास करना पड़ेगा। अन्य संस्थाओं में से आठ ऐसी हैं जो कि व्यापारी पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण देती हैं। अतः उनका सम्बंध श्रम मंत्रालय से है न कि शिक्षा मंत्रालय से। इनमें से एक संस्था का सम्बंध रेलवे बोर्ड से है क्योंकि यह रेलवे बोर्ड द्वारा संधारित और प्रशासित की जाती है। शेष नौ अथवा दस में से आठ संस्थाओं के विकास के लिए उन्हें अनुदान दिया जाएगा।

श्री भक्त दर्शन : विवरण के अन्दर यह लिखा गया है कि अभी तक अन्य संस्थाओं के बारे में विचार किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इसका निर्णय हो जाएगा और कौनसी संस्थाएं हैं जिनके विकास के बारे में विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : कोई खास वक्त नहीं बतलाया जा सकता। बहुत सी बातों पर गौर करना पड़ता है। जब तमाम बातें साफ हो जाएंगी तो आखिरी फैसला होगा।

तेल और गैस डिवीजन

*२३४६. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा गैस डिवीजन में कब तक काम प्रारम्भ हो जाने की संभावना है;

(ख) तेल का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम देश का कौन सा भाग चुना जायेगा;

(ग) क्या इस डिवीजन का संचालन भारतीय कर्मचारियों द्वारा होगा, अथवा विदेशी शिल्पिक भी लगाये जायेंगे; और

(घ) क्या सरकार ने तेल का पता लगाने, जमीन खोदने इत्यादि के लिये आवश्यक उपकरण प्राप्त कर लिये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). इस डिवीजन के केन्द्रावार ने राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है ।

(ग) मुख्यत: इस डिवीजन का संचालन भारतीय कर्मचारियों द्वारा ही किया जायेगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर विदेशी विशेषज्ञ भी लगाये जायेंगे ।

(घ) तेल का पता लगाने के काम के लिये कुछ उपकरण तथा औज़ार उपलब्ध हैं । तेल का पता लगाने तथा जमीन खोदने के लिये अपेक्षित उपकरण काफी संख्या में प्राप्त किये जा रहे हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : इस काम को सर्व-प्रथम उन भागों में प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं, जहां पूर्व ही वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण द्वारा यह बताया गया है कि यहां तेल होने की संभावना है ।

श्री के० डी० मालवीय : कुछ क्षेत्र स्टेन्डर्ड वेकुअम आयल कम्पनी को दिये जा चुके हैं । वह हमारे साथ मिलकर इस काम को कर रही है। हम नये स्थान मालूम करना चाहते हैं और इसीलिये राजस्थान में यह काम किया जा रहा है ।

श्री एन० बी० चौधरी: ऐसी अवस्था में जब कि पश्चिमी बंगाल के बड़े क्षेत्रों में तेल का पता लगाने के सम्बन्ध में स्टैन्डर्ड वेकुअम आयल कम्पनी का जिसका अभी उल्लेख किया गया, हमारे साथ जब एक प्रकार का करार हो चका है, क्या सरकार उससे शिल्पिक सहायता लेने का विचार करती है ?

श्री के० डी० मालवीय : हम इस सम्बन्ध में सारे उपयुक्त कार्य कर रहे हैं कि किसी प्रकार भी चाहे स्टैन्डर्ड वेकुअम आयल कम्पनी के द्वारा अथवा अन्य विदेशी विशेषज्ञों द्वारा या हमारे विशेषज्ञों द्वारा हमारे लोग इन चीजों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें ।

श्री जोकीम आल्वा : तेल का पता लगाने का जो कार्य विदेशी समवायों को सौंपा गया है, उस सम्बन्ध में क्या भारतीय लोग तेल का पता लगाने तथा जमीन खोदने की प्रत्येक अवस्था में साथ रखे जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: हां, श्रीमान् । वे समवाय अपने काम के लिये भारतीय शिल्पिकों तथा अन्य लोगों को जो शिल्पिक नहीं होते हैं को भी अपने साथ रखते हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी: क्या यह सच है कि जब पश्चिमी बंगाल में वायु चुम्बकीय सर्वेक्षेण चल रहा था, यद्यपि कुछ भारतीय कर्मचारी स्टानवाक कर्मचारियों के साथ साथ काम कर रहे थे,किन्तु वास्तविक सर्वेक्षण कार्य करते समय सर्वेक्षण के जो परिणाम निकले अथवा जो लक्षण मालूम हुए, वे उनको नहीं बताये गये ।

श्री के० डी० मालवीय : मैं ऐसी किसी शिकायत से अवगत नहीं हूं ।

आयुध सामग्री कारखाना (मद्रास)

*२३४९. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में जो आयुध सामग्री कारखाना है, उसे वहां से किसी अन्य स्थान को हटाये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) माननीय सदस्य संभवत: कोरडाइट कारखाना, अरवंकाडु का निर्देश कर रहे हैं। यदि ऐसा ही है, तो ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है कि इस कारखाने को उसके वर्तमान स्थान से हटाकर कहीं और लगाया जाये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : आरम्भ से यह कोरडाइट कारखाना कितनी सामग्री तैयार करता रहा है ? इस कारखाने ने असैनिक तथा रक्षा सम्बन्धी मांगों को किस अनुपात में पूरा किया है ?

श्री सतीश चन्द्र : इस कारखाने में काफी उत्पादन हो रहा है। रंग, लेप इत्यादि के वास्ते नाइट्रो-सिलोलूज जैसी कुछ चीजें भी असैनिकों के उपयोग के लिये बनाई गई हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या बलदेव सिंह समिति ने कारखाने का स्थान बदलने अथवा इसकी व्यवस्था बदलने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है ? क्या सरकार ने इस सिफारिश पर कोई निश्चय किया है ?

श्री सतीश चन्द्र : ऐसी कोई सिफारिश नहीं है। जिस स्थान पर कारखाना स्थित है, वह निस्संदेह उपयुक्त नहीं है। यह कारखाना नैरो गेज की पहाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। मानसून के दौरान में भूमि आदि के कटने से बहुत सी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। इस समय कारखाने का स्थान बदलने के बारे में कोई प्रस्थापना नहीं है।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या बलदेव सिंह समिति ने, अरवंकाडु कारखाने के बारे में अपनी सिफारिशों में विस्फोटक द्रव्यों तथा रसायनों की सैनिक तथा असैनिक मांगों की परीक्षा की है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। किन्तु यह प्रश्न इस प्रश्न के साथ नहीं पैदा होता।

भारत में विदेशी लोग

*२३५१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशियों की कुल संख्या क्या है, जो कि भारत में १९५४ में पंजीबद्ध किये गये; और

(ख) वे किन किन देशों के हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). ३१ दिसम्बर, १९५३ तक भारत में जितने विदेशी पंजीबद्ध हुये तथा वे जिन जिन राष्ट्रों के हैं, यह सब कुछ बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ७**] १९५४ के अन्त तक की इसी प्रकार की सूचना भी १९५५ के मध्य में कभी उपलब्ध होगी।

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण से पता लगता है कि भारत में २०६ पुर्तगाली हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वे यहां क्या कर रहे हैं ?

श्री आबिद अली : मुझे सूचना की आवश्यकता है।

श्री डी० सी० शर्मा : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में मैं देखता हूं कि भारत में ९११० चीनी हैं। क्या वे मुख्य चीन के हैं अथवा चीन के फारमोसा वाले भाग के ?

श्री आबिद अली : मेरा विचार है कि वे नये चीन के हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण में मैं देखता हूं कि यहां ११०१ जर्मन रह रहे हैं। वे यहां क्या कर रहे हैं ?

श्री आबिद अली : मुझे सूचना की आवश्यकता है।

उड़ीसा में मैंगेनीज निक्षेप

*२३५३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उड़ीसा के फूलवाड़ी जिले के क्षेत्र के लगभग १२ वर्गमील क्षेत्र में मैंगेनीज के निक्षेप पाये गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : उपलब्ध जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ८**]

श्री रघुनाथ सिंह : सर्वे कब शुरू होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : कुछ सर्वेक्षण हो चुका है और मैंगेनीज की इन खानों के बारे विस्तृत जांच भारत के भू-तत्वीय परिमाप के आने वाले जाड़े के क्षेत्रीय कार्यक्रम में रखा जायेगा।

वायुबल पदाधिकारियों की सद्भावना-यात्रायें

*२३५४. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **रक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५२, १९५३ और १९५४ में भारतीय वायुबल के कितने पदाधिकारियों ने सरकार की ओर से विदेशों की सद्भावना-यात्रायें कीं;

(ख) वे जितने देशों में गये उनके नाम; और

(ग) किन-किन विदेशी वायुबलों ने अपने पदाधिकारी सद्भावना यात्रा पर भारत भेजे और इन्हीं सालों में जितने पदाधिकारी भेजे गये, उनकी संख्या क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) से (ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ९]**

ऐतिहासिक अभिलेख

*२३५५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग १३ रेजीडेन्सियों तथा २१ राजनैतिक अभिकरणों के पुराने अभिलेख, जिनमें बहुत से अभिलेख, राजपूताना रेजीडेन्सी के १८०५ तक के हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार में लाये गये हैं, और

(ख) यदि हां, क्या इन अभिलेखों में डाक्टर लोनी, जेम्स टाड तथा अन्य ऐतिहासिक व्यक्तियों के अप्रकाशित पत्र भी सम्मिलित हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) चौदहे रेजीडेन्सियों तथा ग्यारह राजनैतिक अभिकरणों से भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेख प्राप्त हुये हैं। भारत अभिलेखागारों को राजपूताना रेजीडेन्सी से अभी तक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें मुख्य संख्या उस रेजीडेन्सी के अभिलेखों की नहीं है।

(ख) संभवतः।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं सरकार का ध्यान जयपुर के २८ वें अधिवेशन में ऐतिहासिक अभिलेख प्रयोग के अध्यक्ष डा० ताराचन्द के भाषणों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिनमें उन्होंने बताया था कि राष्ट्रीय अभिलेखागार को अभी तक १३ रेजीडेन्सियों और २१ राजनैतिक अभिकरणों से अभिलेख प्राप्त हुये हैं। तुलना करने पर मालूम होता है कि माननीय सभासचिव द्वारा दी गई संख्या दूसरी है।

डा० एम० एम० दास : इसके सम्बन्ध में विवाद है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन अभिलेखों को वापिस भेजने का इरादा है ?

डा० एम० एम० दास : जहां जहां से वे आये हैं ?

श्री एस० सी० सामन्त : जी हां।

डा० एम० एम० दास : जी नहीं। किन्तु मैं यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता।

श्री कासलीवाल : क्या यह सच है कि माऊंट आबू में राजपूताना अभिकरण के सारे लेख राजपूताना विश्वविद्यालय को सौंप दिये गये हैं।

डा० एम० एम० दास : जी नहीं।

विदेशी विद्यार्थियों के लिये ग्रीष्म ऋतु के शिविर

*२३५७. **डा० रामा राव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी विद्यार्थियों के लिये ग्रीष्म ऋतु के दो शिविरों के सम्बन्ध में, जिनका प्रबंध भारतीय परिषद् सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने के लिये कर रही है, सरकार किस प्रकार की सहायता तथा सुविधायें देने का विचार करती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : सम्बद्ध राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे इन दोनों शिविरों को सफलता-पूर्वक चलाने में परिषद् को, वित्तीय सहायता के अलावा, अपना पूरा सहयोग व सहायता प्रदान करें । इन शिविरों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को रेलवे भाड़े में रियायत देने तथा उन विद्यार्थियों को, जो कि इस मंत्रालय की अनेक छात्रवृत्ति सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत भारत में अध्ययन कर रहे हैं, अपने अध्ययन के स्थान से शिविर तक आने तथा वापिस जाने के द्वितीय श्रेणी के टिकट देने की प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है।

डा० रामा राव : ये दोनों शिविर २०० विद्यार्थियों के लिये हैं। क्या उसमें सभी विदेशी विद्यार्थी आ जाते हैं या बहुत से विद्यार्थी छूट जाते हैं ?

डा० एम० एम० दास : अभी हमको सारे प्रार्थनापत्र नहीं मिले हैं। हमें अब भी नहीं मालूम है कि कितने विद्यार्थी इन शिविरों में आना चाहते हैं।

डा० रामा राव : इस सम्बन्ध में कितना प्रबन्ध किया जा चुका है ?

डा० एम० एम० दास : इन शिविरों का प्रबन्ध करने के लिये हमने कुछ पदाधिकारी, उदाहरणतः कल्याण पदाधिकारी नियुक्त किये हैं। इनका प्रबन्ध हो रहा है।

हैदराबाद में केन्द्रीय प्रयोगशालायें

*२३५८. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य में केन्द्रीय प्रयोगशालाओं की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनको कुल कितना अनुदान दिया गया तथा वह अनुदान किन कामों के लिये दिया गया; और

(ग) उनके कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) केवल एक प्रयोगशाला है जिसका नाम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा के लिये केन्द्रीय प्रयोगशाला, हैदराबाद है ।

(ख) भारत सरकार ने ८·५ लाख रुपये दिये । इसमें से ५ लाख रुपया भवन निर्माण के लिये तथा ३·५ लाख रुपया सामान्य रूप प्रयोगशाला के खर्चे पूरे करने के लिये तदर्थ अनुदान के रूप में दिये गये ।

(ग) मांगी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १०]

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार इस अनुदान को आवर्तक अनुदान के रूप में बदलना चाहती है ?

श्री के० डी० मालवीय : हैदराबाद सरकार आवर्तक अनुदान का एक महत्वपूर्ण भाग दे रही है । इसको आवर्तक अनुदान द्वारा जब कभी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो सरकार उस प्रस्थापना पर विचार करेगी ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस प्रयोगशाला में सामान्यतः हैदराबाद राज्य के कारखानों के कल्याण के लिये ही काम किया जाता है?

श्री के० डी० मालवीय : यह सामान्यतः देश के दक्षिणी प्रदेश की औद्योगिक मांगों की ही पूर्ति करता है ।

भूतपूर्व सैनिक

***२३५९. श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल राज्य में कुल कितने भूतपूर्व सैनिक हैं;

(ख) १९५२, १९५३ और १९५४ वर्षों में उस राज्य में कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दी गई है; और

(ग) क्या नौकरी के मामले में उन्हें कुछ अधिमान दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) लगभग ४०,९८८ ।

(ख) १९५२ में ६९९,
१९५३ में ६३०, और
१९५४ में ७१५ ।

(ग) जी हां, पुलिस, उत्पादन-शुल्क, वन, प्रहरी विभाग, सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य विभागों में जहां सैनिक प्रशिक्षण एक विशेष अर्हता है वहां भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देने में अधिमानता दी जाती है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या इन लोगों को पुनः भूमि कृषि में लगाने की कोई प्रस्थापना है, और यदि हां, तो क्या उन में से किसी को अभी तक भूमि कृषि में पुनः बसाया गया है ।

सरदार मजीठिया : मैं ने भूतपूर्व सैनिकों को कृषि कार्य में पुनः बसाने के सम्बन्ध में योजनाओं के बारे में कई प्रश्नों का उत्तर दिया है, और मैं माननीय सदस्य को उन उत्तरों की ओर निर्देश करता हूं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या जिन भूतपूर्व सैनिकों का उल्लेख यहां किया गया है उनमें आजाद हिन्द फौज के लोग सम्मिलित हैं ?

सरदार मजीठिया : भूतपूर्व सैनिकों में वे सब सैनिक आ जाते हैं जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बल में सेवा की है और अब वे सेवायुक्त नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : माननीय मंत्री के उत्तर के अनुसार लगभग ४०,००० व्यक्तियों में लगभग दो हजार व्यक्तियों को पुनः बसाया गया है । सब लोगों को पुनर्वासित करने में कितना समय लगेगा ?

सरदार मजीठिया : प्रश्न वर्ष १९५२, १९५३ और १९५४ के सम्बन्ध में पूछा गया था । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है । इस सम्बंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लगभग ४०,००० व्यक्तियों में से लगभग २४,८५२ को नौकरी मिल चुकी है ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या गैर सरकारी भूतपूर्व सैनिकों का संगठन जिस के प्रधान जनरल भौंसले हैं भूर्त-पूर्व सैनिकों के पुनर्वास से सम्बद्ध है ?

सरदार मजीठिया : क्योंकि इस महान सन्था के माननीय प्रधान उसी सरकार के उप-मंत्री हैं अतएव मैं कह सकता हूं कि वह संगठन रक्षा मंत्रालय के निकट सम्पर्क से काम कर रहा है ।

विदेशी शासकों की मूर्त्तियां

***२३६२. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बंध में कोई निश्चय किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों में लगी हुई विदेशी शासकों और अन्य लोगों की मूर्तियों का क्या करना चाहिये; और

(ख) क्या सब राज्य सरकारों ने इस सम्बंध में अपना मत दिया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) अभी नहीं ।

(ख) जिन राज्य सरकारों को लिखा गया था उन के उत्तर आ गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि अन्तिम निश्चय शीघ्र किया जायेगा और उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री एस० सी० सामन्त : अब तक भारत में विदेशी शासकों की कितनी मूर्तियों को हटा दिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : मुझे पता नहीं कि यह प्रश्न इससे कैसे पैदा होता है। मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री बी० एन० मिश्र : क्या सब राज्य सरकारों में वे सब की सब मूर्तियों की संख्या सरकार को विदित है जिन के सम्बंध में यह प्रश्न है ?

डा० एम० एम० दास : जी हां। हम ने विभिन्न राज्य सरकारों को लिखा था कि वे इन सब महत्वपूर्ण मूर्तियों की सूची भेजें और उन्होंने वह सूची हमें भेज दी है।

श्री बी० एन० मिश्र : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर तो दे दिया है। वे पूछ ताछ कर रहे हैं। यही उस का अभिप्राय है।

श्री बी० एन० मिश्र : माननीय सभासचिव ने बताया है कि उन्हें उन मूर्तियों की कुल संख्या मिल गई है, जो विभिन्न राज्यों में हैं। मेरा प्रश्न यह था कि सब राज्यों में इन की कुल संख्या क्या है। यदि उनके पास संख्या है तो उन्हें संख्या बतानी चाहिये ?

डा० एम० एम० दास : अभी उसकी कुछ गणना करनी है।

श्री टी० के० चौधरी : इस सम्बंध में राज्य सरकारों से मिली राय किस प्रवृत्ति की है ? क्या वे मूर्तियों को इसी प्रकार रहने देने का सुझाव देते हैं ?

डा० एम० एम० दास : विभिन्न राज्य सरकारों की राय एक दूसरे से भिन्न भिन्न है।

कोड़े लगाने के दंड की समाप्ति

*२३६४. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का कोड़े लगाने के दंड के ढंग को समाप्त करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) तथा (ख). जी हां, सरकार ने कोड़े लगाना अधिनियम १९०९ को निरसित करने और इस विषय का एक विधेयक शीघ्र ही सभा के समक्ष लाने का निश्चय किया है।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या यह सच है कि किसी संयुक्त राष्ट्र अभिकरण में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि ने शीघ्र ही इस प्रकार के दण्ड को समाप्त कर देने का समर्थन किया है और क्या सरकार ने उस वचन के प्रवर्तन के लिए कोई कार्यवाही की है जो गृह मंत्री ने इसे शीघ्र करने के बारे में उस समय दिया था जब इस सभा में कतिपय अधिनियमों के निरसन के विषय में चर्चा हो रही थी ? क्या सरकार ने उस वचन को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री आबिद अली : मैं ने अभी यही तो बताया है।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सच है कि इस सभा में भी सचेतक (व्हिप) को समाप्त किया जा रहा है ?

श्री टी० के० चौधरी : क्या सरकार इस विधेयक को पुरःस्थापित करने तक के लिए ये अनुदेश जारी करना चाहती है कि कोड़े लगाने का दण्ड न दिया जाये ?

श्री आबिद अली : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

श्री आर० के० चौधरी : क्या वर्तमान दण्ड संहिता और अन्य ऐसी विधियों का संशोधन करने की आवश्यकता होगी जिन में कोड़े लगाना विहित है ?

श्री आबिद अली : कोड़े लगाना अधिनियम ही निरसित कर दिया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शिक्षा तथा व्यवसाय पथ प्रदर्शन संगठन

*२३२४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा तथा व्यवसाय पथ-प्रदर्शन-संगठन स्थापित करने के सम्बंध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) इस समय किस प्रकार का कार्य आरम्भ किया गया है; और

(ग) केन्द्रीय संगठन की रूपरेखा क्या है और अब तक उसमें कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ११**]

जम्मू और काश्मीर में भूतत्व सर्वेक्षण

*२३२६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४-५५ में जम्मू और काश्मीर में कोई भूतत्व सर्वेक्षण दल भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार की धातुएं मिली हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). नहीं श्रीमान् ।

नौसेना भर्ती केन्द्र

*२३२९. **श्री इब्राहीम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि नौसेना सेवाओं के लिए कितने भर्ती के केन्द्र हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या १२**]

सामाजिक कल्याण संस्थाओं की सहायता

*२३४०. **श्री बालकृष्णन**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में ऐसी सामाजिक कल्याण संस्थायें कितनी हैं जिन्होंने १९५४–५५ में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड से सहायता अनुदानों के लिए प्रार्थना की थी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : ६४ (चौंसठ) ।

धार्मिक संस्थाओं को अनुदान

*२३४२. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार भारत में मन्दिरों, गिरजाघरों तथा मस्जिदों में पूजा आदि करने के लिये कोई अनुदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि दी जाती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र

*२३४७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार

कर रही है जिसकी शाखाएं समस्त राज्यों की राजधानियों में होंगी तथा जिन में सरकारी कर्मचारियों को प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शब्दों का हिन्दी भाषा में प्रयोग सम्बंधी प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : जी नहीं ।

स्वयं-सेवक संस्था पर गोली चलाना

*२३४८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उखरुल में १६ फरवरी १९५५ को स्वयं-सेवक संस्था के धरना मारने वाले स्वयं-सेवकों पर पुलिस ने गोली चलाई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १६ फरवरी, १९५५ को प्रजा समाजवादी दल द्वारा आयोजित लगभग १०,००० व्यक्तियों का गिरोह उप-प्रादेशिक पदाधिकारी के न्यायालय-भवन में घुस आया जिसने केवल व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण द्वार पर पुलिस के घेरे को तोड़ दिया और वह भीड़ को हिंसा के लिए उत्तेजित करने के लिए भड़काने वाले नारे लगाता रहा। उनको एक चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने वरांडे में घुसने का प्रयत्न किया तो उन्हें बलपूर्वक तितर बितर कर दिया जायेगा। इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा उपद्रवी भीड़ ने उप-प्रादेशिक पदाधिकारी के कार्यालय के कर्मचारियों तथा वरांडे में खड़ी हुई पुलिस पर आक्रमण कर दिया तथा वे कार्यालय में घुस कर सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करना चाहते थे। पुलिस ने बेंतों द्वारा प्रहार किया जिसके परिणाम स्वरूप भीड़ ने पुलिस पर और कार्यालय भवन पर पत्थर फेंकने आरम्भ किये । इस के कारण कुछ पुलिस सिपाहियों को चोटें आईं और खिड़कियों के शीशे टूट गये। पुलिस और उप-प्रादेशिक पदाधिकारी को आकस्मिक आक्रमण और मारपीटे जाने का भय था जिसके कारण पुलिस ने उपद्रवियों पर गोली चला दी ।

(ख) तथा (ग). दूसरे ही दिन १७ फरवरी १९५५ को मनीपुर के जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की जांच की तथा यह पता लगाया कि गोली चलाना पूर्णतः न्यायपूर्ण था।

अणु शस्त्रास्त्र से रक्षा

*२३५०. **श्री आर० पी० गर्ग** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अणु शस्त्रास्त्र से रक्षा के प्रश्न का अध्ययन कर रही है; और

(ख) क्या उन्होंने अभी कोई रक्षात्मक यंत्र प्राप्त किया है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू). (क) तथा (ख). जी नहीं ।

लोह अयस्क और सोने का उत्पादन

*२३५२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में भारत का कच्चे लोहे तथा सोने का कुल कितना उत्पादन था ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :

सोना	लगभग २४०,७९४ औंस
लोह अयस्क	लगभग ३,७३३,७१९ टन ।

कोलम्बो योजना

*२३५६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर

१९५४ में ओटावा में हुई परामर्शदात्री समिति द्वारा पुनर्विलोकन के बाद कोलम्बो योजना में ब्यौरेवार क्या प्रगति हुई है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : कोलम्बो योजना की प्रगति का वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन किया जाता है। यह प्रस्ताव किया गया है कि परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक अक्तूबर, १९५५ में सिंगापुर में हो। अक्तूबर, १९५४ में ओटावा में हुई परामर्शदात्री समिति के परिणामस्वरूप निकाले गये प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस० १३७/५५**]

मनीपुर जेल में बन्दी

*२३६०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मनीपुर जेल में आपराधिक बन्दी कुल कितने हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी मांगें पूरी करने में सरकार की अस्वीकृति के कारण आपराधिक बन्दियों ने दो बार भूख हड़ताल की थी; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार ने उनको पूरा करने से क्यों इनकार कर दिया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) १४ अप्रैल, १९५५ को ११६०।

(ख) और (ग). यह सच है कि निम्न मांग करते हुए बन्दियों ने भूखहड़ताल की थी :—

(१) भोजन मात्रा में वृद्धि;
(२) काम के घंटों में कमी;
(३) शिक्षा की सुविधायें;
(४) आवास स्थान में वृद्धि;
(५) एक परामर्शदाता बोर्ड बनाना,
(६) नल के पानी के संभरण में वृद्धि;
(७) धूम्रपान की सुविधायें; और
(८) स्थानीय समाचार पत्र का दिया जाना।

मांगें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

संगीत नाटक अकादमी

*२३६१. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **शिक्षा** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें उन व्यक्तियों के नाम बताये गये हों, जिनको वर्ष १९५४–५५ में नृत्य, नाटक और लोक नृत्य के लिये संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार दिये गये हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें उन कलाकारों और लोक नृत्य दलों के नाम दिये गये हैं, जिनको वर्ष १९५४–५५ के लिये नृत्य, नाटक, और लोक नृत्य के लिये संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १३**]

बिहार में लघु बचत योजना

*२३६३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें बिहार राज्य में १९५४-५५ में लघु बचत योजना में संलग्न (अभिकरण) संगठनों के नाम और उपर्युक्त काल में एकत्र की गयी राशि और दिया गया कमीशन बताया गया हो ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : अनुमानतः माननीय सदस्य बिहार में महिला बचत आंदोलन के अंतर्गत अभिकरण संगठनों का उल्लेख कर रहे हैं। अब तक बिहार में अंतर्गत बिहार महिला सम्मेलन, पटना और महिला चरखा मंदिर, रांची ने इस आन्दोलन की एजेंसियां ली हैं।

१९५४–५५ में पहले अभिकरण संगठन ने लगभग ११,००० रुपये की राशि एकत्र की है, अब तक कुछ भी कमीशन नहीं मांगा गया है। पिछले संगठन ने ३१-३-५५ से ही एजेंसी ली है; इस संगठन द्वारा एकत्र की गयी राशि बताना अभी समय से बहुत पहले है।

जनगणना प्रतिवेदन

८७२. **श्री आल्तेकर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास कोई अभ्यावेदन आया है कि बंबई राज्य के डांग जिले की भाषा मराठी नहीं है, जैसा कि १९५१ के जनगणना-प्रतिवेदन में बताया गया है और इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) हां, महागुजरात सीमा समिति के सचिव ने ऐसा एक अभ्यावेदन भेजा है।

(ख) कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। जनगणना कार्य संचालन अधीक्षक, बंबई ने "भाषायें—१९५१ जन गणना" नामक भारत की जनगणना के १९५४ के पत्र संख्या १ के पृष्ठ ५८ पर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है; इस पत्र की एक प्रति प्रत्येक सदस्य को दी जा चुकी है।

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी

८७३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ से चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को प्रति वर्ष विभिन्न मंत्रालयों में लोअर डिविज़न क्लर्क बनाया गया ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : यह सूचना फिलहाल प्राप्त नहीं है। इसे एकत्र किया जा रहा है और कुछ ही समय में सभा की टेबल पर रख दिया जायगा।

मृत्यु दंड

८७४. **श्री राधा रमण :**
श्री पी० एल० बारूपाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ के बाद से कुल कितने व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया; और

(ख) उनके द्वारा किस प्रकार के अपराध किये गये थे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ३,००९।

(ख) हत्या (धारा ३०२, भारतीय दंड संहिता) और हत्या के साथ डकैती (धारा ३९६, भारतीय दंड संहिता)।

विदेशी छात्र

८७५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी छात्रवृत्ति लेकर कितने विदेशी छात्र भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : यह जानकारी तैयार नहीं है। इसके इकट्ठा करने में जो शक्ति और समय खर्च होगा वह फल के बराबर नहीं है।

सरकारी सेवाओं पर व्यय

८७६. **श्री इब्राहीम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५४ से अब तक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कितने गजटेड और नान-गजटेड स्थानों की कमी की गयी है और इसके द्वारा वेतन में कितनी राशि बची है;

(ख) इसी अवधि में विभिन्न मंत्रालयों में नये बनाये गये वैसे ही स्थानों की संख्या;

(ग) नई नियुक्तियों के फलस्वरूप कुल कितना अतिरिक्त व्यय हुआ; और

(घ) सरकारी सेवाओं पर व्यय कम करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गयी हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नवीन निवृत्ति वेतन संहिता

८७७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नवीन निवृत्ति वेतन संहिता के, जिसे १ जून, १९५३ से प्रभावी बनाया गया था, लाभ उन सैनिकों को भी देना चाहती है, जिन्होंने १९४७ में कार्यान्वित की गयी और १ अप्रैल, १९४८ को अनिवार्य बनायी गयी निवृत्ति वेतन संहिता को मान लिया था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सरकार इस मामले पर पहले ही विचार कर चुकी है, और अयोग्यता निवृत्ति वेतन और विशेष पारिवारिक निवृत्ति वेतन और भत्तों के दिये जाने के बारे में नवीन निवृत्ति वेतन संहिता नियम और दरें सशस्त्र सेना के उन स्थायी नियमित कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों और पदाधिकारियों के नीचे के व्यक्तियों पर भी लागू कर दी गयी हैं, जो २७ अक्तूबर, १९४७ और ३१ मई, १९५३ के बीच अयोग्य हो जाने के कारण अ-कार्यकारी हो गये थे।

सशस्त्र सेनाओं के पदाधिकारियों से नीचे के उन व्यक्तियों के निवृत्ति वेतन में कुछ तदर्थ वृद्धियां भी दी गयी हैं, जो २६ जनवरी, १९५० और ३१ मई, १९५३ के बीच सामान्य, विशेष या एकत्रीकरण (मस्टरिंग आउट) निवृत्ति वेतन के साथ अलग कर दिया गया था।

अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियां

८७८. **श्री रनदमन सिंह**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा १९५५-५६ में विन्ध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की कल्याण योजनाओं के लिये अलग अलग अनुदान के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई ;

(ख) निम्नलिखित योजनाओं के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई :—

(१) शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें,

(२) कृषि सम्बन्धी तथा अन्य सहकारी समितियां ;

(३) जल संभरण ;

(४) आदिम जाति के लोगों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को अनुदान,

(५) प्रचार और सूचना,

(६) आश्रमों के लिये भवनों का निर्माण,

(७) चिकित्सा सुविधायें,

(८) सड़क विकास योजनायें,

(९) पिछड़े वर्गों के कल्याण विभाग पर व्यय;

(ग) १९५२-५३ और १९५३-५४ के लिये स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय की गई है और कितनी राशि व्यपगत हो गई; और

(घ) क्या राज्य सरकारों से इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि आदि वासी आश्रम के लिये जो अनुदान दिया गया है वह पच्चीस विद्यार्थियों के लिये भी पर्याप्त नहीं है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). राज्य-सरकारों की योजनाएं अभी प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच हो रही है । अभी तक कोई रकम मंजूर नहीं की गई है ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या १४]**

(घ) नहीं ।

अफीम

८७९. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य भारत के किन किन जिलों में अफीम की खेती की जाती है?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): चालू मौसम में मध्य भारत के मन्दसौर, रतलाम और शाजापुर जिलों में पोस्त की खेती की गयी है ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

८८०. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जिसमें पश्चिमी बंगाल की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के कल्याण के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक कार्यान्वित की गयी विभिन्न योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से (मदवार) व्यय की गयी राशि दिखलायी गयी हो ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या १५]**

महान्यायवादी और महा-अभ्यर्थी

८८१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महान्यायवादी और महा-अभ्यर्थी के पदों पर काम करने वाले वर्तमान व्यक्ति कब नियुक्त किये गये थे और

(ख) उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : (क) क्रमशः २६ जनवरी, १९५० और १ जुलाई १९५१ ।

(ख) प्रत्येक की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १६]**

मनीपुर पुलिस

८८२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में मनीपुर राइफल सहित पुलिस की विद्यमान संख्या ;

(ख) १९५४–५५ में पुलिस-बल में भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या;

(ग) इस प्रकार भरती किये गये व्यक्तियों में आदिम जातियों और गैर-आदिम जातियों की संख्या;

(घ) किस कारण संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी; और

(ङ) नयी भरती के फलस्वरूप कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ८२५ ।

(ख) ६३ ।

(ग) ५१ आदिम जाति वाले और १२ गैर-आदिम जाति वाले ।

(घ) कृत्यों का समुचित निर्वहन ।

(ङ) ८,४४३ रुपये ।

आयकर

८८३. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में या उस नवीनतम वर्ष में, जिसके आंकड़े प्राप्त हों, पूरे भारत में कुल कितने आयकर पदाधिकारी थे;

(ख) १९४७–४८ और १९५४–५५ में उस नवीनतम वर्ष में, जिसके आंकडे प्राप्त हों, क्रमशः वर्ग (क्लास) १ ग्रेड १, वर्ग १ ग्रेड २ और वर्ग २ ग्रेड ३ में कितने आयकर पदाधिकारी थे;

(ग) १९३५–३६, १९३९–४०, १९४४-४५, १९४७–४८, १९४८–४९, १९४९-५०, १९५०–५१, १९५१–५२, १९५२–५३, १९५४–५५ वर्षों में आयकर में कुल कितनी मांगें की गयीं; और

(घ) इन्हीं वर्षों में कितनी मांगों का अपलेखन किया गया ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) १९५४–५५ में कुल १,००६ आयकर पदाधिकारी थे।

(ख) संख्या निम्नलिखित थी :

	१९४७–४८	१९५४–५५
आयकर पदाधिकारी,		
वर्ग १, ग्रेड १	१९०	२२७
आयकर पदाधिकारी		
वर्ग १, ग्रेड २	१८१	२१४
आयकर पदाधिकारी,		
वर्ग २, ग्रेड ३	३११	५६५

(ग) आयकर के संबंध में की गयी कुल मांगों के संबंध में जानकारी आयकर प्रतिवेदनों और ब्यौरों (रिटर्न) से और "आयकर राजस्व आंकड़ें" से प्राप्त की जा सकती है, जिसकी १९५३–५४ तक की प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। १९५४–५५ में की गयी कुल मांगों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) उन मांगों के बारे में जानकारी, जिनका किसी वर्ष में अपलेखन किया गया है, केन्द्रीय (असैनिक) विनियोजन लेखे में उपलब्ध है, जिसकी १९५१–५२ तक की प्रतियां पुस्तकालय में हैं। १९५२–५३ में ३४ लाख रुपये की राशि का अपलेखन किया गया था। १९५४–५५ के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयोग का प्रतिवेदन

८८४. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के १९५३ के प्रतिवेदन (भाग २) का परिशिष्ट प्रकाशित हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कमिश्नर के १९५३ के प्रतिवेदन से सम्बंधित समस्त संग्रह (नत्थियां) पहिले के प्रतिवेदन में निहित हैं जो कि १८-५-५४ को सभा पटल पर रख दिया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां

८८५. **श्री देवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय की अन्तिम परीक्षायें अप्रैल, १९५५ के पहले हफ्ते में समाप्त हो गयी थीं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र-वृत्ति पाने वालों को अपनी छात्रवृत्तियां बिना लिये ही घर लौटना पड़ा था ;

(ख) क्या इससे छात्रवृत्ति पाने वालों को कुछ कठिनाई में पड़ना पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग). छात्रवृत्तियों के भुगतान में कोई भी देर नहीं हुई है । केवल कुछ मामलों को छोड़कर, जिनके आवेदन अब भी अपूर्ण हैं या कुछ छात्रवृत्तियों के रद्द होने के फलस्वरूप जिनके दिये जाने की घोषणा मार्च, १९५५ में की गयी थी, शेष सभी छात्रवृत्ति पाने वालों को जिनकी संख्या २०,६९२ है, १९५४–५५ की छात्रवृत्तियों का भुगतान कर दिया गया है ।

लोक-सभा वाद -विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड ३, १९५५)

(२ से २१ अप्रैल, १९५५)

1st Lok Sabha
(Session IX)

नवम सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

zettes & Debates Unit
rliament Library Building
om No. FB-025
Block 'G'

सभा सचिवालय
दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ३, संख्या ३१ से ४५—२ अप्रैल से २१ अप्रैल, १९५५ तक)

संख्या ३१—शनिवार, २ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांग—	३१०१—५४
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	३१०१—५४
मांग संख्या ६३—प्रसारण	३१०१—५४
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३१०१—५४
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३१०१—५४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३१५३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
परिचालन का प्रस्ताव—स्वीकृत .	३१५३—६९
श्री भागवत झा आजाद . .	३१५३—५५
श्री रघुवीर सहाय . .	३१५५—५७
श्री मूल चन्द दुबे . . .	३१५७
श्री राघवाचारी . . .	३१५८—५९
श्री अच्युतन	३१५९—६०
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . .	३१६०—६१
श्री वी० जी० देशपांडे	३१६१—६३
श्री दातार	३१६३—६९
श्री यू० सी० पटनायक	३१६९
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . .	३१७०—३२०४
सेठ गोविन्द दास	३१७०—७४, ३२०१—०२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३१७५—९५
श्री एन० सी० चटर्जी	३१९५—९७
श्री जवाहरलाल नेहरू	३१९७—३२०१

संख्या ३२—सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
बाढ़ नियंत्रण उपायों की प्रगति के बारे में विवरण . . .	३२०५
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना .	३२०५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३२०५—३२०६
सभा का कार्य	३२०६

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	३२०६—३३०२
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६३—प्रसारण . . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३२४५—३३०२
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३२४५—३३०२
भारतीय ढोर परिरक्षिण विधेयक—	
मत-विभाजन के अंकों में शुद्धि . . .	३७५
संख्या ३३—मंगलवार, ५ अप्रेल १९५५	
पटल पर रखे गय पत्र—	
प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के अधीन अधिसूचना इत्यादि	३३०३
सभा का कार्य—	३३०४—३३०५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . .	३३०५
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३३०५—३०
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें .	३३०५—३०
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय .	३३२९—३४०५
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बन्ध तथा जल-निस्सारण कार्य (राजस्व से देय)	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६७—बहु-योजनीय नदी योजनायें .	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२७—बहु-योजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३३२९—३४०४

संख्या ३४—बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	३४०५
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम-बोर्ड	३४०५—३४०७
सभा का कार्य—	३४०७—३४०८
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३४०८—३५१८
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बंध तथा जल निस्सारण कार्य (राजस्व से देय) .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६७—बहु प्रयोजनीय नदी योजना . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२७—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५४—जनगणना. . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समह .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५७—कच्छ . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४२९—३५१८
मांग संख्या १२५—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३४२९—३५१८

संख्या ३५—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
अन्तर्राज्यिक व्यापार पर बिक्री कर	३५१९—३५२२
पटल पर रखा गया पत्र—	
बलात् श्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अभिसमय (संख्या २९) का अनुसमर्थन	३५२२

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३५२३—३६२२
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल	३५२३—३५९९
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५४—जनगणना	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५७—कच्छ	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५२३—३५९८
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या २—उद्योग	३५९९—३६२२
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५९९—३६२२
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३५९९—३६२२

संख्या ३६—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण ३६२३

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३६२४—३६४१

श्री डाभी . . . . . ३६२४—३६२५

श्री तुलसीदास . . . . ३६२५—३६२७

श्री के० सी० सोधिया . . . . ३६२७—३६२९

श्री बंसल . . . . . ३६२९—३६३१

श्रीमती जयश्री . . . . ३६३१—३६३२

श्री टेक चन्द . . . . ३६३२—३६३३

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी . . . ३६३३—३६३४

श्री ए० सी० गुहा . . . . ३६३४—३६४१

खंड २ से १४ . . . . . ३६४२—३६७४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . ३६७४—३६७५

राजनैतिक पेंशनों के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . ३६७५—३७२०

बाटों और नाप के बारे में संकल्प—असमाप्त . . ३७२०—३७२४

संख्या ३७— सोमवार, ११ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३७२५
पटल पर रखे गये पत्र—	
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या १६३ और १६४, दिनांक १८-१२-५४ और संख्या २८, दिनांक २६-२-५५ .	३७२५—३७२६
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	३७२६
गणपूर्ति के बारे में प्रथा	३७२६—३७२७
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३७२७—३८०५
श्री जवाहरलाल नेहरू	३७२८—३७४२
श्री ए० के० गोपालन	३७४३—३७४७
श्री फ्रेंक ऐंथनी	३७४७—३७५०
श्री टी० के० चौधरी	३७५०—३७५२
श्री एन० पी० नथवानी	३७५२—३७५४
डा० कृष्णस्वामी	३७५४—३७५६
श्री एम० पी० मिश्र	३७५६—३७६२
श्री एन० सी० चटर्जी	३७६३—३७६९
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३७६९—३७७१
श्री जयपाल सिंह	३७७१—३७७४
श्री बी० पी० सिंह	३७७४—३६८१
श्री ए स० वी० रामस्वामी . . .	३७८१—३७८४
स्वामी रामानन्द तीर्थ	३७८४—३७८९
श्री जी० डी० सोमानी . . .	३७८९—३७९२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	३७९२—३७९६
श्री आर० डी० मिश्र	३७९६—३८०४
श्री वेंकटरामन्	३८०४—३८०५

संख्या ३८—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
डा० लोहिया तथा अन्य व्यक्तियों की इम्फाल में गिरफ्तारी .	३८०७
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . . .	३८०८
प्रधान सेनापति (पदनाम में परिवर्तन) विधेयक—पुरःस्थापित .	३८०८
औद्योगिक तथा राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३८०८—३८०९

	स्तम्भ
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८०९—३८२३
श्री वेंकटारमन . . .	३८१४—३८१७
पंडित जी० बी० पन्त	३८१७—३८२२
खड १ से ५	३८२३—३८७२
संशोधित रूपमें पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८७२—३८८८
श्री एच० एन० मुकर्जी	३८७२—३८७५
श्री वी० जी० देशपांडे	३८७५—३८७८
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३८७८—३८७९
श्री जवाहरलाल नेहरू	३८७९—३८८८
संख्या ३९—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
गोलपाड़ा से बंगला-भाषी लोगों का निष्क्रमण . .	३८८९—३८९२
पटल पर रखे गये पत्र—	
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५१-५२ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ और उस का वाणिज्यिक परिशिष्ट . . .	३८९२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दक्षिण-चीन-सागर में इंडियन-एयर-लाइन्स-कांस्टेलेशन का गिर जाना .	३८९२—३८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या २—उद्योग	३८९५—३९६४
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३८९५—३९६४
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३८९५—३९६४
संख्या ४०— शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५	
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	३९६५—४०२४
मांग संख्या २—उद्योग . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३९६५—३९८५
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय . .	३९८७—४०२४

	स्तम्भ
मांग संख्या २६—सीमा शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर .	३९८७—४०२४
मांग संख्या २९—अफीम	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३३—चलमुद्रा . . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३४—टकसाल	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३९८७—४०२४
मांग संख्या ४०—विभाजन पूर्व के भुगतान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११५—चलमुद्रा पर पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन .	३९८७—४०२४
जाति भेद उन्मूलन विधेयक—	
विचार करने, परिचालित करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४०२४—४०७६
डा० एम० एम० दास . . .	४०२४—४०२७
श्री डाभी	४०२७—४०३१
श्री एन० बी० चौधरी . . .	४०३२—४०३३
श्रीमती ए० काले . . .	४०३३—४०३४
श्री एन० राचय्या . . .	४०३४—४०३६
श्री केशवैयंगार . .	४०३६—४०३७
श्री साधन गुप्त	४०३७—४०३९
श्री एस० सी० सामन्त . .	४०३९
श्री जांगड़े	४०३९—४०४२
डा० सुरेश चन्द्र . . .	४०४३

	स्तम्भ
श्री राम दास . . .	४०४३—४०४४
श्री एस० सी० सिंघल	४०४४—४०४७
श्री वाल्मीकि	४०४७—४०५४
श्री भक्त दर्शन	४०५४—४०५७
सरदार हुक्म सिंह	४०५७—४०५९
श्री नवल प्रभाकर	४०५९—४०६१
श्री एन० सोमना . . .	४०६१—४०६२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . .	४०६२—४०६७
पंडित एस० सी० मिश्र . .	४०६७—४०६८
सरदार ए० एस० सहगल .	४०६८—४०७०
श्री वीरस्वामी . . .	४०७०—४०७२
श्री आर० के० चौधरी . .	४०७२—४०७४
श्री जी० एल० चौधरी .	४०७४—४०७६
राज्य-सभा से सन्देश . .	४०७६
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूपमें पटल पर रखा गया .	४०७६

संख्या ४१—शनिवार, १६ अप्रैल १९५५

भारत का राज्य बैंक विधेयक—पुरःस्थापित .	४०७७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	४०७८
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय .	४०७८, ४१५०, ४१७३, ४१७४
मांग संख्या २६—सीमा-शुल्क .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	४०७८—४१५०
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा-शुल्क सहित आय पर कर .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २९—अफीम .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३३—चल मुद्रा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३४—टकसाल . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	४०७८—४१५०

स्तम्भ

मांग संख्या ४०—विभाजन-पूर्व के भुगतान . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११५—चल-मुद्रा पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन ४०७८—४१५०
मांग संख्या १६—शिक्षा मंत्रालय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १७—पुरातत्व . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १८—अन्य वैज्ञानिक विभाग . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १९—शिक्षा . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या २०—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ११२—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७४—विधि मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७५—न्याय व्यवस्था . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ८४—संसद-कार्य विभाग . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९३—परिवहन मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९४—पत्तन तथा पोत-मार्ग प्रदर्शन . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९५—प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाश-पोत . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९६—केन्द्रीय सड़क निधि . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९७—संचार (राष्ट्रीय राज-पथों सहित) . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९८—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३३—पत्तनों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३४—सड़कों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३५—परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०४—संसद . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०५—संसद सचिवालय के अधीन विविध व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०६—उपराष्ट्रपति का सचिवालय . . . ४१७३—४१७४

वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—पारित ४१४९—४१५१

श्री एम० सी० शाह . . . ४१४९—४१५१

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त . . ४१५१—४१७३
खंड १४ . . . . . ४१५१—४१७३

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित . ४१७५—४१७६

संख्या ४२—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५४ (भाग १) . .	४१७७
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	४१७७—४१७८
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक— . . .	४१७८—४१८३
खंड १४ से १७ और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४१७८—४१८३
पंडित ठाकुर दास भार्गव	४१८३—४१९२
श्री आर० के० चौधरी	४१८३—४१८७
पंडित एस० सी० मिश्र	४१८७—४१८८
श्री ए० सी० गुहा	४१८८—४१९२
विनियोग (संख्या २) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४१९२—४१९८
डा० लंका सुन्दरम्	४१९३—४१९५
श्री सी० डी० देशमुख	४१९५—४१९७
पारित	४१९८
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४१९८—४२६६
श्री सी० डी० देशमुख	४१९८—४२१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	४२१९—४२२३
श्रीमती मायदेव	४२२४—४२२६
श्री के० के० बसु	४२२६—४२३१
श्री यू० सी० पटनायक	४२३१—४२३२
पंडित एस० सी० मिश्र . . .	४२३२—४२३४
श्री एस० सी० सामन्त	४२३४—४२३६
श्री के० एल० मोरे	४२३६—४२३९
श्री एन० सी० चटर्जी . .	४२३९—४२४४
श्री वाई० एम० मुक्णे . .	४२४४—४२४६
श्री बंसल	४२४६—४२४९
श्री नेवटिया	४२४९—४२५०
श्री जी० डी० सोमानी	४२५१—४२५३
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	४२५३—४२६६

संख्या ४३—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

वित्त विधेयक-याचिका उपस्थापित	४२६७
वित्त विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त . .	४२६७

	स्तम्भ
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४२६७—४२७१
श्री विमला प्रसाद चालिहा	४२७१—४२७५
श्री बासप्पा	४२७५—४२७८
श्री एन० बी० चौधरी	४२७८—४२८१
श्री तुलसीदास	४२८१—४२८५
डा० कृष्णस्वामी	४२८५—४२८८
श्री रघुनाथ सिंह	४२८८—४२९४
श्री विश्वनाथ रेड्डी	४२९४—४२९७
श्री रिशांग किशिंग	४२९७—४३००
श्री जजवाड़े	४३००—४३०८
पंडित के० सी० शर्मा	४३०८—४३११
बाबू राम नारायण सिंह	४३११—४३१६
श्री मात्तन	४३१६—४३१८
श्रीमती सुषमा सेन	४३१८—४३२०
श्रीमती इला पालचौधरी	४३२०—४३२३
श्री बोगावत	४३२३—४३२५
श्री थानू पिल्ले	४३२५—४३२७
श्री वी० जी० देशपांडे	४३२८—४३३४
श्री डी० डी० पन्त	४३३४—४३३६
श्री ईश्वर रेड्डी	४३३६—४३३८
श्री टी० सुब्रह्मण्यम्	४३३८—४३४०
श्री एम० आर० कृष्ण	४३४०—४३४१
श्री शिवनजप्पा	४३४१—४३४४
श्री डी० सी० शर्मा	४३४४

संख्या ४४— बुधवार, २० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ४३४५—४३४६

सभा का कार्य— ४३४६—४३५०

समय-नियतन का आदेश ४३५०—४३५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अठाट्इसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ४३५१

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४३५१—४३८०

श्री डी० सी० शर्मा ४३५१—४३५४

श्री टंडन ४३५४—४३६२

श्री एम० सी० शाह ४३६२—४३८०

खंड २ से ३० ४३८०—४५८६

संख्या २५— गुरुवार, २१ अप्रैल, १९५५

श्री डी० डी० पन्त का निधन ४५८७—४५९०

लोक-सभा

सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये—भाग १)

११.४८ म० पू०

पटल पर रखे गये पत्र

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५४

(भाग १)

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५४ (भाग १) की एक प्रति पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस० १२६/५५**]

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत को रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० सी० गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—समाप्त

खण्ड १४ (नई धारा १७८-क आदि का रखा जाना)—समाप्त

अध्यक्ष महोदय : अब हम समुद्र-सीमा शल्क अधिनियम, १८७८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे । खण्ड १४ पर अनेक संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं ।

श्री वेंकटरामन (तंजोर) : इस खण्ड के सम्बन्ध में मेरे संशोधन संख्या ३० द्वारा संशोधित श्री ए० सी० गुह का संशोधन संख्या २९ सभा में मतदान के लिये रखा जाने वाला था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : उस समय सरदार हुकमसिंह सभापति थे और अनेक संशोधन प्रस्तुत किये गये थे । मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप न केवल माननीय मंत्री के संशोधन को ही वरन् सारे संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखें ।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : माननीय सदस्य श्री बंसल ने अपना संशोधन शनिवार को न प्रस्तुत कर पहले

[श्री ए० सी० गुह]

प्रस्तुत किया था । खण्ड १४ के सारे संशोधन पहले ही प्रस्तुत किये जा चके थे । मेरा संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा ही जाने वाला था कि शेष अनुदानों की मांगें ले लीगयीं । अत: मेरे विचार से संशोधनों पर बोलने का समय अब नहीं रह गया है ।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : उस समय मैं बोल रहा था तभी सभापति ने 'शान्ति-शान्ति' कह कर मुझे बोलने से मना कर दिया था । वास्तव में स्थिति यह थी कि सभापति की अनुमति से ही पंडित ठाकुरदास भार्गव ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया था । इसी कारण मैं भी अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ था । यह संशोधन श्री ए० सी० गुह के संशोधन में संशोधन करने के सम्बन्ध में था, खण्ड १४ में संशोधन करने के लिये नहीं । मैं दूसरी बार नहीं बोलना चाहता । मेरा संशोधन मतदान के लिये रखा जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब भी श्री ए० सी० गुहा का संशोधन यह है कि कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा सकता है और इस अनुमान का किसी प्रकार निराकरण किया जा सकता है । इस कारण इन सभी संशोधनों पर सभा का मतदान लेना आवश्यक है ।

[सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३ सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ ।]

श्री ए० सी० गुह : मैं अपना संशोधन संख्या १७ वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूँ ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अपना सशोधन संख्या १८ वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूँ ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार संशोधन संख्या २७ भी रद्द हो जाता है ।

जहां तक संशोधन संख्या २० और २१ का सम्बन्ध है, श्री डाभी सभा से अनुपस्थित हैं । मैं इन संशोधनों को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या २० और २१ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या २९ को, संशोधन संख्या ३० द्वारा संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिये रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६, पंक्ति ४५ से ४८ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये :

> "178 A. Burden of proof.—(*1*) Where any goods to which this section applies are seized under this Act in the reasonable belief that they are smuggled goods, the burden of proving that they are not smuggled goods shall be on the person from whose possession the goods were seized.
>
> (*2*) This section shall apply to gold, gold manufactures, diamonds and other precious stones, cigarettes and

cosmetics and any other goods which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

(3) Every notification issued under sub-section (2) shall be laid before both Houses of Parliament as soon as may be after it is issued."

["**१७८-क प्रमाण भार.**— (१) यदि इस अधिनियम के अधीन, कहीं पर कोई माल जिस पर कि यह धारा लागू होती है, इस उचित विश्वास से पकड़ा जाता है, कि यह चोरीछिपे लाया गया माल है तो यह सिद्ध करने का भार कि यह चोरीछिपे लाया गया माल नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जिसके अधिकार में यह माल पकड़ा गया ।

(२) यह धारा सोने, सोने से बनी वस्तुओं, हीरों तथा अन्य मूल्यवान रत्नों, सिगरेट तथा प्रसाधन सामग्री और ऐसे प्रत्येक माल पर लागू होगी जिसका कि केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उल्लेख करे ।

(३) उपधारा (२) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी होने के तत्काल पश्चात् संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रखी जायेगी ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १६ (नई धारा १९०-क आदि का रखा-जाना)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ७, पंक्ति २९ के पश्चात निम्नलिखित जोड़िये :

"(3) No decision or order passed by an officer of customs shall be revised under this section by the Chief Customs Authority, as the case may be, after the expiry of two years from the date of the decision or order."

["(३) सीमा-शुल्क पदाधिकारी द्वारा पारित कोई भी निर्णय अथवा आदेश यथा-स्थिति मुख्य सीमा-शुल्क प्राधिकारी अथवा मुख्य सीमा-शुल्क पदाधिकारी द्वारा, निर्णय अथवा आदेश जारी किये जाने की तारीख से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, इस धारा के अन्तर्गत पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा ।"]

चूंकि इस प्रकार के संशोधन से समय निर्धारित हो जायगा इसलिये इस संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्ति २९ के पश्चात, जोड़िये :

"(३) सीमा-शुल्क पदाधिकारी द्वारा पारित कोई भी निर्णय अथवा आदेश यथा-

[अध्यक्ष महोदय]

स्थिति, मुख्य सीमा-शुल्क प्राधिकारी अथवा मख्य सीमा-शल्क पदाधिकारी द्वारा, निर्णय अथवा आदेश जारी किये जाने की तारीख से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, इस धारा के अन्तर्गत पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड १६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १ और अधिनियम सूत्र

श्री ए० सी० गुह के ये संशोधन स्वीकृत हुए:

(१) पृष्ठ १, पक्ति ४ में "१९५४" के स्थान पर "१९५५" रख दिया जाये।

(२) अधिनियमन सूत्र में "पांचवें वर्ष" (fifth year) के स्थान पर "छठा वर्ष" (sixth year) रख दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड १ और अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, तथा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ और अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री ए० सी० गुह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: अभी दो दिन पहले खंड १४ पर चर्चा के दौरान में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने विशेष रूप से मुझे बताया था कि केवल व्यापारी ही कानून के चंगुल म आयेगा और अन्य व्यक्ति इससे बचे रहेंगे। किन्तु उस समय मैंने उन्हें बताया था कि बात ऐसी नहीं है क्योंकि यदि वे समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १८२ को पढ़ें तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी। इससे यह प्रकट होता है कि समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन प्रत्येक व्यक्ति का माल जब्त किया जा सकता है, उस पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है और वह अन्यथा खंडित किया जा सकता है इसलिये यह कहना कि केवल व्यापारियों पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा, सत्य नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस धारा का अभिप्राय तो यह है कि सभी व्यक्तियों के बारे में यह अनुमान लगाया जा सकता है और यदि कोई सीमा-शुल्क पदाधिकारी किसी अबोध व्यक्ति को कोई कष्ट देना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है और यह आवश्यक नहीं कि वह किसी बुरी भावना से ऐसा करे किन्तु भूल से भी ऐसा कर सकता है और अपने केवल इसी विचार के आधार पर कि इसके पास कुछ ऐसी वस्तुयें हो सकती है जिन पर इसने प्रशुल्क नहीं दिया है उसे गिरफ्तार कर सकता है। बात यह है कि चुरा-छिपा कर ली जाने वाली वस्तुयें वे वस्तु हैं जिन पर शुल्क नहीं दिया जाता। अब यह प्रश्न उठता है कि शुल्क कौन देता है? प्रारंभ में तो आयात करने वाला व्यक्ति शुल्क देता है और मान लीजिए कि किसी प्रकार वह शुल्क नहीं देता तो इसका अपराध उन व्यक्तियों पर आता है जो इसका व्यापार करता है अथवा जिसके पास वह वस्तु होती है और वही व्यक्ति दंड का भागी होता है। उसे गिरफ्तार किया जाता है और वस्तुओं की जब्ती की जा सकती है। धारा १८२ के अनुसार प्रत्येक वस्तु की जब्ती की जा सकती है अथवा उसपर शुल्क की दर बढ़ाई जा सकती है अथवा प्रत्येक व्यक्ति को दंड दिया

जा सकता है। इस प्रकार विधि के चंगुल से कोई बच नहीं सकता। चोरी की गई वस्तु और चोरी छिपे लाई गई वस्तु में अन्तर है। चोरी की गई वस्तु के मामले में पुलिस पदाधिकारी उस वस्तु को अपने अधिकार में कर लेता है और वह वस्तु एवं वह व्यक्ति सुरक्षित रहते हैं। न्यायालय द्वारा दोष के बारे में निर्णय किया जाता है। किन्तु चोरीछिपे लाई हुई वस्तुओं के मामले में बात दूसरी है इस मामले में व्यक्ति का दोष यह है कि जिससे उसने यह वस्तु खरीदी है अथवा जिससे ली है उसने उसका शुल्क नहीं दिया है। इसलिए समुद्र सीमा शुल्क के १६७ के क्षेत्र के आने वाले मामलों को छोड़कर मेरे विचार से वे सभी वस्तयें जिन पर शुल्क नहीं दिया गया जब्त की जा सकती हैं और प्रशुल्क पदाधिकारी उन्हें अपने अधिकार में उतने समय के लिए रख सकता है जब तक कि वह चाहे। बाद को वे वस्तुयें सीमा-शुल्क पदाधिकारियों के सामने लाई जाती हैं और वे इन वस्तुओं के बारे में निर्णय करते हैं। अधिनियम की धारा १८२ ही केवल एक ऐसी धारा है जिसमें यह बताया गया है कि अमुक-अमुक पदाधिकारी यह निर्णय करेंगे। सीमा-शुल्क पदाधिकारी को यह निर्णय करना होता है कि क्या इस वस्तु को जब्त किया जाय अथवा इस पर शुल्क की दर बढ़ायी जाय अथवा कुछ दंड दिया जाय।

अब हमें यह देखना है कि इन संशोधनों में क्या कहा गया है। मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि मान लीजिए कि एक अबोध व्यक्ति है और उसके पास कुछ ऐसी वस्तुयें हैं जो उसके पास चोरीछिपे से न आकर क्रय द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से आई हैं और साथ ही साथ वह यह भी नहीं जानता कि उन पर शुल्क नहीं दिया गया है और ऐसे मामलों में चोरीछिपे माल आने की तिथि और उस तिथि में, जब कि वे वस्तु उसके पास पकड़ी गई हैं कई वर्षों का अन्तर है तो मेरा विचार है कि यह समझना चाहिये कि उस व्यक्ति का उद्देश्य ठीक है। अतः उसकी वस्तुओं को बिना किसी शर्त के छोड़ देना चाहिए और उस व्यक्ति को भी रिहा कर देना चाहिये। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण और खंडों की टिप्पणी में मेरे मित्र ने यह कहा है कि इससे राजस्व को हानि हो रही है। यह ठीक है परन्तु हम यह भी नहीं चाहते कि अबोध होते हुए भी हमें दंड भगतना पड़े।

विधि में यह कहा गया है कि केवल सीमा-शुल्क पदाधिकारी ही इन मामलों में निर्णय कर सकेंगे। साधारणतया जब कभी जब्ती का प्रश्न उठता है तो न्यायालय ही निर्णय करता है सीमा-शुल्क पदाधिकारी निर्णय नहीं कर सकता कि किस चीज की जब्ती की जाय या किसकी नहीं की जाये। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५५६ के उपबंधों के अनुसार भी कोई मामला, जिसमें न्यायाधीश अथवा दंडाधिकारी व्यक्तिगत रूपसे रुचि रखते हों, उसके द्वारा नर्णय नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति अधीनस्थ सीमा-शुल्क पदाधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और एक उच्च पदाधिकारी उसका निर्णय करता है क्योंकि वह पदाधिकारी बिल्कुल स्वतन्त्र होगा और विधि के विरुद्ध भी वह कार्य नहीं करेगा। डर इस बात का है कि सीमा-शुल्क पदाधिकारी यह जानते हुए भी कि वस्तु ईमानदारी से ली गई थी वस्तुओं को बिना शर्त के छोड़ने के मामले में अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकेगा। विवेक के उपयोग का अधिकार अब केंद्रीय सरकार अथवा मुख्य सीमा-शुल्क पदाधिकारी को दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे ही वे वस्तुएं जब्त की जाती हैं तो वे चोरीछिपे लाई हुई वस्तुएं मान ली जाती हैं। इसलिये मैं कह सकता हूं जब वे वस्तुएं एक बार चोरीछिपे लाई हुई बता दी गईं तो यह कोई नहीं कह सकता कि उन-पर शुल्क की दर बढ़ाना अथवा अर्थ-दंड नहीं लगाया जाना चाहिये।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है और कुछ वर्षों के बाद कोई आदमी आकर यह कहता है ये वस्तुएं तो चोरीछिपे लाई हुई वस्तुऐं हैं तो मैं समझता हूं कि इसका यही परिणाम होगा कि वह संपत्ति सीमा-शुल्क पदाधिकारी के पास जायगी और निर्णय यह होगा कि या तो इसे जब्त कर लिया जाय अथवा इस पर शुल्क की अथवा अर्थ-दंड की बढ़ी हुई दर लगाई जाय । मेरा विचार है कि यह बड़ी कठोर विधि है । ऐसी विधियां तो देश की मूलभूत विधियों के विरुद्ध हैं । अब यह विधेयक पारित हो रहा है हो सकता है कि मंत्री इस पर प्रसन्न हों किन्तु इसके बारे में मुझे कोई खुशी नहीं है । मेरा मंत्रियों से निवेदन है कि वे इसे रोक दें अन्यथा सारा देश यह समझेगा कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : इस संशोधन का मैं विरोध करता हूं क्योंकि सदस्यों द्वारा जो आपत्तियां की गई हैं उनका समाधान इसके द्वारा नहीं होता । अब यह वह समय आ गया है जब कि इस बात पर विचार करना होगा कि फ्रांसीसी ढंग के अनुसार या तो हम अपराधी को इस बात के लिए मजबूर करें कि वह सिद्ध करे कि वह दोषी नहीं है अथवा हम ब्रिटिश प्रणाली को अपनायें जिसके अनुसार एक व्यक्ति उस समय तक अबोध समझा जाये जब तक कि उसके विरुद्ध कुछ सिद्ध नहीं हो जाता । यदि हम यह कहें कि अमुक वस्तुयें चोरी-छिपे लाई गई है तो यह कहना अपराध को सिद्ध करने में निश्चय ही न्यायालय की सहायता करेगा । यदि हम निश्चय करें कि एक व्यक्ति तब तक दोषी है जब तक कि वह अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध नहीं कर देता तो हमें चाहिये कि हम नियमित रूप से उसकी जांच करें और अपराधी को इस बात का अधिकार दें कि वह अपना बचाव कर सके । किन्तु हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम तो पदाधिकारियों का काम हल्का कर रहे हैं । वास्तव में जो व्यक्ति सही और अच्छी गवाही दे सकते हैं उनके सम्पर्क में हम क्यों न आयें ? यदि हम इस सिद्धांत को मान लें तो हमें भारतीय दंड संहिता में भी परिवर्तन करना पड़ेगा । इसके अनुसार ऐसा होगा कि यदि एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु है अथवा सम्पत्ति है जिसके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति का यह विचार है कि वह किसी दूसरे की है और अपने कथन का औचित्य भी प्रमाणित करता है वह व्यक्ति अपराध का दोषी माना जायेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : मैं समापन के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर पूर्व) : सैंकड़ों की तादाद में विधान बनाये जा रहे हैं । इतने विधान तो केवल फ्रांस में १७८९ और १८९४ के बीच बने थे और वे १८९४ तक सब समाप्त हो गये । आशा है कि हमारे कांग्रेस मित्र और उनके विधानों का भी वही अंत इतने शीघ्र नहीं होगा । देश पर ऋण अत्यधिक बढ़ गया है । इस पर जो ब्याज देना पड़ता है वह दो साल पहले ७० करोड़ रुपये था अब वह बढ़ कर १०१ करोड़ रुपये हो गया है । शायद कुल ऋण २७०० करोड़ हो गया है । क्योंकि ऋण देने वाले, हमारे जमीन देने वाले, पैसे वाले, हमारे मंत्री हैं । इसलिये ऐसी विधि का निर्माण किया जाता है । फिर भी कहते हैं कि, इसका अर्थ यह नहीं है जब्ती होनी चाहिये । स्पष्ट रूपसे वह क्यों नहीं कहते कि सरकार सब कछ

जब्त करेगी । हम समाजवादी तथा साम्यवादी इसीके पक्ष में हैं । ऐसा करते रहने पर भी यह कहने में क्या लाभ कि ऐसी चीजें वे पसन्द नहीं करते । यह बात रेलवे सम्पत्ति की जब्ती के बारे में ठीक थी क्योंकि वह पहचानी जा सकती है परन्तु सीमा-शुल्क तो सामान्य सम्पत्ति पर दिया जाता है । उसके विषय में यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि किस पर शुल्क दिया गया है और किस पर नहीं । यदि आयात की गई प्रत्येक वस्तु पर यह लिखवाने का प्रबन्ध किया जा सके कि उस पर शुल्क दिया जा चुका है तभी इस विधि को न्याय्य कहा जा सकता हैं । बिना इस व्यवस्था के आप हम सबको चोर बना रहे हैं । इस विधि के कारण सबको कठिनाई उठानी पड़ेगी ।

श्री ए० सी० गुह : खेद है कि मैं अपने मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव को यह मानने के लिये तैयार नहीं कर सका कि खण्ड आवश्यक है और मुझे इस बात का भी दुःख है कि उन्होंने बहुत सी ऐसा चीजों की कल्पना कर ली जो इस खण्ड में अन्तर्निहित अथवा निविष्ट नहीं हैं इस खण्ड पर चर्चा के दौरान में कई सदस्यों ने दोष सिद्धि, अभियोजन आदि के विषय में कहा। परन्तु इन चीजों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । इसका सम्बन्ध तो केवल वस्तुओं के परिग्रह (Seizure) से है और फिर वस्तुओं की जब्ती का अर्थ स्वतः ही इस खण्ड से नहीं निकलता। जब्त करने का कार्य वही पदाधिकारी नहीं करेगा जो वस्तु का परिग्रह करेगा । यह काम तो एक उच्च पदाधिकारी द्वारा एक दूसरे खण्ड के अधीन किया जायेगा । यह बात बिलकुल निश्चित है । सहायक कलेक्टर की श्रेणी से नीचे वाला कोई भी पदाधिकारी जब्ती के सम्बन्ध में न्याय निर्णय नहीं कर सकता है । सहायक कलेक्टर केवल उन्हीं वस्तुओं की जब्ती के बारे में न्याय निर्णय करने का अधिकारी है जिनका मूल्य ५,००० रुपये तक हो इससे अधिक मूल्य वाली वस्तुओं की जब्ती के सम्बन्ध में न्याय निर्णयन सीमा-शुल्क के डिप्टी कलेक्टरों द्वारा या स्वयं कलेक्टर द्वारा किया जायेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह भी कहा कि यह परिग्रह पदाधिकारियों द्वारा नहीं बल्कि सीमा-शुल्क विभाग के कम वेतन पाने वाले कुछ कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा । उनकी यह धारणा सर्वथा सत्य नहीं है । यह काम जिस अधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, अन्य कर्मचारियों द्वारा नहीं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री आर० के० चौधरी ने देश के दाण्डिक न्याय-शास्त्र के भूलभूत सिद्धान्तों की चर्चा की । चूंकि इस खण्ड का दाण्डिक अभियोजन से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः दाण्डिक न्यायशास्त्र का प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी यदि यह प्रश्न उठाया जाता है तो मैं कह सकता हूं कि ब्रिटेन में इस सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई है कि जब तक कि कोई व्यक्ति निश्चित रूपसे अपराधी सिद्ध न हो जाय तब तक उसे निर्दोष मानना होगा और प्रमाण भार अभियोक्ता पक्ष पर होगा । इंगलैंड में भी सीमा-शुल्क विभाग में एक कानून यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस बात का कि उसने उस वस्तु का किस प्रकार कब्जा पाया ऐसा उत्तर न दे सके जिस से न्यायालय संतुष्ट हो तो उसे उप-पातक (मिस डिमीनर) का दोषी माना जायेगा । अतः ब्रिटेन में भी प्रमाणभार अभियोक्ता पक्ष से हटा कर अभियुक्त पर रखा गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसी चीज पर तो हम लोगों को आपत्ति है ।

श्री ए० सी० गुह : उन्हें यह मानना होगा कि सीमा-शुल्क विभाग अथवा सरकारी पदाधिकारियों के लिये इस बात का पता लगना बहुत कठिन है कि शुल्क का भुगतान किया गया है या नहीं। अधिकांश मामलों में कोई व्यवसायी व्यापारी आयातक अथवा चोरीछिये माल लाने ले जाने वाला व्यक्ति ही अभिभुक्त होगा। उनके लिये यह कहना या सिद्ध करना बहुत आसान है कि सीमा-शुल्क का भुगतान हो चुका है। उसका निराकरण करना सरकार के लिये बहुत कठिन होगा।

कुछ सदस्यों ने यहां के पदाधिकारियों की ब्रिटेन के पदाधिकारियों के साथ तुलना करने का प्रयत्न किया है। इस खंड पर अधिकांश आपत्ति यह मान कर की गई है कि हमारे पदाधिकारीगण बहुत बेईमान हैं। अभी उस दिन एक सदस्य ने कहा था कि यह खंड हमारे राष्ट्र के लिये एक कलंक होगा। क्या आपने सभी पदाधिकारियों की निन्दा करना हमारे राष्ट्र के लिये कलंक नहीं होगा ? वे आसमान से तो टपकते नहीं और न बाहर से लाये जाते हैं। वे सभी हमारे परिवारों के ही आदमी होते हैं। ऐसी दशा में यदि हमारे सभी पदाधिकारी बेईमान हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमारा सारा देश ही बेईमान है। मैं तो यह कहूंगा कि ऐसी बात कहना हमारे राष्ट्र के लिये सबसे बड़ा कलंक है। यह बात ठीक है कि सभी ईमानदार नहीं हैं, परन्तु सभी बेईमान भी नहीं हैं। यह मान कर चलना एक गलत बात होगी कि आमतौर पर हमारे पदाधिकारी बेईमान हैं और इसलिये इस शक्ति का दुरुपयोग होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: वस्तुतः हमने ऐसी बातें कभी भी नहीं कहीं। इसके विपरीत हमें अपने सीमाशुल्क पदाधिकारियों पर बहुत विश्वास है।

श्री ए० सी० गुह : पहले दिन मैं यह आश्वासन दे चुका हूं कि प्रशासनिक निर्देशों के द्वारा हम इस खंड के कार्य क्षेत्र को इतना सीमित कर देंगे कि यह ऐसे ही मामलों में लागू होगा जहां इसके बिना काम न चल सके और यह केवल वस्तुओं के संबध में ही लागू होगा। हम यह भी निर्देश जारी करेंगे कि हमारे पदाधिकारीगण स्वविवेक और ईमानदारी से इस शक्ति का उपयोग करें। आशा है कि अब सभा इस विधेयक को स्वीकार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग (संख्या २) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं*

"कि १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों को भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले इस विधेयक पर विचार किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अब डाक्टर लंकासुन्दरम् बोलेंगे।

श्री बंसल (झज्जर रेवाड़ी) : इस विधेयक के लिये कितना समय निश्चित किया गया है ?

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मैं बाद में बताऊंगा अभी तो डाक्टर लंकासुन्दरम् पन्द्रह मिनिट तक बोलेंगे । जिन सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को पहले सूचित कर दिया है, केवल वे ही बोल सकेंगे ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम्): इस विधेयक के कारणों और उद्देश्यों के विवरण में कहा गया है कि भारत की संचित निधि में से लोक सभा द्वारा स्वीकृत किये गये अनुदानों पर व्यय करने के लिये पूंजी का विनियोग करने का अधिकार दिया जाय । मैं बजट बनाने, धन के व्यय करने अथवा न करने के संबंध में इस सभा से तथा वित्त मंत्री से विशेष रूपसे कुछ कहना चाहता हूं ।

मैंने पिछले वर्ष भी लेखों के असन्तोषजनक रूपमें प्रस्तुत किये जाने के बारे में कहा था और आंकड़ों का तालमेल न होने के संबंध में माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण करने के लिये कहा था किन्तु माननीय मंत्री ने उनका ठीक उत्तर नहीं दिया था अपितु दो विवरण सभा-पटल पर रखे थे परन्तु वह उत्तर सन्तोषजनक नहीं थे । इस वर्ष भी उन्होंने मेरे केवल एक दो प्रश्नों का ही उत्तर दिया है ।

मैं विनियोग लेखे (असैनिक १९५१-५२) और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५३ की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करके यह बताना चाहता हूं कि उनमें दिया हुआ है कि "यह प्रतीत होता है कि आय-व्ययक के तैयार करने तथा व्यय पर नियंत्रण करने की प्रणाली में अग्रेतर सुधार किये जाने का अवसर था ।" परन्तु वित्त मंत्रालय ने उनका उपयोग नहीं किया ।

उक्त प्रतिवेदन में कहा गया है, "इन दो अनुदानों के अन्तर्गत प्राप्त अनुपूरक विनियोग भी अनावश्यक सिद्ध हुए हैं" । और वह अनुदान क्या है ? न्याय प्रशासन और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अग्रिम धन तथा ऋण । लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में लिखा है कि "अनुपूरक अनुदानों का अधिकांश भाग उपयोग में नहीं लाया गया ।" यह रकम चार करोड़ रुपये के लगभग है । किन्हीं स्थानों पर पुनः विनियोग किया गया है, जो अनावश्यक था । प्रतिवेदन से हमें पता चलता है कि चार अरब रुपये के आयव्ययक में ७७ करोड़ रुपये व्यय नहीं किये गये हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि आयव्ययक बनाने की प्रणाली कितनी त्रुटिपूर्ण है ।

इसी प्रकार १९५३ की अनुपूरक अनुदानों की १,०३,९८,७६,००० रुपये की धन राशि में ४३,४९,८१,६८७ रुपये व्यय नहीं किये गये । इसीलिये महालेखा पाल का विचार है कि आय-व्ययक बनाने तथा व्यय पर नियंत्रण करने की प्रणाली में सुधार का स्थान है ।

अब मैं चालू बजट को लेता हूं । इसके आंकड़े भी भ्रान्तिपूर्ण है । हमें जो ज्ञान दिया गया है उसमें राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान की राशि ३५.९३ करोड़ रुपये हैं । परन्तु व्याख्यात्मक-ज्ञापन के अनुबंध ७ के अनुसार राजस्व में से दी जाने वाली राशि में यही रकम ९०.७६ करोड़ रुपये बताई गई है । अनुसूची १२ में वित्त आयोग पंचाट के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदानों के अतिरिक्त यह राशि ७८.४१ करोड़ रुपये हैं । इस प्रकार तीन विभिन्न आंकड़े हमारे समक्ष हैं। इसी प्रकार भारत के रक्षित बैंक की पत्रिका में राज्यों को उपलब्ध कराये गये संसाधन की यह रकम ९८.११ करोड़ रुपये दी गयी है । अब मेरी समझ में नहीं आता कि इनमें से कौन सी रकम को ठीक समझा जाय । क्या माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे ?

मैं एक और उदाहरण देता हूं । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ ३१ पर राज्यों को दिये गये ऋण के

[डा. लंकासुन्दरम्]

आंकड़े १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ में क्रमशः ७३.३० करोड़ १११.७० करोड़ तथा १५४.६५ करोड़ रुपये के हैं; भारत के रक्षित बैंक के उल्लेख में भी यही आंकड़े हैं। व्याख्यात्मक-ज्ञापन के अनुबंध १३ में यही आंकड़े इस प्रकार हैं:—७३.३० करोड़ १११.२० करोड़ और १५४.६५ करोड़ रुपये। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह गड़-ड़ कैसे पैदा होती है ?

यह तो वास्तविक व्यय के आंकड़े हैं। इनमें गड़बड़ी कैसे हुई। अन्त में मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारे आय-व्ययक आंकड़े अनावश्यक तथा अनुचित रूपसे बढ़ गये हैं। और अब हमारा सामान्य आयव्ययक चार अरब रुपये से भी बढ़ गया है। इसीमें रेलवे आय-व्ययक मिल गया है अतः विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बिना सोचे-समझे बड़ी शीघ्रता से लम्बे चौड़े अनुदानों की मांगे कर दी जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इन बातों का समाधान करेंगे।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने उन्हें पिछले वर्ष कोई विवरण दिया था जिसे उन्होंने असन्तोषजनक पाया। मुझे याद नहीं कि उन्होंने यह बात पिछले वर्ष कही या नहीं किन्तु उन्हें यह बताना चाहिये कि किस विशेष बात से वह असन्तुष्ट हुए थे ताकि मैं उस विषय में आंकड़े देकर उन्हें संतुष्ट कर सकूं। इस समय न तो मेरे पास पिछले वर्ष का वह विवरण मौजूद है और न वह भाषण ही है जो मैंने उस समय दिया था।

मुझे विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने से पांच मिनिट पहले यह अवश्य ज्ञात हुआ था कि माननीय सदस्य हिसाब लगाने की दूषित प्रणाली तथा आयव्ययक बनाने के बारे में कुछ कहना चाहते हैं किन्तु इससे मुझे यह पता नहीं चला कि उनको कठिनाई क्या थी। अतः यदि मैं माननीय सदस्य को अभी संतुष्ट न कर सकूं तो सभा अपना धैर्य न खोये। और जब माननीय सदस्य मुझे कोई त्रुटि विशेष बतायेंगे तो मैं उसका उत्तर देकर अवश्य उनका समाधान करूंगा।

इसके अनन्तर उन्होंने लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५३ के विभिन्न भागों की ओर संकेत किया अभी लोक-लेखा समिति ने उस प्रतिवेदन की जांच नहीं की है। अभी यह संसद में रखी गई है और उस की जांच होना बाकी है : इससे पहले उसकी आलोचना करना अनुचित है क्योंकि पहले प्रत्येक मंत्रालय से नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में पूछताछ की जाती है। इस प्रकार उन्हें अवसर मिलता है और यदि वे आरोपों का खंडन न कर सकें तो उन्हें लोक-लेखा समिति के समक्ष अपनी त्रुटि को स्वीकार करना पड़ता है।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं इस प्रतिवेदन का उपयोग इस विधेयक के सम्बन्ध में करने का अधिकारी नहीं हूं।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे आपके उपयोग पर कोई आपति नहीं। मैं तो अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा हूं कि इस समय इन शिकायतों का समाधान नहीं किया जा सकता। सभा को विदित हैं कि इस समय कण्डिका ५३, ५२ और पृष्ठ २७९ के विषय में उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मुझे आंकड़े याद नहीं है।

मैं अपने लेखे देखकर अपने अफसरों को बता सकूंगा कि उन्हें लोक-लेखा समिति को क्या उत्तर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय में मुझे यही कहना है कि जो भी सदस्य ऐसी बातों का स्पष्टीकरण चाहें उन्हें इसकी पूर्व सुचना सम्बन्धित मंत्री को देनी चाहिये ताकि समय पर उत्तर मिल सके ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य ने राज्यों को दिये गये अनुदानों के आंकड़े बताये हैं जिन का चालू बजट से सम्बन्ध है । उन्होंने भारत के रक्षित बैंक की पत्रिका के आंकड़े भी दिये और कहा कि सदस्य इनमें से किसको माने । रक्षित बैंक की पत्रिका को सदस्यों में मैंने परिचालित नहीं किया है और उस में यदि कुछ त्रुटि है तो वह क्षम्य है ।

अन्य आंकड़ों के लिये उत्तर दिया जा सकता है । सारांश में तो लेखा-शीर्षों अनुदानों इत्यादि के अंतर्गत केवल राजस्व आय-व्ययक दिया गया है । अनुबंध ७ में समस्त शीर्षों के अंतर्गत राजस्व तथा पूंजी आय-व्ययक दिये गये हैं । अनुबन्ध १२ में उन अनुदानों का उल्लेख है जो वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य को दिये गये हैं : अतः वे सब पृथक-पृथक हैं और उनका सम्बन्ध भी पृथक्-पृथक् विषयों से है फिर भी मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्य ने इन बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया । यदि इनमें से किसी के सुधार की आवश्यकता होगी तो हम अवश्य सुधार करेंगे ताकि हम पर त्रुटि-पूर्ण आय-व्ययक बनाने का आरोप न लगाया जा सके :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> १९५५–५६ के वित्तीय वर्ष के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३ अनुसूची, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "विधेयक को पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "विधेयक को पारित किया जाय" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वित्त विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक के लिये १५ घंटे निर्धारित किये गये हैं । दस घंटे सामान्य वाद-विवाद होगा । चार घंटे खंडों पर चर्चा के लिये हैं और एक घंटा तृतीय वाचन के लिये है । मैं समझता हूं सभा को यह स्वीकार्य है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं *प्रस्ताव करता हूं :

> "वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों को स्पष्ट कर चुका हूं तथा आयकर विधि में किये गये परिवर्त्तनों के सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक ज्ञापन माननीय सदस्यों में परिचालित करा दिया गया है । जिसमें विधेयक के द्वारा आय कर विधि में होने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में बताया गया है । आय-

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

[श्री सी० डी० देशमुख]

व्ययक पर हुई सामान्य चर्चा के समय मैंने राज्य सभा तथा इस सभा के माननीय सदस्यों की आलोचना को सुना है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक की विभिन्न प्रस्थापनाओं पर कुछ अधिक कहना आवश्यक नहीं है तथा इस समय वित्त विधेयक में किये गये कुछ परिवर्तनों तक ही मैं अपने आपको सीमित रखूंगा।

परन्तु इससे पूर्व मैं उस विषय के संबंध में कुछ बता देना चाहता हूं जिसकी ओर विशेष रूप से अविवाहितों का ध्यान आकर्षित है। वह यह परिवर्तन है कि विवाहितों को १५,०० से २,००० रुपयों तक कर-विमुक्त रखा गया है परन्तु अविवाहितों को केवल १००० रुपयों तक कर विमुक्त रखा गया है। कुछ सदस्यों का विचार है कि इसके द्वारा भेदभाव किया गया है।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार का भेदभाव देश के लिये अजीब नहीं है तथा संसार की लगभग सभी आयकर पद्धतियों में इस प्रकार की व्यवस्था है। मेरे विचार से यह आवश्यक भी है क्योंकि यदि हमें कराधान पद्धति को सुचारु बनाना है तो कर को उस व्यक्ति के पारिवारिक सदस्यों तथा अन्य परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित करना होगा, तथा जैसा कि मैं अपने आय-व्ययक भाषण में बता चुका हूं इसी प्रकार की अग्रेतर रियायतें देने जैसे पारिवारिक भत्ता पद्धति को लागू करने के लिये ही यह कार्यवाही की गई है।

सांख्य की स्थिति के अनुसार, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस देश में विवाहित स्थिति ही सबसे सामान्य नागरिक स्थिति हो सकती है।

दूसरा प्रश्न, जिसकी ओर माननीय सदस्यों का अधिक ध्यान गया है वह ५००० रुपये से १०,००० रुपये तक की आधारभूत दरों में किया गया परिवर्त्तन है। विचार है कि इससे मध्यम वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। परन्तु यदि इस दर प्रणाली पर ही विचार किया जाये तो जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि किसी स्तर विशेष के दायित्वों पर विचार न करके स्वयं कर-दात्य के सभी उत्तरदायित्वों का ध्यान रखना चाहिये। हमारी प्रस्थापनाओं के अनुसार एक विवाहित व्यक्ति को १०,००० रुपये की आय पर पिछले वर्ष की दरों की अपेक्षा नौ रुपये कम देने होंगे। करों में वृद्धि इस दस अंक से अधिक की आय पर होती है तथा क्योंकि हमारी कराधान पद्धति खंड प्रणाली की क्रम-पद्धति की नहीं है इसलिये इसका प्रभाव कम आय पर नहीं होता है बल्कि अधिक आय वालों पर होता है। यदि माननीय सदस्य स्पष्टीकरण-ज्ञापन के पृष्ठ १४५ को देखें तो उनको ज्ञात होगा कि कमाने वाले विवाहित व्यक्ति का देय-कर ४,२०० रुपये पर २.७ प्रतिशत से बढ़कर धीरे धीरे पांच लाख पर ८१.४ प्रतिशत हो जाता है। यह वृद्धि एकदम से नहीं होती है और इसीलिये यह पद्धति पूर्ण रूप से प्रगतिशील है।

अब मैं अधिनियम की कुछ धाराओं में प्रस्तावित परिवर्त्तन की ओर आता हूं। बहुत सी परिलब्धियों पर, जिन पर अभी तक कोई कर नहीं लगाया जाता था, अब कर लगाया गया है। इस परिवर्त्तन की भी पर्याप्त आलोचना की गई है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस परिवर्तंतन के द्वारा मेरा उद्देश्य केवल राजस्व में वृद्धि करना नहीं था अपितु मेरा उद्देश्य वर्तमान विधि की बुराइयों को दूर करना था। उदाहरण

के लिये में बता दूं कि कुछ मामलों में क्लब-बिल तथा बच्चों की स्कूल फीस समवायों द्वारा दी जाती हैं तथा कुछ इस प्रकार के भी उदारहण हैं कि किसी व्यक्ति का वेतन तो ५०० रुपये मासिक है तथा उसको मनोरंजन भत्ता २,३०० रुपये मासिक मिलता है। बड़ी ही अजीब स्थिति है। इस प्रकार की बुराइयों को अवश्य हटाया जाना चाहिये। इसलिये हमने यह निश्चित किया कि इस प्रकार की परिलब्धियों अथवा भुगतानों को, जो उस पद पर, नियुक्ति के कारण ही प्रासंगिक रूप से मिलते हैं, एकदम नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये। यह ठीक है कि इनको करों के द्वारा एकदम बन्द करना असम्भव है क्योंकि इन परिलब्धियों पर देय-कर की रकम के अनुसार कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करने से हम किसी नियोजक को बाध्य नहीं कर सकते। इस विषय पर पूर्णतया विचार करके तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वर्तमान पद्धति में कोई गड़बड़ी न हो, मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि वर्तमान व्यवस्था में निम्नलिखित छूट देना आवश्यक है।

सबसे पहले, कर्मचारी तथा उसके परिवार को छुट्टी में घर जाने के लिये दी गयी मुफ्त यात्रा सुविधा पर एक सीमा तक कोई कर नहीं लगेगा। हमारा विचार है कि इसके लिये उपयुक्त नियम बनाये जाने चाहियें। यह निश्चित है कि यह नियम उन व्यक्तियों के लिये होंगे जिन के घर इस देश में नहीं हैं पर वह यहां आये हुए हैं।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर): क्या इस संबंध में हम कोई विशेष व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री सी० डी० देशमुख: मैं यही तो बता रहा हूं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ये नियम वर्तमान ठेकों के लिये ही हैं तथा उन व्यक्तियों के मामले में जिनके घर इस देश में नहीं हैं उनके लिये वही रियायतें हैं जो प्रविधिविज्ञों के लिये हैं।

दूसरा प्रश्न मनोरंजन भत्ते के संबंध में है। जिन व्यक्तियों को पहले यह मनोरंजन भत्ता मिलता रहा है उनके वेतन में २० प्रतिशत की कटौती जिनकी अधिकतम रकम ७,५०० रुपये तक हो सकती है दी जायेगी। भत्ता प्राप्त करने वाले नये व्यक्तियों को इस प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। इस छूट के परिणामस्वरूप वेतन क्रम में ही कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा, और हमें आशा है कि यह सुविधा धीरे धीरे अपने आप ही कम होती जायेगी।

अन्य परिलब्धियों के संबंध में मेरा यह विचार नहीं है कि उनका बहुत सूक्ष्म मूल्यन किया जाये। छोटी-छोटी सुविधाओं जैसे चिकित्सा सुविधायें देना, मालिक की संपत्ति के प्रबन्ध के लिये नौकरों की नियुक्ति, व्यवसाय के लिये गाड़ियों के प्रयोग आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा तथा इसके संबंध में कार्यपालिका को उपयुक्त आदेश दे दिये जायेंगे। बिना किराए के मकानों की व्यवस्था के सम्बन्ध में मूल्यांकन की व्यवस्था हो जैसे जब मकान सुसज्जित न हो तो निवासी की आय का १० प्रतिशत तथा सुसज्जित मकान के लिये १२·५ प्रतिशत लागू रहेगा।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): क्या यह संसद् सदस्यों पर भी लागू होगी?

श्री सी० डी० देशमुख: मेरे विचार से उनको और भी अधिक सुविधायें मिली हुई हैं। दिये गये निवास स्थान तथा नियोजक द्वारा दिये गये किराये की उपयुक्तता के अनुसार यह लागू रहेगा।

कर बढ़ाने की अन्य प्रस्थापनाओं के संबंध में मैं दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रथमतः प्रबन्धक अभिकरणों अथवा इस प्रकार के अन्य व्यापारिक समझौतों की समाप्ति पर मिलने वाले प्रतिकर पर अब कर लगाया गया है। अभी तक इनको छूट मिली हुई थी, इसलिये

[श्री सी० डी० देशमुख]

व्यवस्थित सामवायों के संशोधनों को कम करके प्रबन्धक अभिकरण की हानि को पूरा करने के लिये बहुत से उपाय काम में लाये गये हैं। कुछ दिन पूर्व बम्बई उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के व्यापार को 'उच्च वित्त उच्चतम स्थान पर' बताया था। अब इस प्रकार के भुगतानों पर कर लगेगा। मेरे विचार से अब प्रबन्धक अभिकरणों के ठेके समाप्त करने की आवश्यकता इतनी तीव्रता से अनुभव नहीं की जायेगी।

दूसरे, सहकारी बीमा समितियों पर भी इसी प्रकार से कर लगेगा जिस प्रकार से पारस्परिक बीमा संस्थाओं के लाभों पर लगता है। इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है इसलिये एक पर कर लगाना तथा दूसरे को छूट देना न्यायपूर्ण नहीं है। कर विमुक्ति विषयक उपबन्धों के संबंध में मेरा विचार—आवास संपत्तियों, जिन पर स्वामी का या किसी अन्य व्यक्ति का क़ब्ज़ा हो, प्रतिभूतियों तथा लाभांशों के सूद के मामले में, बैंकों के अतिरिक्त अन्य अभिकरणों को दिये जाने वाले समाहरण शुल्कों के दिये जाने, अपने कार्य के सम्बन्ध में क्रय की गई पुस्तकों पर किये गये व्यय के विषय में वेतन-भोगियों को अधिकतम ५०० रुपये की छूट दिये जाने इत्यादि के सम्बन्ध में अधिक ब्यौरा बता कर सभा को—परेशान करने का नहीं है।

परन्तु मैं सहकारी समितियों को दी गई सुविधा के सम्बन्ध में जैसे प्रतिभूतियों के सूद से तथा, समिति द्वारा गोदाम तथा मकानों को किराये पर उठाने से, यदि यह आय २०,००० रुपये से कम हो, तथा अन्य सहकारी समितियों में अपना विनियोजन करने से, हुई आय पर कर में दी गई छूट के विषय में मैं कुछ कहूंगा। मुझे आशा है कि कर सम्बन्धी इन रियायतों से छोटी सहकारी समितियों को सहायता मिलेगी तथा उनको देहातों में वस्तुओं का विक्रय करने तथा गोदाम बनाने की सुविधा प्राप्त होगी।

व्यापार तथा उद्योग के सम्बन्ध में जैसा कि सभा को ज्ञात है तथा जिस पर चर्चा भी हुई है, सब से महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि कुछ प्रकार के संयंत्रों तथा मशीनरी पर २० प्रतिशत की आवश्यक छूट के स्थान पर २५ प्रतिशत के विकास-अवहार की व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैंने बताया, सभा में इस पर चर्चा हो चुकी है तथा मैंने इस सम्बन्ध में की गई आलोचना का उत्तर देने का भी प्रयत्न किया था। इस समय मैं केवल इतना ता देना चाहता हूं कि मुझे आशा है कि उद्योग इस महत्वपूर्ण रियायत का बहुत लाभ उठायेगा तथा देश की औद्योगिक क्षमता को विकसित करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस समय हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में हमारी योजना सम्बन्धी प्रत्येक मद पूर्णतया निश्चित हो चुकी है। समय की आवश्यकतायें होती हैं, तथा हम सब इस बात पर सहमत थे कि देश के उद्योगों की वृद्धि होनी चाहिये। इसलिये मेरा विचार है कि इस वर्ष जो यह रियायत हमने दी है इसके परिणामों को गंभीरतापूर्वक देखा जाना चाहिये।

दूसरी महत्वपूर्ण रियायत यह है कि व्यापार में हुई हानि को दिखाने तथा उसे समाप्त कर देने के लिये दी गई छः वर्ष की समय सीमा को हटा देने का विचार है। इसके अतिरिक्त यह भी रियायत देने का विचार है कि इस प्रकार की हानि को न केवल आने वाले वर्षों के लाभ में से ही पूरा किया जा सकता है बल्कि अन्य व्यापारों में हुए लाभों में से भी इसे पूरा किया जा सकता है, केवल शर्त केवल यह है कि जिस व्यापार में हानि हुई हो

वह व्यापार उन वर्षों में भी चलाया जाता रहा हो। सट्टे अथवा फाटके में हुए लाभ तथा हानियां अलग श्रेणी में ही रहेंगे।

अब मैं सब से महत्वपूर्ण विषय धारा २३क के सम्बन्ध में कुछ कहता हूं। समाचार पत्रों में इसकी बहुत आलोचना हुई है तथा मुझे व्यापारियों से अनेक प्रतिनिधान भी मिले हैं। अधिनियम की यह धारा बहुत उलझी हुई है। तथा मैं संशोधन और जिन परिवर्तनों को मैं अब करना चाहता हूं उनकी उप-लक्षणाओं को ब्यौरेवार स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

आयकर विधि के अधीन जब तीन अथवा चार व्यक्ति एक सार्थ बना कर कोई व्यापार करते हैं, तो उस सार्थ का लाभ, वर्ष के अन्त में, अपने अपने भाग के अनुसार विभिन्न भागीदारों में वितरित कर दिया जाता है तथा इस प्रकार प्राप्त हुई आय पर प्रत्येक व्यक्ति से उसका व्यक्तिगत दरों के अनुसार कर लिया जाता है। परन्तु यदि वही व्यापार कोई समवाय करती है जिसके ये व्यक्ति सदस्य हों, तो व्यापार के लाभ पर, कर व्यक्तियों पर नहीं अपितु स्वयं समवाय पर लगेगा? यदि धारा २३क न होती तो समवाय अपने लाभ पर समवाय की दरों के अनुसार कर देना होता जोकि उच्च व्यक्तिगत आय पर देय कर से बहुत कम है तथा इस प्रकार शेष धन समवाय का हो जाता।

समवाय-विधि का इन थोड़े से व्यक्तियों के सम्पूर्ण नियंत्रण में होने के कारण इस प्रकार भी उपयोग किया जा सकता है कि दिखाया यह जाये कि इन लोगों ने समवाय से ऋण तथा अग्रिम दान लिये हैं और उसका उपयोग इन लोगों द्वारा अपने निजी खर्च के लिये दिया जाये, इसी प्रकार यह समवाय के नाम से अपना व्यक्तिगत व्यापार भी चला सकते हैं। इस प्रकार यह लोग उचित कर का भुगतान दिये बिना ही अपना व्यापार चला सकते हैं। धारा २३क का उद्देश्य इस बात को रोकना है कि जिन का समवाय में नियंत्रण-कारी हित है वे इस प्रकार अनुचित लाभ न उठाने पायें। दूसरी तरफ इस धारा का उद्देश्य है कि जो समवाय थोड़े से व्यक्तियों के नियंत्रण में हों, उसे अपने लाभ का ६० प्रतिशत लाभांश के रूप में बांट देना पड़ेगा जिससे कि धनी अंशधारियों से अधिकार प्राप्त किया जा सके। जब समवाय की रक्षित निधियां अंश पूंजी या आस्तियों के मूल्य से भी आधिक हो, अधिक हो जायें तो उसे ऐसी निधियों को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और उसे अपने सम्पूर्ण भावी लाभ को वितरित कर देना होगा।

अब प्रश्न यह है कि यह उपबन्ध किस प्रकार के समवाय पर लागू होंगे। अभी तक यह ऐसे समवायों पर लागू होते थे जिसके अंशों में से २५ प्रतिशत से कम अंश, समवाय के लेखा-वर्ष के अन्तिम दिन, जनता के हाथ में होते थे। कई प्रकार से समवाय इस उपबन्ध का अपवचन करते थे। एक विधि उसकी यह भी थी कि लेखा-वर्ष के अन्तिम दिन, कुछ अंश, अस्थायी रूप से ऐसे व्यक्तियों के नाम कर दिये जाते थे जो अपनी गिनती जनता में करते थे। अब उपबन्ध यह बनाया जा रहा है कि यह ऐसे समवायों पर लागू हो जिसके ५० प्रतिशत या उससे अधिक अंश छः से कम व्यक्तियों के हाथ में हों। इस प्रकार अब बहुत से समवायों को वितरण किये जाने वाले लाभ का कम-से-कम ६० प्रतिशत बांट देना पड़ेगा और इन समवायों के बहुत से अधिक धनी अंशधारियों को ऐसे लाभांशों पर अधिकार देना पड़ेगा।

कुछ अन्य परिवर्तन भी किये गये हैं जैसे कि यदि इस प्रकार लाभ का वितरण न किया जाये तो उसके कर का भार समवाय पर रहेगा न कि अंशधारियों पर। कुछ ऐसे खर्चों की ओर भी ध्यान दिया जायेगा जो वास्तव में

[श्री सी० डी० देशमुख]

किये जाते हैं पर आयकर के प्रयोजनों के लिये स्वीकृत नहीं होते हैं। रक्षित-धन के आधार पर बोनस-शेयर जारी कर के उत्पन्न की जाने वाली पूंजी, यह निर्णय करने के लिये कि शतप्रतिशत नियम लागू हों या नहीं, पूंजी नहीं समझी जायेगी।

इस उपबन्ध की मुख्य आलोचना यह की गई है कि इस उपबन्ध के कारण लाभ-पूंजी के रूप में उद्योग में फिर से विनियोग किये जाने में बाधा उत्पन्न होगी। यह बात पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि एक बार जब रक्षित-निधि वास्तव में, समवाय की स्थायी आस्तियों में बदल जाती है तो नई आस्तियों के मूल्य के बराबर नई रक्षित-निधि को धीरे-धीरे एकत्रित करने में कोई बाधा नहीं रहती। इसमें कोई सन्देह नहीं कि लाभ वितरण का नियम लागू कर के हम रक्षित-निधि की उस अधिकतम-राशि का जो एकत्रित की जा सकती है तथा जिस गति से रक्षित निधि एकत्रित की जा सकती है, दोनों का विनियमन करेंगे।

केवल इसलिये कि किसी समवाय की रक्षित निधि केवल कुछ व्यक्तियों के ही नियंत्रण में है, यह आवश्यक नहीं है कि उसका लाभ उद्योग में पूंजी के रूप में दुबारा विनियोजित हो जायेगा या अन्य रूप से उसका उचित उपयोग किया जायेगा। ऐसी रक्षित-निधियों के वास्तविक मालिकों द्वारा वास्तविक व्यक्तिगत दरों के अनुसार करों का भुगतान न किये जाने से रक्षित निधि के एकत्रित होते रहने के कारण सम्पत्ति तथा आर्थिक सत्ता जब व्यक्तियों के हाथ में एकत्रित हो जाती है जब तक रक्षित-निधियों के खर्च किये जाने पर कोई नियंत्रण नहीं किया जाता है तथा सम्पत्ति के कुछ व्यक्तियों के हाथ में एकत्रित होने की रोकथाम करने के अन्य तरीके नहीं निकाले जाते हैं उस समय तक उन रक्षित-निधियों पर, जो ऐसे समवायों द्वारा एकत्रित की जाती हैं जो थोड़े से व्यक्तियों के नियंत्रण में ह, कुछ कुछ प्रतिबन्ध रहना चाहिये।

इसलिये मुझे सन्तोष है कि धारा २३-क का मुख्य संशोधन न्यायोचित तथा आवश्यक है। यह हो सकता है कि कोई समवाय अभी हाल ही में बनाया गया हो, या इस पर औद्योगिक वित्त निगम जैसे निकाय का बहुत भारी ऋण हो, या उस के अंश कुछ व्यक्तियों द्वारा हथिया लिये गये हों, तो ऐसी दशा में असाधारण व्यवहार की आवश्यकता है। इसीलिये मैं यह उपबन्ध बना रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति में आयुक्त को शक्ति प्राप्त होगी कि वह ६० प्रतिशत से कम वितरण कराये।

यह सुझाव दिया गया है कि २५ प्रतिशत के स्थान पर ५० प्रतिशत वाला परिवर्तन कर इस धारा के प्रभाव-क्षेत्र में जो विस्तार किया गया है वह औद्योगिक समवायों के लिये बहुत कठोर है और अब उनकी वर्तमान विकास योजनाओं में रुकावट डालेगा। इसलिये यह परिवर्तन शनैः शनैः किया जाये। यह बात किसी सीमा तक ठीक है, इसीलिये अब मैंने उपबन्ध बनाया है कि उन पर धारा २३क तभी लागू होगी जब कि उनके ६० प्रतिशत से अधिक अंश छः व्यक्तियों से कम के हाथ म या नियंत्रण में हों। विशेष परिस्थितियों में भी अन्य समवायों के समान आयुक्त के आदेशों से अपना वितरण कम करा सकती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें आयुक्त के कम-से-कम सह-सचिव के पद वाले दो सरकारी अधिकारियों के, निर्देशक बोर्ड विनिश्चय के विरुद्ध (बोर्ड आफ रेफरीज) के सामने अपील करने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

धारा २३क वाले समवायों द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिम अनुदानों के सम्बन्ध

में वित्त विधेयक में उपबन्ध है कि समवाय के एकत्रित लाभ से अंशधारियों को दिये गये ऐसे ऋण लाभांश समझे जायेंगे। १९५४-५५ के अन्त में अदा न किए गये ऋणों का जहां तक सम्बन्ध है, यदि वे एक वर्ष से अधिक की अवधि से अदा नहीं किये गये हैं तो पूरा कर लिया जायेगा और यदि वे एक वर्ष से कम समय से देय हैं तो केवल आयकर लिया जायेगा।

अब मैं उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में कहूंगा। इस सभा में तथा राज्य-सभा दोनों जगह आयव्ययक सम्बन्धी सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि मैंने अभी अन्तिम निर्णय नहीं किये हैं और जो भी सुझाव इस सम्बन्ध में दिए जायेंगे उन पर मैं विचार करूंगा। कुछ रियायतों की घोषणा मैंने उसी समय कर दी थी। उसके बाद मैंने बहुत से प्रतिनिधि मंडलों से भेंट की है तथा मंत्रालय से अधिकारियों ने भी बहुत सी सामग्री एकत्रित की है। इसलिए अब मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह इन सब पर ध्यान देने के बाद दे रहा हूं।

सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसका मैं सुझाव दे रहा हूं यह है कि बिजली के बल्ब, बिजली के पंखे, रोगन तथा वार्निश तथा कागज के यथामूल्य शुल्क विशिष्ट शुल्कों में बदल दिये गये हैं। अनुभव से पता चला है कि ऐसी वस्तुओं पर यथामूल्य दरें लागू करने से बहुत कठिनाइयां होती हैं। इन वस्तुओं में प्रतियोगिता इतनी अधिक है कि इनके मूल्य बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। मूल्यों के स्थायी होने पर भी इनके विपणन के तरीके ऐसे हैं जिनसे कि बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं जैसे कि इनके थोक वाले मूल्य इस प्रकार निकाले जाते हैं कि इनके फुटकर दाम में सारे देश में समानता हो सके। इस के लिए एक "औसत भाड़ा" मूल्य में जोड़ा जाता है जिसका भुगतान उस समय भी करना पड़ता है जबकि माल कारखाने में ही लिया जाय। इस परिवर्तन से यह सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

विशिष्ट शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के लिए सामग्रियों को ऐसी श्रेणिओं में बांटा गया है जो विस्तृत तथा सुनिश्चित हैं तथा प्रत्येक श्रेणी की दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं कि शुल्कों का वितरण अधिक से अधिक समानता के साथ किया जा सके। दूसरी बात यह है कि शुल्क-भार जितना पहले था उतना ही रखा गया है, अर्थात दस प्रतिशत यथामूल्य। तीसरी बात यह है कि छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वालों को ऐसी परिस्थितियों में जहां उनको प्रतियोगिता के कारण घाटा सहन करना पड़ता है या अन्य किसी कारण से जिन में शुल्क के भुगतान करने की क्षमता नहीं है शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। दूसरे परिवर्तन सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में किये गये हैं। कपड़े का वर्गीकरण जैसा कि स्थायी, १९५५ से पहले होता था, फिर चार वर्गों में किया जायगा—अतिउत्तम, उत्तम, मध्यम तथा मोटे किस्म का। सूती वस्त्रों की परिभाषा में भी आवश्यक रूपभेद किया जायेगा जिससे कि वर्गीकरण सूत के औसत नम्बर के आधार पर किया जाये। अति उत्तम कपड़े पर कर की दर ढाई आने प्रति वर्ग गज के स्थान पर दो आने प्रति वर्ग गज कर दी जायेगी। उत्तम कपड़े का शुल्क बढ़ा कर पांच पैसे प्रति वर्ग गज कर दिया गया है जो लगभग उतना ही है जितना कि १ मार्च, १९५५ के पहले छः पैसे प्रति देशीय-गज के हिसाब से होता था।

जहां तक हाथकरघा उपकर का सम्बन्ध है उसका भी आधार उत्पादन शुल्क के समान प्रति देशीय-गज के स्थान पर प्रति वर्ग गज कर दिया गया है।

ऊनी वस्त्रों के उत्पादन शुल्क को मैंने दस प्रतिशत के स्थान पर ६$^{1}/_{4}$ प्रतिशत यथा-

[श्री सी० डी० देशमुख]

मूल्य कर दिया है। मेरा यह भी सुझाव है कि पांच करघों से कम रखने वाले निर्माता शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिये जायें। इस सम्बन्ध में मैं कराधान जांच आयोग की इस सिफारिश को लागू करने पर विचार कर रहा हूं कि मोटे कम्बल तथा इसी प्रकार की वस्तुयें जो गरीब व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं उत्पादन शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दी जायें। प्रशुल्कों के सम्बन्ध में भी, कटपीस, हल्के तथा भारी कम्बलों, तथा अन्य 'फ्लैट' ऊनी वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य ऊनी वस्त्रों पर शुल्क नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार हाथकरघे से तैयार होने वाले कम्बलों तथा अन्य वस्तुओं पर शुल्क नहीं लिया जाता है। इस रियासत को और अधिक विस्तृत रूप देने के लिए मेरा सुझाव है कि कार्यपालिका अधिसूचना के द्वारा दस रुपये से कम मूल्य वाले मोटे कम्बलों तथा कमलियों को शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया जाये।

अब बिजली की बैटरियों के सम्बन्ध में बैटरियों की परिभाषा में बिजली की बैटरियों के हिस्से भी शामिल किये गये हैं। सभा को स्मरण होगा कि हिस्सों को जोड़ कर बैटरी बनाने वाले छोटे व्यापारियों को पहले ही रियायत घोषित कर दी गई है। ये छोटे व्यापारी उद्योग के संगठित भाग के साथ बहुत ऊंचे स्तर पर कुल उत्पादन के लगभग २५ से ३० प्रतिशत तक को पूरा करते हैं।

इस प्रकार हिस्सों पर भी शुल्क लगाना उचित है किन्तु शुल्क इस प्रकार लगाया जायगा जिससे कि उसका दुबारा भुगतान न हो सके। पुर्जे जोड़ने वाला एक छोटा व्यापारी जो स्वतः शुल्क से मुक्त होगा, वे हिस्से खरीदेगा जिन पर शुल्क दिया जा चुका हो जब कि उत्पादन शुल्क देने वाले निर्माता केवल तैयार उत्पादन पर ही शुल्क देंगे।

अन्य दो आरोप हैं। एक तो, जोड़ने वाले छोटे व्यापारियों की वर्तमान रियायत के बारे में है। यह देखा गया है कि यह रियायत इतनी अधिक है कि तुलनात्मक लाभ मिलता है और इस रियायत के जारी रखने से संगठित कारखानों की स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा और अवांछित परिणाम होंगे। वास्तव में यह रियायत बैटरियों के हिस्से जोड़ने वाले उन बहुत छोटे व्यापारियों और मरम्मत करने वालों को दी गई थी जो अपने कारखानों में तीन या चार आदमियों से अधिक नियुक्त नहीं करते। अतः यह परिवर्तित किया गया है जिससे कि यह पांच या उससे कम आदमी नियुक्त करने वाली संस्थाओं तक सीमित रह सके और अधिसूचना द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

दूसरी एक नई रियायत है। यह स्टेशनरी" बैटरियों के सम्बन्ध में है। ये बिजलीघरों, टेलीफोन एक्सचेंजों आदि में काम में लाई जाती हैं। ये भारी और अवहनीय होती हैं और पूंजी उपकरणों के रूप में होती है। वे देश में नहीं बनाई जाती हैं। किन्तु साधारणतया छिटपुट हालत में आयात की जाती हैं और भारत में जोड़ी जाती हैं ये बैटरियां कार्यपालिका अधिसूचना द्वारा शुल्क से मुक्त की जा रही हैं।

अब बिजली की रोशनी के बल्ब के सम्बन्ध में यह प्रस्थापित किया जाता है कि बहुत छोटे बल्बों को जो फ्लैश लाइट, मोटर गाड़ियों, टेलीफोन एक्सचेंजों आदि में काम में लाये जाते हैं, शुल्क से मुक्त कर दिया जाय। इन बल्बों का उद्योग अभी विकास की प्रारम्भिक स्थिति में है और इसे आयातों से, जो देश की अधिकतर मांग को पूरा करते हैं, कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ती है

यह विमुक्ति एक कार्यापालिका अधिसूचना के जरिये कार्यान्वित की जा रही है ।

बिजली के पंखों के सम्बन्ध में, मेरी यह प्रस्थापना है कि बिजली के पंखे के कुछ भाग अर्थात् पूरी मोटर और उस के मुख्य दो अंग रोटोर और स्टेटोर पर भी शुल्क दिया जाना चाहिये । यह परिवर्तन इसलिये किया गया है कि अंशतः फुटकर पुर्जों का भी कुछ व्यापार होता है और अंशतः राजस्व का वर्तमान अपवंचन भी रोका जा सके । पंखों के मूल्य में मोटर का मूल्य अधिकांश भाग होता है और इस लिये अन्य भागों की उपेक्षा की गई है ।

रोगन और वार्निश के सम्बन्ध में, मेरी मूल प्रस्थापना के अनुसार रोगन और वार्निश केवल एक ही शीर्ष के अन्तर्गत आते हैं । यदि उनके निर्माण सम्बन्धी किसी क्रिया में शक्ति का उपयोग किया जाता था, तो शुल्क भी लागू होता था । मूल्यानुसार शुल्क को निश्चित शुल्क में परिवर्तन करने से, रोगन को वार्निश से अलग कर दिया गया है और प्रशुल्क में कई कई उपशीर्ष बनाये गये हैं । शुल्क की दर निर्धारित करने में बड़ी संस्थापनाओ को मध्यम प्रकार की संस्थापनाओं से अलग कर दिया गया है और फिर उन्हें कुटीर अथवा छोटे पैमाने की इकाइयों से जिन्हें विमुक्त किया गया है, अलग किया गया है । इस नवीन वर्गीकरण को दृष्टि में रखते हुए और इस कारण भी कि बड़ी संस्थापनाओं में जहां तक वार्निश का सम्बन्ध है शक्ति का उपयोग नहीं करतीं, शक्ति के उपयोग की कसौटी को समाप्त कर दिया गया है । रोगन के सम्बन्ध में विमुक्ति की सीमायें काफी ऊंची रखी गई हैं जिससे कि छोटी इकाइयां, जो शक्ति का उपयोग नहीं करतीं, उसके क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायं ।

श्री के० के० बसु : वे छोटी इकाइयां जो शक्ति का उपयोग करती हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : वे भी, दोनों ही विमुक्त की जायगी : हम ने उन का वर्गीकरण किया है जो शक्ति का उपयोग करती हैं और नहीं करती हैं ।

डा० कृष्णास्वामी (कांचीपुरम्) : क्या आप उत्पादन के वार्षिक मूल्य की गणना कर रहे हैं ? क्या वह आधार है, जैसे कि साबुन के मामले में है ?

श्री सी० डी० देशमुख : परिमाण अथवा संख्या के अनुसार इसी प्रकार का मिलता जुलता आधार . . . .

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : कर्मचारियों की संख्या छोटी इकाई के लिये तीस अधिकतम है ।

श्री सी० डी० देशमुख : कर्मचारियों की संख्या और उत्पादन के परिमाण में अवश्य ही कुछ संबंध है ।

डा० कृष्णास्वामी : मैं वाद-विवाद का अधिक पूर्ण स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह आगे किया जायेगा ।

कागज के सम्बन्ध में, यह प्रस्थापित किया जाता है कि स्ट्राबोर्ड को शुल्क से मुक्त किया जाय । स्ट्राबोर्ड उत्पादन करने वाली अधिकतर इकाइयों में छोटे उत्पादनों की इकाइयां हैं जो कुल ३१,००० टन में से १३,००० टन का उत्पादन करती हैं । उनके कार्य स्थानीय मांग तक सीमित होते हैं । वे भंडार के लिये निर्माण नहीं करते । लाभ-सीमायें तुलना में कम होती हैं । मांग की कमी के कारण उद्योग अपनी वार्षिक निर्धारित उत्पादन क्षमता के आधे तक उत्पादन करने के लिये बाध्य है । इन विचारों को दृष्टि में रखते हुए शुल्क लगाना हमें अन्यायोचित नहीं मालूम होता ।

मूल वित्त विधेयक में दी गई परिभाषा के अनुसार अखबारी कागज को कागज की

[श्री सी० डी० देशमुख]

परिभाषा से निकाल दिया गया था और परिणामस्वरूप शुल्क भी नहीं लगाया जाता था। अब भी अखबारी कागज के तौर पर काम में लाया जाने वाला कागज उत्पादन शल्क का भार नहीं उठा सकेगा। अतः मूल प्रस्थापनाओं में कतिपय परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है जिससे कि इस प्रकार कार्य में न लाया जाने वाले कागज को अनुचित रियायत न मिले। यह देखा गया है कि आयातित और देशी अखबारी कागज को सस्ते छपाई-कागज के तौर पर पर्याप्त परिमाण में काम में लाया जाता है और इस प्रकार देश में बनाये जाने वाले छपाई-कागज के साथ प्रतियोगिता होती है। विशेष-रूप से घटाये गये आयात शुल्क पर मंगाये गये अखबारी कागज का दुरुपयोग रोकने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जहां तक देशी अखबारी कागज का सम्बन्ध है यह प्रस्थापना की जाती है कि प्रशुल्क द्वारा दी गई विमुक्ति वापस ले ली जाये किन्तु ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थायें की जायें जिससे कि समाचार संस्थापनाओं को दिया जाने वाला कागज उत्पादन-शुल्क के बोझ से मुक्त हो जाये।

उत्पादन-शुल्क में किये गये परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सीमा-शुल्कों में कतिपय परिवर्तन आवश्यक होंगे। सिलाई मशीनों पर उत्पादन-शुल्क के रद्द कर देने से, प्रशुल्क की दर ७२(११) के अधीन सिलाई मशीनों पर समप्रभावोत्पादक आयात शुल्क समाप्त हो जायगा। बिजली के पंखे और बैटरियों के हिस्सों पर उत्पादन-शुल्क के बराबर अधिक आयात-शुल्क लगा कर बिजली के पंखे और बैटरियों के भागों की गणना करने के लिये उपबन्ध बनाया जायगा। उत्पादन के परिमाण के अनुसार कुछ वस्तुओं पर अब उत्पादन-शुल्क लगाया जा सकेगा और जहां विभिन्न दरें वर्तमान हैं वहां समप्रभावोत्पादक आयात-शुल्क के उद्देश्यों के लिये उच्चतम दर ली जायगी।

अभी प्रस्थापित पवितर्नों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करने के अपने आशय की सूचना मैंने पहले ही दे दी है।

अब मैं प्रस्थापनाओं के वित्तीय प्रभाव की विवेचना करूंगा। जहां तक आयकर का संबंध है, दर के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आयकर विधि के अन्य उपबन्धों के सम्बन्ध में मैंने अपने मूल आय-व्ययक में राजस्व को महत्व नहीं दिया है। अभी प्रस्थापित परिवर्तनों से यह स्थिति नहीं बदलेगी। उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में, मूल प्रस्थापित वृद्धिगत शुल्कों से कुल राजस्व का अनुमान १७·७ करोड़ रुपये लगाया गया था। इसमें से, मोटे और मध्यम प्रकार के कपड़े पर शुल्क को अपने मूल स्तर पर लाने के कारण दस करोड़ रुपये की कमी होगी। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि मैंने किसी को यह कहते सुना है कि ये बहुत मामूली रियायतें हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि मोटे और मध्यम कपड़े पर शुल्क को कम करने के कारण राजस्व में दस करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन): अगर एक पांच गज लम्बी कोर्स या मीडियम क्लाथ की धोती हो, तो उस पर क्या टैक्स पड़ेगा ?

श्री सी० डी० देशमख : वह क्या है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर): इनका सवाल यह है कि मीडियम या कोर्स क्लाथ की पांच गज की धोती पर क्या टैक्स लिया जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : वह चौड़ाई आदि पर निर्भर है। इस समम वह छः पाई प्रति वर्ग गज है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या धोतियां मुक्त हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं। बात यह है कि मैं ने जो वृद्धि प्रस्थापित की थी उसे मैंने कम कर दिया है। मूल दर अब भी वही है। परन्तु उसके रेखीय गज के अनुसार होने के बजाय, वह अब प्रति वर्ग गज के अनुसार है पर दर वही है। माननीय सदस्य के प्रश्न के सम्बन्ध में यदि चौड़ाई ३६ इंच हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेखीय गज भी वही है और वह प्रति वर्ग गज से इतना ही पड़ेगा। किन्तु मैं निश्चित रूपसे नहीं मानता कि ५ गज की सभी धोतियों के लिए ३६ इंच ही निर्धारित है या नहीं।

अब मेरे प्रस्थापित परिवर्तनों में से दो जो, राजस्व में वृद्धि करते हैं, महीन कपड़े पर शुल्क में वृद्धि और रेखीय गज के अनुसार नहीं बल्कि वर्ग गज के आधार पर हाथकरघा उपकर के सम्बन्ध में हैं। अन्य परिवर्तनों के कारण होने वाले राजस्व संबंधी छोटे प्रभावों को ध्यान में रखते हुए मैं अब यह प्रस्थापना करता हूं कि शुल्क का कुछ अतिरिक्त बोझ जो मूल आयव्ययक में १७.७ करोड़ रुपये था, अब ८.८ करोड़ रुपये होगा अर्थात् वह लगभग ५० प्रतिशत छोड़ दिया गया है।

मने अपने मूल आय-व्ययक प्रस्थापनाओं में, वित्त विधेयक की प्रस्थापनाओं को ध्यान में रखने के बाद ८.४७ करोड़ रुपये के राजस्व अन्तर का अनुमान लगाया था। अब परिवर्तनों में मेरे सुझावों को दृष्टि में रखते हुए, यह अन्तर १७.३५ करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगा। राजस्व आय-व्ययक में अब इतनी ही कमी है जो पूरी नहीं की गयी है।

मैंने सावधानी से इस पर विचार किया है कि इस विस्तृत अन्तर को अंशतः पूरा करने के लिये अन्य कराधान उपाय लागू किये जाने चाहियें अथवा नहीं। सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस समय कोई अतिरिक्त बोझ लादना वांछनीय नहीं होगा और इसलिये मुझे इस कमी को इतना ही छोड़ देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डा० कृष्णास्वामी (कांचीपुरम्) : मैं आप से और वित्त मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है और उत्पादन शुल्कों का मूल आधार ही बदल दिया गया है, अतः हम वादविवाद स्थगित करना चाहते हैं जिससे कि हमें संशोधनों और उनकी प्रस्थापनाओं का विस्तृत अध्ययन करने का अवसर मिले। अतः हमारे लिये यह बिल्कुल असंभव है कि हम सीधे वाद-विवाद में भाग लें और कुछ लाभदायक अंशदान कर सकें।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : मैं सुझाव प्रस्तुत करता हूं कि हम आज इस पर चर्चा नहीं कर सकते और इसलिये हम आज वाद–विवाद स्थगित कर दें। जहां तक आयकर का सम्बन्ध है खंड प्रणाली के विषय को छोड़ कर पूरी चीज बदल दी गयी है उत्पादन शुल्कों में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। अतः मैं चाहता हूं कि आज हम चर्चा को स्थगित कर दें और कल इस पर चर्चा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह सुझाव दूंगा। अनेक ऐसे माननीय सदस्य हैं जो चीन से पेरु तक की प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न बातों

[उपाध्यक्ष महोदय]

के सम्बन्ध में बोलेंगे, न कि किये गये इन विशिष्ट परिवर्तनों के सम्बन्ध में। मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा और सभा की कार्यवाही को चालू रखूंगा। अन्य माननीय सदस्य इस बीच इस विषय का अध्ययन कर सकते हैं। संभव है कि कुछ माननीय सदस्य इस सभा तथा सरकार के ध्यान में किन्हीं विशेष कठिनाइयों को लायें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : केवल कुछ शुल्कों में कमी की गई है। विधेयक जैसा था वैसा ही है।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मेरी प्रार्थना है कि वित्त मंत्री के भाषण की एक प्रति हमें दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधनों की प्रतियां माननीय सदस्यों को परिचालित कर दी जायेंगी।

श्री सी० डी० देशमुख : केवल सीमा-शुल्क सम्बन्धी संशोधन परिचालित नहीं किये गये हैं, शेष परिचालित कर दिये गये हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : केवल शुल्कों में कुछ कमी हुई है। हम कम किये गय शुल्कों पर चर्चा करने को प्रस्तुत हैं। फिर कठिनाई क्या है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : वित्त विधेयक पर तीन बातों को ध्यान में रख कर चर्चा की जानी चाहिये : एक पड़ौस के देश चीन में हो रहे आर्थिक विकास की प्रगति और उस प्रगति को हमारे विकास कार्यक्रमों में हो रही प्रगति से तुलना; दूसरे कराधान जांच समिति की सिफारिशें; तीसरे, पंचवर्षीय योजना। पंच-वर्षीय योजना और पंचवर्षीय योजना और वित्तीय प्रस्थापनाओं के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में काफी चर्चा हो चुकी है और इन बातों को दुहराकर मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं।

चीन में जिस गति से आर्थिक विकास हो रहा है और उसे समस्त संसार प्राप्त परिणामों के आधार पर जांचेगा और यही बात भारत के सम्बन्ध में है। चीन में प्रगति की गति बहुत तीव्र है, उसकी योजना और उसके द्वारा किये गये प्रयोग इस देश को बहुत तेजी से समृद्धता की ओर ले जा रहे हैं और इसका एशिया के अन्य देशों पर प्रभाव पड़ेगा। चीन की आर्थिक योजना तथा विकास कार्यक्रम से भारत की अपेक्षा अधिक सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

डा० गंगाधर शिवा (चित्तूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : माननीय सदस्य स्वयं कितनी बार चीन हो आये हैं और वहां हो रहे विकास कार्य का स्वयं अध्ययन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य किसी देश में हो रही प्रगति की तुलना किसी अन्य देश की प्रगति से करना चाहते हैं तो उन्हें किन्हीं विशिष्ट तथ्यो का निर्देश करना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं केवल यह कह रहा था कि भविष्य में हमारे कार्य प्राप्त परिणामों के आधार पर जांचे जायेंगे। मैं दोनों देशों की तुलना नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के अनिश्चित वक्तव्य देने से कोई लाभ नहीं है, निश्चित बात कही जानी चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादास्वामी : मैं चीन की योजना की तुलना इस देश की योजना से नहीं कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह

रहा हूं कि चीन की योजना हमारी योजना से श्रेष्ठ है अथवा हमारी योजना उसकी योजना से श्रेष्ठ है । मैं तो केवल यह कहता हूं कि समस्त संसार दोनों देशों की प्राप्त परिणाम के आधार पर जांच करेगा ।

श्री बंसल : यह बात तो सभी देशों पर लागू होती है । केवल चीन का उल्लेख करन से क्या लाभ ?

श्री एम० एस० गुरुपादास्वामी : चीन का उल्लेख मैं ने इसलिये किया क्योंकि हमारे विकास कार्यक्रम की चीन के विकास कार्यक्रम से तुलना करने की कुछ प्रवृत्ति सी हो गई है ।

जहां तक वित्त विधेयक का सम्बन्ध है मैं उसकी कुछ प्रस्थापनाओं से सहमत हूं । मैं १९२२ के अधिनियम संख्या ११ की धारा २३ के संशोधन से सहमत हूं । अब किसी कम्पनी के सम्बन्ध म आयकर प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच की जायगी कि किसी सार्वजनिक कम्पनी में उसकी पूंजी का ५० या इससे भी अधिक प्रतिशत भाग पूर्णरुप से जनता का होना चाहिये । दूसरे मतदान की समस्त शक्ति छः या इस से कम व्यक्तियों में ही केन्द्रित नहीं होनी चाहिये । तीसरे परिवार के सदस्यों या नाम निर्देशित व्यक्तियों को अब से केवल एक ही व्यक्ति समझा जायेगा । इसमें कोई बुराई नहीं है । परन्तु बम्बई तथा कलकत्ता के व्यापारिक क्षेत्रों में इस नई धारा को गलत बताया गया है । उनका कहना है कि इससे नये विनियोजन को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । उनका कहना है कि यह धारा दांडिक है, क्योंकि इसमें यह उपबन्ध है कि कम्पनी के अवितरित लाभ में से, यदि वह ४० प्रतिशत से अधिक हुआ तो, रुपये में से चार आने ले लिये जायेंगे ।

वित्त मंत्री ने बताया कि रक्षित पूंजी में से पुनः विनियोजन किया जा सकत है और उपलब्ध रक्षित धन को नये विनियोजन में काम में लाने के बाद नई रक्षित पूंजी बनाई जा सकती है ।

अतः मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि इस धारा का संशोधन किया जाये ।

मैं मानता हूं कि विकास छूट इस आय-व्ययक की एक विशेष बात है । मथाई आयोग ने सिफारिश की थी कि चुने हुए उद्योगों को नया संयंत्र और मशीनरी लगाने के लिये २५ प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिये : पर श्री सी० डी० देशमुख उस सीमा को बढ़ाना चाहते हैं । कराधान जांच आयोग ने भी कहा था कि यह विशेष छूट केवल राष्ट्रीय महत्व से सम्बन्धित उद्योगों को विशेष दशा में दी जानी चाहिये । मैं इसे उचित समझता हूं ।

पर हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि हमारी प्रणाली समाजवादी आधार पर है । अतः यह छट उन छोटे बड़े सभी उद्योगो को मिलनी चाहिये जो नया संयंत्र या मशीनरी लगाते हैं । यदि वह उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो मंत्रालय ने पहले से ही काफी प्रोत्साहन दे रखा है ।

यदि व्यापारियों को सुविधा और प्रोत्साहन ही देना है तो उसके अनेक साधन हो सकते हैं । १९४७ से १९५२ तक २९३ समवायों को आयकर विभाग द्वारा ७७ करोड़ रुपये का अवक्षयण दिया गया । अतः स्पष्ट है कि अनेक व्यापारिक संस्थायें काफी मात्रा में करमुक्त ऋणों का लाभ उठा रही हैं । मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री कराधान जांच आयोग की सिफारिशों का गलत प्रयोग कर रहे हैं ।

उक्त आयोग ने यह भी कहा है कि सम्पदा शुल्क बढ़ा दिया जाय और सम्पदा-शुल्क अधिनियम का संशोधन किया जाय क्योंकि इस अधिनियम का संचालन ठीक नहीं हो रहा है और आय बहुत कम होती है ।

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

कराधान जांच आयोग ने व्यक्तिगत आय की उच्चतम सीमा के सम्बन्ध में भी सिफारिश की है पर हमारे वित्त मंत्री उस के पक्ष में नहीं हैं ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : पक्ष में होंने या न होन की बात नहीं है । यह बातें विचाराधीन हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : भारत में सम्पत्ति की असमानता को दूर करने के लिये व्यक्तिगत आय की उच्चतम सीमा निश्चित करना अति आवश्यक है । अतः मैं कहता हूं कि आयोग की बहुत सी सिफारिशों पर वित्त मंत्री ने विचार नहीं किया है ।

फिर भारत में विदेशी पूंजी का प्रश्न है । इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर ब्रिटिश अमरीकी प्रभाव रहता है । वह अनुपात सें अधिक लाभ भी उठाते हैं । गिलैण्डर्स अर्बथनाट एण्ड कम्पनी, पेरी एण्ड को० तथा बिन्नी एण्ड को० के लाभ की दरें ३०० से ३५० प्रतिशत हैं और हमारे वित्त मंत्री ने इन लाभों की रोकथाम करने की कोई कार्यवाही नहीं की । हमारे प्रधान मंत्री ने बताया कि विदेशी पूंजी के प्रति हमें सहिष्णु होना चाहिये । मैं उसे निकाल बाहर करने की बात नहीं करता, मैं तो केवल यह कहता हूं कि उस पर नियंत्रण रखा जाय ताकि ब्रिटिश अमरीकी प्रभाव हमारे देश की आर्थिक उन्नति में बाधक न बन सके । मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री इस बात पर ध्यान दें ।

अन्त में, व्यक्तिगत आय पर आय-कर में वित्त मंत्री द्वारा किये गये परिवर्तनों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में कही गई बातों का मैं स्वागत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक प्रस्तुत होने के बाद अब तक बहुत से सुझाव परिवर्तन के लिये पेश किये हैं । अतः बहुत से माननीय सदस्य भाषण देन में असमर्थ हैं । माननीय वित्त मंत्री इन परिवर्तनों का एक टिप्पण सदस्यों के पास पहले से ही भेज दें ताकि माननीय सदस्य बोलने से पूर्व तैयारी कर लें । दलों के प्रतिनिधि आज बोल सकते हैं । मैं श्रीमती मायदेव को बुलाऊंगा ।

श्रीमती मायदेव (पूना दक्षिण) : सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन करने के पूव मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करूंगी जिसमें व्यय की कमी करना आवश्यक है या सुलझाने के साधनों पर विचार करना है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

हम देखते हैं कि प्रति वर्ष आय-व्ययक के आंकड़े बढ़ते ही जाते हैं और नये नये कर भी प्रति वर्ष लगाये जाते हैं । १९४९–५०, १९५०-५१, १९५१–५२, १९५२–५३, और १९५३–५४ में क्रमशः ३३ करोड़, ५९ करोड़, १०२ करोड़, १७ करोड़ और १७ करोड़ रुपयों की बचत राजस्व सग्रह में हुई । स्पष्ट है कि सरकार को आशा से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है अतः पान, जूते और चीनी आदि पर से प्रत्येक वर्ष के अन्त में कर क्यों न हटा दिया जाया करे ताकि जनता को थोड़ा संतोष मिल सके ।

यदि हम मूल्यांकन प्रतिवेदन को देखें तो पता लगेगा कि पंचवर्षीय योजना का व्यय प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है । योजनाओं के लिये, १,९३,००० रुपये का उपबन्ध था पर उसमें से केवल १,७८,००० रुपये ही व्यय हुए अर्थात् ९० प्रतिशत पर जनता के

लिये अधिक उपयोगी योजनाओं पर बहुत ही कम व्यय किया गया जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लिये २,५५,००० रुपये में से केवल ४,००० रुपये, सामाजिक शिक्षा के लिये ३३,००० रुपये में से कुछ भी नहीं, संचार के लिये ३४७,००० रुपयों में से केवल ३०० रुपये व्यय किये गये। स्पष्ट है कि ग्रामोन्नति की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। यह आंकड़े गत वर्ष के हैं, पर इस वर्ष भी कुछ अधिक उन्नति नहीं हुई है। अतः हमें इन उपायों पर फिर से विचार करना चाहिये। इसी प्रकार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का भी हाल है। कल्याण विस्तार योजनाओं के प्रगति विवरण में बताया गया है कि ३१ मार्च, १९५५ के समाप्त होने वाले वर्ष में ८११ केन्द्र खोले गये जिनमें ३,४४५ गांव और ३७,१०,४५५ व्यक्ति थे। पर इनमें से ५ या ६ प्रतिशत केन्द्रों के अतिरिक्त शेष केन्द्रों में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अतः इस समय सामुदायिक परयोजनाओं या कल्याण विस्तार योजनाओं की कार्य-प्रणाली में कुछ सुधार करना आवश्यक है।

कुछ मंत्रालयों के व्ययों में भी आधिक्य है जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। इनका एक भाग राज्य सरकारों में भी है। अतः केन्द्र को तो केवल सम्पूर्ण देश के लिये कुछ परियोजना ही चलानी पड़ती हैं फिर भी इन मंत्रालयों का व्यय प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है। देश की खाद्य स्थिति संतोषजनक है फिर भी खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का व्यय गत वर्ष से २ करोड़ रुपये अधिक है। ऐसा क्यों है? खाद्यान्नों की कमी के कारण अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् की स्थापना की गयी थी पर अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि खाद्यान्नों की स्थिति ठीक हो चुकी है। अतः सरकारी धन का अपव्यय नहीं किया जाना चाहिये। स्वास्थ्य मंत्रालय का व्यय भी इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा ४ करोड़ रुपये अधिक है। इसके सम्बन्ध में यह भी बताया गया कि यह अन्य मंत्रालयों के व्ययों से बहुत कम है फिर भी हमें सरकारी धन को सावधानी से व्यय करना चाहिये।

कुनैन की कमी के कारण सिनकोना के पेड़ लगाये गये थे। १९४७ में सरकार ने पेड़ों का लगाना बन्द कर दिया। पर अब भी उन पेड़ों की सिंचाई का व्यय प्रति वर्ष क्यों बढ़ता जाता है? हम विभिन्न विभागों को १७ करोड़ रुपये की दवाइयां देते हैं। फिर भी उनको शिकायत है कि यह दवाइयां बाजार भाव से मंहगी पड़ती हैं। अतः क्यों न मंत्रालय इस वितरण के काम को छोड़ दे और उन्हें बाजार से दवाइयां खरीदने दे। अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अधीन दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिये २८ लाख रुपये व्यय किये जाते हैं। मैं चाहती हूं कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को केवल अखिल भारतीय सहायता के मामलों को लेना चाहिये। २८ लाख रुपये दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों पर व्यय किया जाता है और केवल १० लाख रुपये प्रसूति और शिशु कल्याण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यय किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। सरकारी धन का प्रयोग सावधानी से करना चाहिये। अतः कुछ मंत्रालयों के व्यय में कमी की जा सकती है। यदि कमी न की गयी तो मुद्रा-स्फीति फैल जायेगी।

श्री के० के बसु (डायमण्ड-हार्बर) : मैं मानता हूं कि इस वर्ष कराधान प्रस्थापनाओं में कुछ सुधार किया गया है। पर हमें यह भी ध्यान में रखना है कि उन लोगों को किस हद तक दबाया गया है जिनकी शक्ति, सम्पत्ति और नियंत्रण समाज पर हावी हैं। कराधान प्रस्थापनाओं में जहां तक विवाहित व्यक्तियों के आयकर का संबंध है, उसकी सीमा २,००० रुपये तक की जो छट दी गई

[श्री के० के० बसु]

है वह उचित है । पर अविवाहितों की सीमा कम कर के १,००० रुपये कर दी गयी है । यह ठीक नहीं । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने बताया कि बहुत से देशों में ऐसा ही है । पर विवाहितों के ऊपर काफी उत्तर-दायित्व होते हैं अतः उनके लिये २,००० रुपये की सीमा तो ठीक ही है यदि अविवाहितों की सीमा १,५०० रुपये ही रहने दी जाती तो ज्यादा अच्छा होता । यद्यपि उनके लिये, यह ५० रुपये का अन्तर कुछ भी नहीं तथापि ५०० रुपये से ६०० रुपये प्रति माह कमाने वालों के लिये यह बहुत होता है ।

अब मैं आप का ध्यान कर सम्बन्धी खंड पद्धति की ओर आकर्षित करता हूं यद्यपि वित्त मंत्री के अनुसार ५,००० रुपये से १०,००० रुपये की वार्षिक आय तथा १०,००० रुपये से १५,००० रुपये की वार्षिक आय अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अधिकांश वेतन-भोगी मध्य वर्ग के लोग इसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । भारत में पारिवारिक तथा सामाजिक ढांचे भी अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न हैं । यहां केवल पति-पत्नी ही परिवार में नहीं रहते अपितु अन्य कई सदस्य भी एक ही व्यक्ति पर आश्रित रहते हैं । हमें अमरीका तथा ब्रिटेन में प्रचलित कर-विधियों से तुलना करते समय उक्त अवस्थाओं पर भी ध्यान देना चाहिये ।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, कि यदि आप जनता पर भार डालना ही चाहते हैं तो उन लोगों पर डालिये जो कि देने में समर्थ हैं । हमारे देश के सारा प्रबन्धक अभिकर्ता सार्थों ने, जिनकी चुकता पूंजी लगभग ४ करोड़ है १९५२–५३ में १ करोड़ तथा १९५३–५४ में १,११,००,००० रुपये कमाये । जैसा कि कराधान जांच समिति ने कहा है उनका अंश लाभ १४ प्रतिशत है । हमारे कराधान 'प्रस्ताव इस प्रकार के हों जिससे कि धन कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर न रहे ।' दुर्भाग्य से इनमें से अधिकांश सार्थ विदेशी हैं । इस वर्ग के लोग जो कि बेतहाशा मुनाफा कमा रहे हैं । भला उन पर भार क्यों नहीं डाला जाता है और सर्वसाधारण को छूट क्यों नहीं दी जाती ।

जूट उद्योग के सम्बन्ध में कराधान जांच समिति ने कहा है कि प्रबन्धक अभि-कर्त्ता १४ प्रतिशत से ज्यादा कमाते हैं ।

मैं ने बैंकों में जमा की गई धन राशि के सम्बन्ध में भी कहा था । यह धन राशि बढ़ती जा रही है । अप्रैल, १९५४ में यह राशि ८६८ लाख थी । १९५५ में यह ९६०.३० लाख हो गई है । इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता का एक वर्ग हमारी आर्थिक नीति का पूरा लाभ उठा रहा है तथा धन इनके हाथों में सिमटता जा रहा है । चाय के सम्बन्ध में जब दर केवल ४७४ रुपये थी, चाय के प्रबन्धक अभिकर्त्ताओं को १४ प्रतिशत लाभ हुआ था । आज जब दर बढ़ कर ८४९ रुपया हो गई है तो आप उन के लाभ का अनुमान लगा सकते हैं । दुर्भाग्य से चाय उद्योगों में भी विदेशियों का ही प्रभुत्व है । विदेशियों का इस प्रकार का प्रभुत्व देश तथा आर्थिक सम्पन्नता के हितों के लिये हानिकर है ।

वित्त मंत्री ने अपने कर प्रस्तावों में कई उद्योगों को विकास छूट दी हैं । कराधान जांच आयोग ने केवल ऐसे उद्योगों में जिनसे राष्ट्रीय हित की संभावना हो उनको उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये विकास छूट का सुझाव दिया है किन्तु जूट तथा चाय ऐसे उद्योगों को विकास छूट देना हमारी समझ में नहीं आता । हम चाहते हैं कि यह

विकास छूट न दी जाय । उसका उपयोग देश के हित के अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास में किया जाय ।

अब कुछ उद्योगों को घाटे की पूर्ति के लिये दी गई रियायतों का प्रश्न है । इसके अनुसार विभिन्न प्रकार के लेन देन द्वारा घाटे का समायोजन हो सकता है । पहिले इस प्रकार का उपबन्ध था कि घाटे को छः वर्ष से अधिक तक नहीं चलना चाहिये, किन्तु उसे हटा दिया गया है । मेरे विचार से यह अच्छा होता यदि वित्त मंत्री यह रियायत न देते, पुरानी प्रणाली ही चलने देते ।

आज प्रातः वित्त मंत्री ने तथाकथित भलाई के प्रयोजन के लिये कुछ छूट दी हैं । यह छूट उन यूरोपीय सहायकों अथवा कुछ गिने-चुने भारतीयों के लिये हैं जो ५०० रुपये से ६०० रुपये प्रति मास पाते हैं तथा मुफ्त के बंगले में रहते व कम्पनी की कार का प्रयोग करते हैं। ३० रुपये पाने वाले चपरासी के लिये यह रियायतें नहीं हैं । समाज के कुछ एक लोगों के लिये ही माननीय मंत्री को ये रियायतें नहीं देनी चाहियें ।

वर्ष १९४६ से १९५१ तक बोनस अंशों के रूप में ४१ करोड़ रुपया वितरित किया गया । मैं नहीं जानता कि कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात् भी वित्त मंत्री ने इस लाभ पर कर लगाने का प्रस्ताव क्यों नहीं प्रस्तुत किया ।

कर प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं कुछ अन्य बातें भी करना चाहता हूं । वर्तमान कर प्रस्तावों में वित्त मंत्री ने चीनी पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है । यदि हम कराधान जांच आयोग के अनुसार भारत सरकार के व्यय का विश्लेषण करें तो यह ज्ञात होगा कि एक रुपये के कुल व्यय में ९ आने ६ पाई विकासोत्तर कार्यों में व्यय किये जाते हैं । समान सेवाओं के लिये ३ आने २ पाई तथा आर्थिक उत्पादन के लिये ३ आने ४ पाई व्यय किये जाते हैं । किन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार की आय का सम्बन्ध है वह कुल आय की ४३ प्रतिशत से ४८ प्रतिशत हुई है । उक्त व्यय से यह स्पष्ट हो जायेगा कि सरकारी व्यय नीति से सर्वसाधारण को कोई लाभ नहीं हो रहा है ।

अब आप सर्वसाधारण के व्यय के आंकड़े देखिये । १९४५ में चीनी का भाव १६७ था जो अब बढ़ कर २९२ हो गया है । इसी प्रकार सभी आवश्यक पदार्थों यथा मिट्टी का तेल, सूती कपड़े तथा कोयले के मूल्य में वृद्धि हुई है । आप कहेंगे कि मजूरी में भी वृद्धि हो गई है, किन्तु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि तब काम में लगे हुए व्यक्तियो की संख्या कितनी थी ? कई बार तो सारा परिवार काम पर था किन्तु आज यह स्थिति नहीं है । वस्तुतः आज एक सामान्य व्यक्ति की अवस्था पहिले से भी अधिक खराब हो गई है ।

अब मैं अपने राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेता हूं । कुछ दिनों पूर्व आसाम में उपद्रव, इत्यादि हुए थे । जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोगों को बंगाल आना पड़ा । इन व्यक्तियों की कुछ-न-कुछ व्यवस्था करनी होगी । हमें इन लोगों को बसाने के लिये रुपया चाहिये । मुझे बताया गया है कि एक वित्तीय आयोग नियक्त किया जायेगा । यदि ऐसा न भी हो तो भी अनुदान अथवा किसी अन्य प्रणाली से रुपया दिया जाना चाहिये ।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के अधिकांश भाग में सुन्दर बन फले हुए हैं, जो कि किसी समय दूध, शहद तथा खाद्यान्नों के उत्पादन के लिये प्रसिद्ध थे । किन्तु आज एक स्थायी अभाव ग्रस्त क्षेत्र बन गया है । राज्य सरकार कहती है कि उसके पास कोष नहीं है केन्द्रीय सरकार को वहां गंगा बांध इत्यादि बनाने में

[श्री के० के० बसु]

काफी धन राशि व्यय करनी चाहिये, अन्यथा इस प्रदेश की स्थिति सुधर नहीं सकती ।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान एक गम्भीर मामले की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं । श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, श्रमिकों तथा नियोजकों के सम्बन्धों में सुधार करने के निमित्त नियुक्त किये जा रहे हैं, किन्तु इन्हें श्रमिकों का विश्वास भी प्राप्त करना चाहिये । मुझे अपने एक मित्र से यह सूचना मिली है कि कलकत्ता के न्यायाधिकरण में, श्री शैलेश चक्रवर्ती नायक नाम के एक ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है, जो कि इसके पूर्व नियोजकों के मामलों की पैरवी करते थे । पिछले दिनों इलाहाबाद के श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सदस्य के सम्बन्ध में भी कुछ शिकायतें सुनी गयी थीं । कहने का अभिप्राय यह है कि इन सब बातों से श्रमिकों के विश्वास को ठेस लगती है । तथा न्याय की जड़ पर आघात होता है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर गौर करे ।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : श्रीमान्, १९५५-५६ के वित्तीय प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान लोक-लेखा समिति के राजकोष पर पूणतः नियंत्रण सम्बन्धी सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूं । इस समिति में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार हुआ था । क्योंकि समिति का मत था कि देश में व्यय पर उचित नियंत्रण नहीं है, तथा बजट की पद्धति भी उपयुक्त नहीं है । उसकी उपसमिति को महालेखा परीक्षक से भी प्रश्नोत्तर करने का अवसर मिला तथा उनके साक्ष्य को इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट के रूप में सम्बद्ध कर लिया गया है ।

इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि अन्य देशों में बजट के अनुदान तथा विनियोग इत्यादि के सम्बन्ध में उचित नियंत्रण होता है । रुपया देने का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि विनियोग इत्यादि न होने के लिये उपयुक्त नियंत्रण रखना । वित्त मंत्री ने कहा था कि इस ओर उचित कार्यवाही की जायेगी । उनके उत्तर से यह भी प्रगट है कि लेखा परीक्षा विभाग को परीक्षा विभाग से पृथक् नहीं किया गया है । मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री जी को इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये ।

अनुच्छेद १४९ में यह विहित किया गया है कि महालेखा परीक्षक संसद् में बनाई गई विधि में विहित नियमों के अनुसार राज्य तथा संघ के लेखे पर नियंत्रण रखेगा । इसलिये जब तक संसद् द्वारा कोई विधि निर्मित नहीं की जायेगी, वह पहिले की तरह ही अपना कार्य करेगा । किन्तु इस समय व्यय में कई नई मदें बढ़ गई हैं । यथा सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवायें, बहुप्रयोजनीय विकास सेवायें, इत्यादि । ये व्यय पहिले नहीं किये जाते थे । सरकार को यह देखना चाहिये कि महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्य तथा अधिकार उपयुक्त रीति से विहित किए जायें । इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान ब्रिटेन के राजकोष तथा लेखा परीक्षा अधिनियम की ओर दिलाऊंगा । बिना उक्त अधिनियम के लागू किये वर्तमान पद्धति को बनाये रखना वांछनीय नहीं होगा ।

इसलिये मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह व्यय के इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर भी ध्यान दें । राजकोष के धन का उचित नियंत्रण करना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके बिना व्यय अनियंत्रित हो जायेगा । जो कि राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल होगा ।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर-उत्तर) : वित्त मंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण है । भले

ही विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर कुछ भी हो, यदि वित्त तथा योजना मंत्रालय स्थिर एवं कर्तव्यरत हों तो देश में वास्तविक प्रगति हो सकती है । किन्तु दुर्भाग्यवश ये मंत्रालय भी प्रचार एवं दिखावे के जाल में फंस गये हैं ।

श्री बंसल ने चीन की प्रगति से भारत की प्रगति की तुलना की है । मैं नहीं जानता कि इस तुलना का मापदंड क्या है । निःसन्देह, मेरी तुलना का मापदंड विश्वसनीय अधिकृत पुस्तकें हैं । अंग्रेजों के भारत छोड़ते समय भारत की स्थिति की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए यदि हम १९३९ में भारत की स्थिति देखें तो उस समय भारत अपनी जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के लिये शक्ति के एक किलोवाट घंटे का उपयोग कर रहा था जब कि चीन केवल चार बटा सात का उपयोग कर रहा था । पंचवर्षीय योजना को बनाते समय हमारे देश के पास चीन की अपेक्षा प्रति व्यक्ति तिगुनी उत्पादक शक्ति थी। हमें इस आधार को अपने समक्ष रख कर चीन से तुलना करनी होगी । अन्यथा यह कहना कि हम अमुक देश से आगे बढ़ चुके हैं, आत्मप्रवंचना तथा छलना होगी ।

हमें अपनी प्रगति की तुलना जापान से करनी चाहिये । एशियाई देशों में यह बहुत अच्छा आदर्श है । १९४८ के बाद से जापान ने अपने उत्पादन में १०० से २२० प्रतिशत प्रगति की है, जब कि हमारे देश ने पंचवर्षीय योजना में उत्पादकता सम्बन्धी केवल १५ प्रतिशत वृद्धि करने का उद्देश्य रखा है । इस प्रकार हमें अन्य देशों के समकक्ष होने में ही ६५ वर्षों का समय लगेगा ।

इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम हम अपनी समस्त जनसंख्या को काम दिलाने वाली योजना बनानी चाहिये, अभी हमने अमरीका के आंकड़े देखे थे । वहां मानव-परिश्रम का मूल्य विद्युत् के मूल्य से लगभग पांच गुना है । मैं औद्योगिक प्रगति के विरुद्ध नहीं हूं । परन्तु उससे पहले हमें अपने समस्त संसाधनों का प्रयोग करना है ; मेरा ख्याल है कि वित्त मंत्री का तर्क यह है कि यदि एक ओर धन का संचय हो और दूसरी ओर निर्धनता में वृद्धि होने दी जाये तो एक समय आयेगा जब धनाढ्य व्यक्ति धन पैदा करेंगे और पूंजी का निर्माण करेंगे । परन्तु हमारे उद्योगपति व पूंजीपति अपनी आयों का विनियोजन करना नहीं चाहते । अतः इन लोगों के प्रति कुछ कठोरता बरते बिना कार्य नहीं चलेगा ।

अभी आप लोगों को यह आशा देते हैं कि हम समाजवादी हो गये हैं । और आप समाजवादी ढंग के समाज की बात करते हैं । कुछ मित्र यह भी कहते हैं कि कांग्रेस समाजवादी हो गई है और कांग्रेस में सम्मिलित हो जाओ । मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब कांग्रेस समाजवादी होगी । एक या दो वर्ष में ही कांग्रेस का यह संकल्प प्रकाश में आयेगा कि हम साम्यवादी हो गये हैं । अतः भारत के लोगों को अन्य लोगों या और किसी स्थान की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान एक पुस्तक "रुपीज वन हण्ड्रेड एण्ड थ्री क्रोर्स कम इन टु दि ओपन" ["एक सौ तीन करोड़ रुपये का पता चला"] जो हमें दी गई है, की ओर आकर्षित करता हूं । आयकर-अपवंचन और उसे प्रकट करने के निवेदन से विदित हो गया है कि सरकार को उतना आयकर प्राप्त नहीं हो सकता जितना कि होना चाहिये । यदि आयकर की राशियां, जिनकी प्राप्ति नहीं हुई है, प्राप्त हो जाती तो वित्त मंत्री छोटी छोटी वस्तुओं पर कर न लगाते । वित्त मंत्री ने आज अपने संभाषण में कहा था कि उन्होंने अविवाहित व्यक्तियों

[श्री एस० सी० सामन्त]

पर विवाहित व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक कर लगाया है । संविधान बनाते समय ऐसा विचार नहीं था । वित्त मंत्री को यह भली-भांति विदित है कि ऐसा करने से उन्हें हानि हुई है । यह कहा जाता है कि अविवाहित लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है । फिर इसका क्या कारण है कि ये लोग परेशान होते हैं । संविधान के होते हुए भी इन लोगों को लाभ न होगा ।

श्री के० के० बसु : दादा, भूल करेचैन, एखन आसलाम ।

श्री एस० सी० सामन्त : अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह प्रकट होने वाली धनराशियों की ओर ध्यान दें और निरीक्षण समितियां नियुक्त करें ताकि प्राप्त आयकर प्राप्त हों ।

हम समाजवादी ढंग का समाज बनाने जा रहे हैं । मेरा विचार है कि हमें गांवों की ओर पहले ध्यान देना चाहिये । क्योंकि वह प्रथा, जिसके आधार पर हम समृद्ध रहते थे, अस्तव्यस्त हो गई है । हमें वह प्रथा बनानी है और वह गांवों से बननी चाहिये । श्री बी० एल० जालान ने अपनी पुस्तक में ग्रामीणों को श्रमदान की शिक्षा देने का प्रयास किया है और वह उसमें सफल भी हो रहे हैं । ग्रामीणों के उत्थान के लिये हमारे समाज कल्याण बोर्ड हैं । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि ऐसी संस्थाओं और लोगों के प्रति जो गांवों की स्थिति को सुधारने के लिये आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाना चाहिये । यदि उन निर्माण-कार्यों पर, जिनका सुझाव दिया जा रहा है वित्त लगाया जाय तो मेरे विचारानुसार वह देश के लिये बड़ा हितकर होगा ।

शिक्षा के सम्बन्ध में, हम मानते हैं कि पहले विश्वविद्यालय आयोग और फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग स्थापित किये गये । अब समय आ गया है कि एक प्रारम्भिक शिक्षा आयोग स्थापित किया जाये । सरकार का मत है कि प्रारंभिक या बुनियादी शिक्षा संबंधी हमारा कोई उत्तरदायित्व नही है । प्रारंभिक शिक्षा तो आधार रूप है । यदि शिक्षा मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देता तो हमें यह मंत्रालय समाप्त कर देना चाहिये । इस ओर ध्यान देना एक मुख्य कारण यह भी है कि मूल शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश करने पर यह कठिनाई होती है कि वे प्रारम्भिक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा अंग्रेजी और अन्य विषयों में प्रवीण नहीं होते । अतः सरकार को यह तुरन्त निश्चय करना चाहिये कि प्रारम्भिक शिक्षा किस प्रकार की हो, और इसके लिये मैं सरकार से एक प्रारम्भिक और बुनियादी शिक्षा आयोग की नियुक्ति की प्रार्थना करता हूं ।

स्वास्थ्य के बारे में मुझे कुछ कहना है । अधिकतर लोगों की मृत्यु मलेरिया से होती है । अतः मलेरिया विरोधी योजनायें अपनाई गई हैं और वे सफल हो रही हैं । इसके अतिरिक्त लगभग ५०,००० व्यक्ति प्रति वर्ष हैजा से मरते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय हैजा विरोधी योजना आरम्भ की जानी चाहिये । क्योंकि यह रोग धरातल के जल के कारण फैलता है, इसलिये मैंने सुझाव दिया था कि गंगा डेल्टा, महानदी डेल्टा और अन्य स्थानों पर ध्यान दिया जाना चाहि` सरकार कहती है कि जल उपलब्ध योजना राज्य सरकार को दी गई है । परन्तु यदि यह योजना स्वीकार नहीं होती तो सरकार के विशेष मामले के रूप में यह कार्य करना चाहिये, यही मेरा निवेदन है ।

श्री के० एल० मोरे (कोल्हापुर व सतारा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : आज हम वित्त विधेयक पर विचार कर रहे

हैं। जहां तक वित्त विधेयक में सम्मिलित प्रस्तावों का सम्बन्ध है, मैं इन प्रस्तावों का समर्थन करता हूं, और विशेषकर बीच के और मोटे कपड़े पर शुल्क में कमी करने के लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। आय-व्ययक सम्बन्धी चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने समाजवादी ढंग के समाज के बारे में उल्लेख किया था। अतः यह सबको विदित है कि उनकी मनोकामना एक ऐसे समाज की स्थापना करने की है जिसमें कोई असमानता न हो जिससे हमारे राष्ट्र की प्रगति का गतिरोध हो। परन्तु राज्य सभा में चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी इच्छा कराधान से योजना के लिये धन प्राप्त करना नहीं अपितु आय-व्ययक को सन्तुलित बनाना है। कुछ भी हो, हमारा अभिप्राय यह है कि योजना के लिये अधिकाधिक साधनों की प्राप्ति हो, और इस प्रकार लोगों को अधिकतर रोजगार मिले। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने बताया है कि उन्होंने औसत आय को बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

विधेयक के उद्देश्यों के बारे में योजना आयोग और कराधान जांच आयोग ने दोनों का यह मत है कि इन असमानताओं को दूर किया जाय और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले। बेकारी के सम्बन्ध में, योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया है कि बेकारी में वृद्धि हुई है और उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि अभी तक देश में कोई ऐसा साधन नहीं जो बेकारी की मात्रा का ठीक तरह से पता लगाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह स्थिति अच्छी नहीं है, और यद्यपि योजना काल का अब केवल एक वर्ष ही शेष है, फिर भी सरकार इस स्थिति का सन्तोषजनक समाधान नहीं कर सकी है। आयव्ययक चर्चा के उत्तर में भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया है और इस प्रकार यह बताया है कि योजना की कार्यान्विति से रोजगार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। परन्तु इस प्रगति से मुझे सन्तोष नहीं है। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि कार्य या रोजगार के बारे में सूचना देने के लिये देश के प्रत्येक स्थान में काम दिलाऊ दफ्तर खोले जायें। आजकल देश के नागरिकों में निराशा दिखाई पड़ती है, और रोजगार के बारे में उन्हें कोई भी आशा नहीं दिखाई देती। उनका जीवन क्रिया-हीन हो गया है और यह बड़ा भयानक संकेत है। अतः मेरा सुझाव यह है कि सरकार ऐसी एजेन्सियों को काम पर लगाये जो इस मामले की ओर व्यापक रूप से ध्यान दें। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में मेरा एक अन्य सुझाव यह है कि चूंकि काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा मिलने वाली जानकारी बड़ी अपर्याप्त होती है, अतः सरकार को प्रतिदिन रेडियो पर सूचना प्रसारित करनी चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बेकारी की समस्या बड़ी गम्भीर है। उस क्षेत्र का एक परिमाप किया गया है और उन्होंने यह निश्चय किया है कि लगभग २१ प्रतिशत लोग बेकार हैं। एक और परिमाप से यह विदित हुआ है कि वहां स्फोनिज (वाक्जाइट) बड़ी मात्रा में है। अतः मेरा सुझाव है कि यदि वहां एक अलूमीनियम कारखाना खोल दिया जाय तो इससे पर्याप्त लोगों को काम मिलेगा। अन्त में सहकारी कृषि संस्थाओं के बारे में मुझे एक बात कहनी है। यह बड़ा लक्ष्य है जो योजना आयोग ने अपने समक्ष रखा है। ३० सितम्बर, १९५४ को सहकारी कृषि संस्थाओं की कुल संख्या २६७ थी और उनकी सदस्य संख्या ९,४३२ थी तथा इनके अन्तर्गत लगभग ६९,००० एकड़ थे। मैं नहीं जानता कि इसे प्रगति कहना चाहिये या नहीं, मेरा सुझाव है कि सरकार को

[श्री के० एल० मोरे]

इस दिशा में अधिक प्रगति करनी चाहिये। इस से बेकारी पर्याप्त मात्रा में समाप्त होगी।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : विकास छट का उपबन्ध करने के लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। कराधान जांच आयोग का सुझाव यह था कि जिस वर्ष अचल आस्तियों का अधिष्ठापन हो, नई अस्तियों के मूल्य का एक भाग—२५ प्रतिशत—वर्तमान आरम्भिक अवक्षयण भत्ता के बदले में राजस्व से लिया जाय। अधि-अवक्षयण भत्ता ज्यों का त्यों रहे परन्तु विकास छूट सारी अचल आस्तियों के क्रम पर प्राप्त हो, वे चाहे स्थानापन्न होने के लिये हों अथवा विस्तार के लिये। मेरे विचारानुसार, माननीय मंत्री ने यह एक बहुत अच्छी कार्यवाही की है। क्योंकि इस २५ प्रतिशत छूट से पुराने संयंत्र व यंत्रों को बदलने और उचित अधिष्ठापन करने के लिये आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।

हमने संभाषणों को सुना है कि भारत में कराधान कम है। मेरे पास भारतीय व्यापार तथा उद्योग संस्था, बम्बई की एक पुस्तिका है और मुझे आशा है कि मंत्रालय के पास भी इसकी एक प्रति होगी। मैं उनकी सिफारिशें, खोजों, आदि को ठीक मानता हूं। पहिली ध्यान देने योग्य बात यह है कि १,५०,००० रुपये से १०,००,००० रुपये तक व्यक्तिगत आयकर भारत में इंगलिस्तान को छोड़ कर अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। दूसरी बात यह है कि २५,००० रुपये से १,५०,००० रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर कर की दर भारत में किसी भी अन्य देश की अपेक्षा, जो देश उस पुस्तिका में सम्मिलित हैं, अधिक तेजी से बढ़ती है। तीसरी बात यह है कि भारत में किसी भी अन्य देश की अपेक्षा छट आदि कम है। चौथी बात, भारत में नियोजित निकायों पर कराधान ४३.४ प्रतिशत है और यह केवल इंगलैंड, अमरीका और कैनेडा की अपेक्षा कम है। अतः भारत में कराधान से आय में कमी होती है। मेरा ख्याल है कि यह एक दुर्भाग्य की बात है कि सामाजिक क्रान्ति निश्चित मूल्यों को हटाने और कुछ वांछित विश्वासों के बदलने से आरम्भ हो। इस वित्त विधेयक में हम उच्च आय-कर के बारे में किसी प्रकार की जल्दी का भी उपबन्ध कर रहे हैं। हम अपने देशवासियों और सरकार को स्मरण कराते हैं कि व्यक्ति के परिश्रम के फल को छीन लेना उचित नहीं है। सम्पत्ति की पावनता में कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे विश्वासपूर्ण ढंग से बताया गया था कि वह एक अप्रचलित सिद्धान्त है। यह केवल सामाजिक सुरक्षा का विचार है। और इसकी गारण्टी प्रत्येक राष्ट्र को लेनी चाहिये। इस दृष्टि से हम वित्त विधेयक की जांच कर रहे हैं, अन्यथा इस भारी कराधान का कोई महत्व नहीं है।

कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदन में ऐसी सिफारिशें भी की गई हैं जो अंकित सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं। इस बात का इस-के सिवाय और कोई उत्तर नहीं हो सकता कि वे ऐसी सिफारिशें करना चाहते थे जिन्हें वर्तमान राजनीतिक वातावरण में स्वीकार किया जा सकता हो। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि कर-प्रणाली ऐसी न हो जिससे देश की उत्पादन प्रणाली के लिये खतरा पैदा हो या बचतों पर कोई प्रभाव पड़े तथा गैर-सरकारी उद्योगों में विनिमय करने के द्वारा उसके विस्तार की सम्भावनायें समाप्त हो जायें। परन्तु सिफारिशें क्या हैं? वे सिफारिशें करते हैं कि उच्च आय पर कुल ९६.२ प्रतिशत कर हो और व्यक्तियों को आय के केवल ३.८ प्रतिशत की छट दी जाय। परिश्रम का फल पाना,

प्रत्येक देश के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है—यह स्मरण रखना चाहिये। यदि आप गैर-सरकारी आयों को जब्त करने रहते हैं, तो उससे उत्पादन या निर्माणत्मक प्रयासों को धक्का लगेगा। अतः यह नहीं होना चाहिये। फिर इस विधेयक में एक लाभ-विशेष से अधिक लाभ जो विभाजित नहीं होता, विशेष आयकर लगाने की सिफारिश है। इस पर गम्भीरतापूर्ण विचार किया जाना चाहिये। मेरे विचारानुसार इस कर से देश के अधिकतर संयुक्त समवायों की नियोजित आयों और संचित निधि के एकीकरण को अवश्य ही धक्का लगेगा। यदि सरकार वास्तव में गैर-सरकारी उद्योगों को समृद्ध देखना चाहती है तो यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं करना चाहिये।

आप को विदित है कि वे आय कर अधिनियम की धारायें २३क में परिवर्तन कर रहे हैं। वर्तमान विधि के अधीन आयकर के लिये जिन समवायों में २५ प्रतिशत जनता अंशधारी है, वे समवाय माने जाते हैं, जिनमें जनता की पर्याप्त अभिरुचि है। प्रस्तुत विधेयक इस उपबन्ध में परिवर्तन कर के ऐसे समवायों के लिये कुछ रोधात्मक परीक्षा रखना चाहता है। संशोधन के अनुसार, जिस समवाय में ५० प्रतिशत मत देने के अधिकार छः व्यक्तियों या उनके संबंधियों आदि को हो, वह जन समवाय नहीं माना जायेगा। मैं समझता हूं कि यह सीमा निर्धारित करना उचित नहीं है।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : यह अब ४० प्रतिशत है।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या यह घटा कर ४० प्रतिशत कर दिया गया है? मुझे यह विदित नहीं है। मैंने प्रारूप विधेयक पर गणना की है। और यह यदि ४० प्रतिशत भी हो तो क्या इसकी सीमा बढ़ाने में कोई औचित्य है? यह भी सुविदित है कि भारत में प्रबन्धक अभिकर्ताओं पर नियंत्रण हो, और यदि यह अनुपात बदला भी जाय तो ऐसे गरे लोगों में अंशों को अविरुद्ध करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ऐसा होते हुए भी मेरा यही विचार है कि वर्तमान स्थिति को बदलने की वास्तव में, आवश्यकता नहीं।

प्रतिवर्ष लाभ को बनाये रखने की सीमा के सम्बन्ध में एक और बात है जिसकी ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान विधि के अनुसार, जिन समवायों में जनता की ठोस रुचि न हो, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि कर और घिसाई, आदि के बाद वे ६० प्रतिशत लाभ का वितरण करें और केवल ४० प्रतिशत अपने पास रखें। संशोधन में भी लगभग यही बात कही गई है, किन्तु इसमें भी दो मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं :— पहला, संशोधन में कहा गया है कि प्रत्येक विनियोजन में समवाय को प्रति वर्ष अपनी आय को १०० प्रतिशत वितरित करना चाहिये। मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि यह कहां तक उचित है। क्या इस से कई वास्तविक पूंजी विनियोजक समवायों पर दण्ड नहीं पड़ेगा? इस विधेयक में दूसरी बात इस प्रकार है कि वर्तमान विधि के अधीन यदि कोई समवाय अपने लोगों के ६० प्रतिशत तक का लाभांश वितरित करता है, तब ऐसा माना जाता है कि समवाय की सारी आय वितरित की जा चुकी है और अंशधारियों के हाथो में अधिकर पर कर लगता है। इस संशोधन में यह प्रस्ताव है कि सभी अवितरित लाभों पर एक विशेष अधिकर के रूप में एक दण्ड लगाया जाय। मैं समझता हूं कि इससे सभी निगमित बचत पर काफी अनुचित दबाव पड़ेगा।

जहां तक रक्षित निधि के संचित होने की सीमा का प्रश्न है, प्रस्तुत अधिनियम में बताया गया है कि यदि बचाये गये लाभों में से दी गई संचित रक्षित निधि प्रदत्त पूंजी

[श्री एन० सी० चटर्जी]

तथा अंशधारियों द्वारा दिये गये ऋणों का कुल निश्चित पूंजीमय, जो भी इन दो में से बड़ा हो के बराबर हो तो १०० प्रतिशत लाभों को वितरित किया जाना चाहिये । इसमें भी संशोधन यह विभेद करना चाहता है कि प्रदत्त पूंजी शुमार करते समय बोनस अंशों को अलग रखा जाना चाहिये । यह भी एक ऐसा उपबन्ध है जो पूंजी को बनने से रोकता है, और इसीलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में पूरे वितरण के स्थान पर ४० प्रतिशत से कुछ कम की सीमा रखी जानी चाहिये ।

इसी प्रकार जहां तक धारा २, उप-धारा (६) के संशोधन का सम्बन्ध है, प्रस्तुत संशोधन में " difficulty " ["कठिनाई"] शब्द का अर्थ बनावटी सा है । यह किसी भी ऐसे समवाय, जिसमें जनता को अधिक ठोस रुचि नहीं, के द्वारा अपने अंशधारियों को दिये गये ऋणों तथा पेशगियों को सम्मिलित करना चाहता है । मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस बात पर विचार करें कि क्या सभी समवायों द्वारा सभी अंशधारियों को दिये गये ऋणों को लाभांश समझना और इस प्रकार उन पर कर लगाना वास्तव में उचित होगा । उदाहरणत मुझे किसी भी बैंक से जहां मेरे कुछ शेयर (अंश) पड़े हैं, अपने किसी काम के लिये, १०,००० रुपये लाने पड़ें, तो क्या वह राशि लाभांश समझी जायेगी, और उस पर कर लगाया जायेगा इससे बहुत पेचीदगियां पैदा होंगी । अतः संशोधन में से यह बात निकाली जानी चाहिये ताकि यह बात इन ऋणों पर लागू न हो जो व्यापार के लिये गये हों ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य बताते चलें । मैं इन सभी बातों का समय पर उत्तर दूंगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरे सुझाव प्रस्तुत विधेयक पर आधारित हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं आपत्ति नहीं करता ।

श्री एन० सी० चटर्जी : आज ही इन नये परिवर्तनों पर बहस करने में मुझे कुछ दिक्कतें आ रही हैं । वित्त मंत्री के भाषण के कुछ मिनट बाद ही मुझे ये संशोधन मिले हैं । मेरा यह प्रतिपादन है कि अंशधारियों को मूल व्यापार के लिये दिये गये ऋणों को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार बीमा पालसीयों पर बीमा कम्पनियों द्वारा दिये गये ऋणों या पेशगियों को भी सम्मिलित नहीं करना चाहिये । यदि आप ऐसा नहीं करते तो यह अन्यायोचित होगा ।

श्री वाई० एम० मुक्णे (थाना-रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : हमारे देश के विकास पर अतुल धन व्यय किया जा रहा है । राष्ट्र की समृद्धि का यह अभिप्राय होना चाहिये कि समाज में हर किसी भाग का कल्याण हो, और हर एक व्यक्ति समृद्ध हो । मैं बम्बई राज्य के आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला हूं । हमारा यह क्षेत्र बहुत ही अविकसित है । मैं चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसकी ओर भी ध्यान दिया जाय । यहां थोड़ी सी शिक्षा और कुछ एक समाज कल्याण योजनाओं से ही काम नहीं चलेगा । वास्तव में सरकार बुनियादी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न नहीं करती । मेरी राय में स्वयं सरकार ने आदिवासियों के भविष्य में कोई निश्चय नहीं किया है । आदिवासियों के सम्बन्ध में भी दो विचार धारायें चल रही हैं । कई लोग कहते हैं कि इनको बाहरी प्रभाव से बचाना चाहिये और कुछ और लोग कहते हैं कि इन का सुधार होना चाहिये ताकि

उनकी आर्थिक दशा सुधर जाय और वह औरों के साथ कदम मिला कर चल सकें। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे इस क्षेत्र में कई छोटे पैमाने के उद्योग खोले जा सकते हैं। सूर्य नदी सह्याद्रि पहाड़ियों में से हो कर गुजरती है। इस नदी का सारा पानी बेकार चला जाता है। हमारे इस क्षेत्र में लगभग १०० इंच वर्षा होती है; किन्तु यह सारा पानी बेकार समुद्र में जा गिरता है। सरकार वहां बिजली पदा कर सकती है, और कई बागान, उद्यान आदि भी लगा सकती हैं। वहां फल उगाये जा सकते हैं और अनेक छोटे पैमाने के उद्योग भी चलाये जा सकते हैं। इससे आदिवासियों को और काम मिलेगा। वहां बांध आदि भी बनाये जा सकते हैं और वर्ष में दो तीन फसलें भी पैदा की जा सकती हैं।

हमारे उस क्षेत्र के विकास के लिये वहां और भी कुटीर उद्योग चलाये जा सकते हैं। उदाहरणतः उद्यान का उत्पादन-फल, आदि--डिब्बों में बन्द कर के बेचा जा सकता है। इसी प्रकार समुद्र की मछली का परीक्षण हो सकता है और उसे समय-समय पर बेचा भी जा सकता है। यदि डिब्बों में बन्द करने के इस उद्योग का विकास हो तो आदिवासियों को कुछ और रोजगार भी मिल सकता है इस समय भारत में अफ्रीका से काजू का आयात किया जाता है, किन्तु हमारे देश में काजू फल की काश्त भी हो सकती है। इस वस्तु से डालर आय हो सकती है। इसकी कृषि बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा। आदिवासियों की आय बढ़ाना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि इन कामों के लिये एक अलग विभाग स्थापित करना चाहिये।

मेरी एक और बात संचार के बारे में है। मैंने देखा है कि आदिवासियों के क्षेत्र विशेषतया बम्बई राज्य में स्थानीय जिला प्रधान कार्यालयों से बहुत दूर हैं और सड़कें अच्छी नहीं हैं। वर्षा के दिनों में ये क्षेत्र कई मासों तक कट जाते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि अच्छी सड़कों और रेलवे लाइनों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त प्रधान कार्यालयों को स्थानान्तरित कर के आदिवासी क्षेत्रों में ले आना आवश्यक है, ताकि इन क्षेत्रों को विकसित किया जा सके। मैं अपने क्षेत्र का जो उत्तर थाना जिले में है उदाहरण देता हूं। थाना जिले का प्रधान कार्यालय इससे १०० मील दूर है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जवाहर नगर में जो कि केन्द्रीय स्थान पर स्थित है जिले का प्रधान कार्यालय बनाना चाहिये।

मैं यह चाहता हूं कि पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये जो धन दिया जाता है, चाहे यह केन्द्रीय सरकार ने दिया हो या राज्य सरकार ने, वहीं रखा जाय और उस क्षेत्र के लिये खर्च किया जाय और व्यपगत न होने दिया जाये।

एक और बात यह है कि मेरे क्षेत्र में बहुत से छोटे छोटे पत्तन हैं और मछली पकड़ने का उद्योग भी है। मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि इन पत्तनों को विकसित किया जाये, ताकि उन लोगों को जो मछली पकड़न के उद्योग में काम करते हैं और उनके बच्चों को सब सुविधायें मिल सकें। मैं यह भी सिफारिश करूंगा कि पोत निर्माण कार्यक्रम को अगली पंचवर्षीय योजाना में भी जारी रखा जाय, ताकि हमारे नवयुवक प्रशिक्षित हों और उन्हें यन्त्रीकृत नौपरिवहन में काम मिल सके।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : सुनते हैं कि योजना आयोग और भारतीय सांख्यकीय संस्था, कुछ प्रख्यात अर्थ शास्त्रियों की सहायता से अगली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार कर रही है। कहा जाता है कि यह योजना जनता की योजना होगी। किन्तु इस सदन को इसके बारे म कोई जानकारी

[श्री बंसल]

नहीं दी गई । क्या यह उचित नहीं है कि जनता की योजना को जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श से या उन्हें जानकारी दे कर तैयार की जाये । यदि यह सदस्यों में परिचालित किया जाये, तो वे योजना आयोग को या सम्बन्धित प्राधिकारियों को उचित समय पर टिप्पणियां भेज सकते हैं । मैं विशेष रूप से इस बात की ओर निर्देश कर रहा हूं क्योंकि वर्तमान कराधान प्रस्तावों के सिद्धान्तों का प्रभाव योजना पर अवश्य पड़ेगा । जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कराधान प्रस्ताव करारोपण जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार बनाये जा रहे हैं । इस आयोग ने सब वर्गों द्वारा उपभोग को कम करने की सिफारिश की है । यदि अगली योजना इस आधार पर बनाई जायेगी कि उपभोग पर यथासभव अधिक से अधिक प्रतिबन्ध हो, तो मैं इस अवस्था पर एक चेतावनी देना चाहूंगा । मेरी समझ में नहीं आता कि इस देश में इस विचारधारा पर क्यों जोर दिया जा रहा है कि विकास के लिये उपभोग पर रोक लगाना आवश्यक है । मैं वित्त मत्री से पूछना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय में योजना आयोग की क्या राय है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस देश में यदि उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि भी हो तो मूल्य गिर जाते हैं । इस देश के लोगों की आय इतनी कम है कि यदि उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि भी हो, तो उपभोग उतना नहीं बढ़ता । इसलिये मैं कहता हूं कि यदि हमारी विकास योजना इस आधार पर बनाई गई, तो कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में कोई प्रगति नहीं हो सकेगी ।

अब मैं वित्त के प्रश्न को लेता हूं । वित्त मंत्री ने कराधान जांच आयोग की इस सिफारिश को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया है कि आवश्यक वस्तुओं पर कर बढ़ाना अनिवार्य है । हम जानते हैं कि उन्हें इस आशय के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में कितनी कठिनाई होती है, क्योंकि जिस वस्तु पर भी आय-उत्पादन शुल्क लगायेंगे, मंडी में उसका विक्रय कम हो जाने का डर पैदा हो जायेगा । यह स्थिति अप्रत्यक्ष कर के ढांचे की है । प्रत्यक्ष कर के ढांचे की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है । प्रत्यक्ष कर का स्तर आप चाहे जितना बढ़ा दें, आप को जो कुछ अब मिल रहा है, उससे अधिक नहीं मिल सकता । देश की वर्तमान परिस्थितियों में आपको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कराधान से केवल सीमान्त वृद्धि मिल सकती है ।

मुझे हर्ष है कि वित्त मंत्री ने चालू वर्ष के आय-व्ययक में घाटे की अर्थव्यवस्था का काफी प्रयोग किया है । किन्तु हम सदा के लिये इसका प्रयोग नहीं कर सकते । इसलिये मैं वित्त मंत्री से कहता हूं कि इस बात की जांच की जाये कि क्या हमारे साधारण व्यय में कमी हो सकती है । इसके अतिरिक्त मुझे एक और बात देख कर परेशानी होती है । एक ओर तो हमारे वित्तीय संसाधन कम हैं, दूसरी ओर जिस धन के लिये आय-व्ययक में व्यवस्था की जाती हैं, उसे पूरा खर्च नहीं किया जाता । जहां तक केन्द्रीय मंत्रालयों का सम्बन्ध है, उन्होंने विकासात्मक व्यय के मामले में कुछ सुधार किया है किन्तु राज्यों में स्थिति क्या है । पंजाब के मामले में मैं जानता हूं कि कुछ नगरों में पानी संभरण योजना के लिये ऋण और साहाय्य के रूप में बड़ी बड़ी राशियों की मंजूरी दी गई है, किन्तु जहां तक मेरे निर्वाचन-क्षेत्र का सम्बन्ध है, दो साल से कोई प्रगति नहीं हुई । इसका कारण यह है कि नये विकास कार्यों के लिये पदाधिकारियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई । अतः मैं वित्त मंत्री को सुझाव दंगा कि वह उस व्यवस्था की जांच

करायें जिस का सम्बन्ध राज्यों में और जिलों में विकास व्यय से है ।

इस मामले का एक और पहलू यह है कि जिन जिलों में सामुदायिक परियोजनाए हैं और जहां विकास व्यय हो रहा है, पदाधिकारी अपना सारा समय उन पर लगा देते हैं । परिणाम यह है कि शेष क्षेत्रों में साधारण विकास कार्य भी नहीं होता । और वे पीछे रह जाते हैं । मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह स बात की जांच करायें कि विकास व्यय किस तरह किया जा रहा है ।

श्री नवेटिया (जिला शाहजहांपुर-उत्तर पूर्व व खेरी पूर्व) : वित्त मंत्री ने अपने आय-व्ययक के भाषण में चीनी पर उत्पादन-शुल्क बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा था कि शुल्क बढ़ाने का एक प्रभाव यह भी हो सकता है कि उपभोग कुछ हद तक कम हो जाये ।

[श्रीमती सुषमासेन पीठासीन हुईं]

उपभोग कम होने के और भी कारण हैं । उदाहरणतः गुड़ और खांडसारी के मूल्य कम हैं यदि चीनी के मूल्य कम न हुए, तो चीनी का उपभोग उतना नहीं बढ़ सकता जितना कि गुड़ का है । पिछले दो वर्षों में चीनी के अधिक उपभोग का कारण यह था कि गुड़ के मूल्य बहुत अधिक थे । जब ये साधारण स्तर पर आ गये थे, तो चीनी के उपभोग का स्तर भी साधारण स्तर पर आ गया था । यदि चीनी का उत्पादन सीमित कर दिया जाये, तो परिणाम यह होगा कि गुड़ अधिक बनाया जायेगा और इससे गुड़ के मूल्य और भी गिर जायेंगे और हो सकता है कि यह १२ आने प्रति मन तक पहुंच जाये, जो कि बिल्कुल लाभप्रद नहीं है । मेरे विचार से इस समस्या का हल चीनी का उपभोग सीमित करना नहीं है बल्कि बढ़ाना है । उपभोग बढ़ाने से गन्ना उगाने वाले अपनी फसल कारखानों को बेच सकेंगे । मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस पहलू पर विचार करेंगे और उत्पादन शुल्क में कुछ कमी करेंगे । यह इतना नहीं होना चाहिये जिससे कि उपभोग पर प्रभाव पड़े, क्योंकि उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त और भी शुल्क हैं, जो कि राज्यों द्वारा लगाये जाते हैं ।

धारा २३क के बारे में वित्त विधेयक के और भी पहलू हो सकते हैं । अच्छा ही हुआ कि वित्त मंत्री ने इसे ५० प्रतिशत की बजाये ४० प्रतिशत कर दिया है । बम्बई श्रेष्ठि चत्वर (स्टाक एक्सचेंज) ने अपने ज्ञापन में २५ प्रतिशत को ही जारी रखने का सुझाव दिया है और उन्होंने इसके उचित कारण बताये हैं । मुझे कई कारखानों के बारे में पता है जो ४० प्रतिशत अंश नहीं बेच सके हैं । जब तक सरकार यह आश्वासन न दे कि शेष बचे हुए अंशों को वह स्वयं खरीद लेगी तब तक इस में बड़ी कठिनाई रहेगी । मुझे सन्देह है कि सरकारी संघ अपने ४० प्रतिशत अंश जनता में नहीं बेच सकेंगे ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि यदि अंशधारियों को ऋण दिया जाये तो उसे लाभांश समझा जाये । इसमें कोई आपत्ति नहीं परन्तु ३१.३.१९५५ तक का समय बहुत ही कम है । इसे बढ़ाना चाहिये ताकि जो लोग चाहें ऋण वापस कर सकें ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : एक औचित्य प्रश्न है । क्या वित्त मंत्री के खंड २५ में संशोधन के कारण शल्क बढ़ जायगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इसके साथ प्रमाण पत्र न होने पर भी क्या यह संशोधन नियमित है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसके पारित होन पूर्व से कोई प्रमाणपत्र मिल जाना चाहिये ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : पूर्व सूचना देते समय प्रमाण-पत्र साथ होना चाहिये ।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : संशोधन प्रस्तुत करने के समय प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जायेगा ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : मैं अन्य निराशावादी लोगों की भांति देश में चारों ओर उदासीनता और निरुत्साह ही नहीं देखता बल्कि अनुभव करता हूं कि पंचवर्षीय योजना के अधीन जो प्रगति हुई है उससे नव भारत के निर्माण के लिये नींव तैयार हो गई है और मुझे आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे ।

मैं वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कुछ निराशा-जनक बातों की ओर दिलाता हूं जिन का उल्लेख समाचार पत्रों में किया गया है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों में परिचालित की गई योजना केवल प्रारूप योजना है । विभिन्न विभागों और सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा विचार किये जाने के लिये रखे गये प्रारूप पर सभा का समय नष्ट करना व्यर्थ है ।

श्री जी० डी० सोमानी : मेरा अभिप्राय यह है कि यदि सरकार और योजना आयोग इस प्रकार कार्य कर रहे हैं तो योजना की कुछ महत्वपूर्ण निराशाजनक बातों को सरकार के ध्यान में लाना अत्यन्त आवश्यक है । वित्त विधेयक के अन्तर्गत किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है ।

योजना के लिये लगभग ५६०० करोड़ की राशि नियत की गई है परन्तु मेरा विचार है कि इससे हमारी आर्थिक स्थिति की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकतीं । यदि हमें ठीक प्रकार प्रगति करना है तो सरकार और योजना आयोग को विचार करके यह राशि बढ़ानी पड़ेगी । संघ ने जो योजना प्रस्तुत की है उसमें ७२०० करोड़ रुपये पूंजी लागत नियत की गई है । इसमें उद्योग विकास के लिये ४०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । जिसमें से २०० करोड़ रुपया कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये और २०० करोड़ रुपया संगठित उद्योगों के लिये है जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके लिये ६०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये । इससे हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी । इसे काफी बढ़ाना चाहिये । प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकारी उद्योगों के लिये ९४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसे अब १००० करोड़ रुपया कर दिया गया । इसीलिये गैर सरकारी उद्योगों के लिये रुपया बढ़ाने की बजाय कम करने का कारण मेरी समझ में नहीं आया । अब मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान वित्त विधेयक के कुछ उपबन्धों की ओर दिलाता हूं । मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि वित्त मंत्री ने अभ्या-वेदनों का परीक्षण कराया, वह कई प्रति-निधिमंडलों को मिले और उन्होंने विभिन्न उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कुछ रूपभेद तथा परिवर्तन किये हैं । उन्हें हम स्वीकार करते हैं । धारा २३क को पहले दिये गये ऋण पर लागू करने के बारे में पुनः विचार करना चाहिये । बहुत से प्रबन्धक अभिकर्ता समवायों के संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं और उद्योग विकास में पुनः पूंजी लगाने के लिये नहीं बचाते । वित्त विधेयक में पुरःस्थापित उपबन्धों से तो सरकार की नीति का विरोध ही होता है । जहां तक सरकारी समवायों का सम्बन्ध है

उन में जान बूझ कर अतिकर से बचने की कोई बात नहीं है । उन पर तो यही आरोप लगाया जाता है कि वे बहुत उदारता से लाभांश देते हैं और अपने संसाधनों का व्यर्थ व्यय करते हैं अतः उन्हें पूर्णतः विमुक्त किया जा सकता है ।

अन्त में मैं सूती कपड़े पर लगाये गये उत्पादन शुल्क के बारे में कुछ कहूंगा । वित्त मंत्री ने बहुत महीन कपड़े के लिये कुछ शुल्क कम कर दिया है जब कि महीन और हथकरघे के कपड़े पर शुल्क में तनिक वृद्धि कर दी है । इस सम्बन्ध में मुझे केवल यह कहना है कि उत्पादन शुल्क में प्रायः परिवर्तन करते रहने से कपड़े के विपणन में बहुत गड़बड़ हो जाती है और उसमें कुछ स्थायित्व होना चाहिये । कपड़े की पहले दो श्रेणियां थीं अब वे चार कर दी गई हैं । मेरा निवेदन है कि वस्त्रोद्योग के सम्बन्ध में श्रेणीकरण और शुल्कों में परिवर्तन बहुत अधिक किया जाता है इसे कुछ स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सबसे पहले मैं आनरेबुल फाइनेन्स मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सारे कंट्री की आवाज सुन कर बहुत सी चीजों के बारे में रिएडजस्टमेंट किया है और कई ऐसी चीजें की हैं कि जो छोटी छोटी दस्तकारियां थीं उनको तबाही से बचा लिया है । खास तौर पर मैं पेन्ट्स और वार्निशेज के बारे में अर्ज करना चाहता हूं और जिस के सम्बन्ध में मैंने आज ही हाउस में एक अमेंडमेंट दिया था और जिसको आनरेबुल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अमलन मंजूर किया है । मुझे जरा सा वूलन्स कपड़े के बारे में अर्ज करना है जिसमें पांच पावर लूम्स के बारे में एगजम्पशन दिया गया है । मैंने एक अमेंडमेंट दिया था कि जहां पर २४ पावर लूम्स हैं वहां पर एगजम्पशन देना चाहिये क्योंकि आर्टिफिशियल सिल्क एंड रेयन्स में पहले जो इस तरह का एगजम्पशन दिया गया है, उसमें २५ लूम्स का जिक्र था । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि अगर २४ लूम्स ज्यादा हैं तो यह ५ लूम्स बहुत कम हैं और इस वास्ते मैं चाहता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इसको जितना मुनासिब समझें उतना कर दें, लेकिन ५ लूम्स तो बहुत कम हैं । इसको छोड़ कर और अब इस की सारी बाकी बातों को, रुपये, पैसे, कारखाने और दूसरी सब चीजों का जिक्र छोड़ कर, मैं फाइनेन्स बिल के मौके पर इस फाइनेन्स के झगड़े से निकल कर आनरेबुल फाइनेन्स मिनिस्टर से चन्द और बातें अर्ज करना चाहता हूं ।

अव्वल तो इस जिम्न में मैं जो अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि हमारी गवर्नमेंट को एक अर्सा हुआ वायदा फरमाये कि एक ला कमिशन मुकर्रर किया जायगा लेकिन अभी तक वह ला कमिशन मुकर्रर नहीं हुआ है और मुझको डर यह है कि जब तक आप ला कमिशन मुकर्रर नहीं करेंगे, रोज़ रोज हाउस के अन्दर और कंट्री के अन्दर ऐसी बातें होती जा रही हैं और जिसकी कि वजह से लोगों में बेचैनी पैदा होती जाती है ।

अभी तक हम को १२४(ए) और १५३ (ए) की सही तारीफ मालूम नहीं है । पहले इन सब चीजों को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि यह गलत है मास्टर तारा सिंह के केस में । उसके बाद हम एमेन्डिंग बिल लाये और उसको रेस्टोर कर दिया कि वह चीजें दुरुस्त हैं जब तक फिर सुप्रीम कोर्ट, हमने जो ऐमेन्डमेंट किया है उस की लाइट में न देखे । इसके माने यह हैं कि जहां तक आज पीनल ला का सवाल है, हमें पता नहीं कि हम कहां ठहरे हुए हैं । मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं और आज फिर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अर्ज करता हूं कि सारे लाज का एडेप्टेशन होना चाहिये था । मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल चीज़ है लेकिन जब आप ने यह मौका लिया है और ला कमीशन मुकर्रर कर रहे हैं और एविडेन्स एक्ट और ला ऑफ क्राइम्स को उनके सुपुर्द कर रहे हैं तब मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि राज्य सभा में बहुत वक्त जाब्ता फौजदारी पर जाया करने की जरूरत नहीं है । इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, जो कि आज न तीतर है और न बटेर है, आप ठीक कीजिये । उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है । पुराना क्रिमिलन प्रोसीजर कोड जो था वह एक वन होल था । जब उस में तब्दीली करते हैं और नई बात आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है । आप उसको जो ला कमिशन बन रहा है उस के सुपुर्द कर दीजिये ।

इसी तरह से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज सुबह आपने स्पीच सुनी थी जिसके अन्दर गवर्नमेंट की तरफ से अब यह कोशिश हो रही है कि बर्डेन आफ प्रूफ एक्यूज्ड पर डाला जाय । इसी तरह की बहुत सी बातें करने की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन जब आप ला कमीशन बनाने जा रहे हैं तब उनके सुपुर्द यह काम कीजिये कि हमारी सोशलिस्ट पैटर्न की स्टेट के वास्ते जिस तरह के कानूनों की जरूरत हो, उसके मुताबिक हमारे कानूनों को ठीक कर दें । इसलिये जहां तक ला कमीशन के बनाने के बारे में अमल करने का सवाल है उसे आप जल्दी से जल्दी कर दें ताकि अपने कानूनों को ठीक करन में हम उनकी मदद ले सकें ।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह जेल कमीशन के बारे में है । ३० वर्ष से ज्यादा हो गये जब कि एक इंडियन सेन्ट्रल जेल्स एन्क्वायरी कमेटी बैठी थी और उसने हमारे देश के अन्दर बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की थीं । उसके बाद हर एक प्राविन्स में जेल एन्क्वायरी कमेटी बैठी और वह इस मामले में गई कि जेलों की हालत को कैसे दुरुस्त किया जाये । आज दुनिया के अन्दर जो क्रिमिनालोजी है, डिटेक्शन का जो तरीका है और जो जेल्स रूल्स हैं वह इसलिये हैं कि मौजूदा थ्योरी के अनसार जुर्म करने वाले जुर्म करने की बीमारी से ऐसा करने पर मजबूर होता है, उसका इलाज करना है, और उसे किस तरह से किया जाय । आज यह साइंस बहुत आगे बढ़ गई है । थोड़ा अर्सा हुआ जब मैं पंजाब जेल एन्क्वायरी कमेटी का चेअरमैन था तब मुझे जेलों के मामले में जो कि एक बहुत दकीक मामला था, जाना पड़ा था । मैं यह देख कर हैरान हो गया कि जहां हमारी सरकारें लाखों रुपये जेलों पर खर्च करती हैं, वहां जेल के प्रिजनर्स से जो आमदनी होती है वह इतनी नामाकुल होती है कि जिसकी कोई इन्तिहा नहीं । पंजाब गवर्नमेंट जेलों पर ४० लाख रुपये के करीब खर्च करती है जब कि जल के एक कैदी से कुल आमदनी ४ रुपये २ १/२ आ० होती रही है । इसी तरह मैं ने देखा कि पुलिस में हफ्ता मनाया जाता है जिसके अन्दर लोगों को जबर्दस्ती पकड़ लिया जाता है । वह लोग वहां पर मुफ्त की रोटी खाते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं । इसी तरह जो अन्डर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं उनसे भी काम नहीं लिया जाता है । उनसे काम न लेना जायज नहीं है । मैं जानता हूं कि हर रोज मिनिस्टर साहबान डिगनिटी आफ लेबर की बात करते हुए कहते हैं कि काम करने की आदत डालो, लेकिन जितने अन्डर ट्रायल्स और सिम्पल इम्प्रिजन्मेंट वाले लोग होते हैं उन पर कोई लायबिलिटी नहीं होती है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की और बहुत सी प्राब्लेम्स जेल के मुताल्लिक

देश में मौजूद हैं। और वक्त आ गया है कि फौरन एक जेल कमीशन मुकर्रर किया जाय, आल इंडिया जेल कमीशन, ताकि उससे हम जो वाजिब व मुनासिब हो वह करा सक ।

इसी तरह पुलिस कमीशन के बनने का भी वक्त आ गया है। एक वेल्फयर स्टेट में अगर लोग पुलिस वालों से डरें तो यह कोई अच्छी चीज नहीं है, या उन पर भरोसा न करें, यह भी एक बहुत बुरी चीज है। पुलिस वाले डाकुओं को जिन्दा पकड़ कर मुकदमे न चलाय बल्कि 'इन्डस्क्रिमिनेटली' मार दें तो यह अच्छी बात नहीं है। अब सख्त जरूरत है कि पुलिस, के थर्ड डिगरी मेथटड्स खत्म हों, डिटेक्शन की कार्यवाही अच्छी हो और पुलिस वाले जो माल एडजेस्टमेंट हैं। उन पर पूरी खबरदारी रखें। इसलिये अब बहुत अर्सा हो गया है, हमको आजादी मिले सात वर्ष हो गये हैं, अब वक्त आ गया है कि हम पूरी पूरी कोशिश करें कि पुलिस के अन्दर सारे मामले ठीक हों ।

मैं पिछले कई सालों से आपकी खिदमत में फैमीन कोड के बारे में कहता आया हूं। इसलिये बहुत ज्यादा इस बारे में अर्ज नहीं करूंगा। किसी कदर गवर्नमेंट ने फैमीन कोड में दुरुस्ती की है, अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट रुपया देना चाहती है तो उसका किसी कदर ठीक इस्तेमाल होता है । जो पुराने टेस्ट वर्क्स होते थे जो कि फमीन रिलीफ के लिये चलाये जाते थे, उनमें मैंन देखा है कि लोग दस दस मील जाते थे और उन को ६ पैसे मजदूरी मिलती थी। आज देश के किसी न किसी कोने में फैमीन पड़ा ही रहता है, फैमीन के वक्त लोगों की जो हालत होती है वह बहुत नागुफ्ताबेह है। मैं चाहता हूं कि जो पुराना फैमीन कोड है उसको उठा कर फेंक दिया जाय और नया फैमीन कोड हमारे मुल्क के लिये मुरत्तब किया जाय। मैं दो तीन सालों से हमेशा फाइनन्स बिल के मौके पर यह अर्ज करता चला आ रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक तवज्जहनहीं की ।

इसके अलावा मैं आज एक नई चीज अर्ज करना चाहता हूं। मेरे लिये तो खैर, वह नई नहीं है, बहुत पुरानी चीज है, लेकिन सरकार की खिदमत में नये तौर पर अज करना चाहता हूं यहां रोज हाउस में गाय पर झगड़ा चलता रहता है, कान्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्ज की कोई परवाह नहीं की जाती और गुस्से व जोश में आ कर रोज झगड़ा चलता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दफा ४८ के खिलाफ रोज कह जाते हैं जिस पर देश को वाजिब एतराज है। आर्टिकल ४८ की रू से गोबध का विरोध सरकार का फर्ज है चाहे वह सेन्ट्रल हो या प्रान्त की । लेकिन हम क्या देखते हैं कि गाय की बात कही नहीं कि पालिटिक्स की बात बन जाती है। मैं इस झगड़े में आज नहीं जाना चाहता हूं, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कैटल वैल्थ की तरफ तवज्जह दीजिये। इस मामले में दो राय नहीं हो सकतीं और किसी का नुक्ता निगाह इसमें फर्क नहीं करता। गवर्नमट भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं। गवर्नमेंट इस पर लाखों रुपये खर्च करती है कि हमारी कैट्ल वल्थ इम्प्रूव हो ।

एक गाय जो आज दो, चार सेर दूध देती है वह आइन्दा १५, २० सेर दूध देने लग जाय, इसमें मझमें और गवर्नमेंट में कोई एख्तलाफ नहीं है। मैं पिछली दफा पंडित जी की स्पीच सुन कर हैरान हो गया। वह बहुत दुखी थे कि बल पहले जो बोझ खींचते थें वह आज नहीं खींच पाते हैं। यह खाली पंडित जी की ही राय नहीं है, स्टेटिस्क्टिस हमें बतलाते ह कि गायों और बैलों म "डिटेरिआरेशन आ गया है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हू कि यह किसी भी नेशनल डिजास्टर से कम नहीं है अगर हमारे जानवरों और इन्सानों में "डिटेरिआरेशन आ जाय । इसकी तरफ बहुत कम तवज्जह दी जाती है । मुझे बड़ा दुःख होता है जब मैं देखता हूं कि गायों के बध के सवाल को छोड़ कर जिन्दा गायों की तरफ पूरी तवज्जह नहीं दी जाती है । गायों के खराब बच्चे पैदा होने बन्द हो जायें, इस लिये अच्छे से अच्छा सांड बनें, इसकी तरफ भी सरकार की कोई तवज्जह नहीं होती है । पिछली दफा १ करोड़ रुपये सरकार ने दिये थे गोसदनों के वास्ते और तीन करोड़ रुपये प्लैनिंग कमीशन ने गायों और बैलों की नस्ल अच्छी करने के वास्ते दिये थ, दो एक अच्छी अच्छी स्कीमें भी बनी थीं, जैसे आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन वगैरह की, इनको मैं जानता हूं । मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी वैल्थ कम करूं या उसको सराहूं नहीं । लेकिन मैं जानता हूं कि जो कुछ प्लैनिंग कमीशन ने चाहा था, यह हाउस चाहता है, उतना नहीं हुआ । यहां पर प्लैनिंग की रिपोर्ट पर बहस हुई थी, उस पर, मुझे याद है कि हाउस न एक नोट आफ सेन्सर रखा और मेरी दरख्वास्त पर एक राइडर एड कर दिया कि इस पर आइन्दा ज्यादा तवज्जह दी जाये । स्टेट्स के अन्दर जो लोग काम करते हैं उनमें मालूम नहीं क्या झगड़े रहते हैं। स्टेट्स वाले तो मिनिस्ट्री के झगड़े में और दूसरे झगड़ों में उलझे रहते हैं । नेशन के वैलफेअर की तरफ उनकी तवज्जह नहीं है । अगर आप सही तरीके पर काम करना चाहते हैं तो आप एक मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर अथवा मिनिस्टर खास तौर पर मवेशियों के वास्ते रखिये, उनके लिये अलग मिनिस्ट्री कायम कीजिय । अगर आज किसी अलहादा मिनिस्ट्री की जरूरत है तो वह इस काम के लिये है । जैसा आपका आई० सी० ए० आर० है उसी तरह से आप आई० वी० ए० आर० कायम कीजिये । यह तजवीज मेरी नई नहीं है । कुछ अर्सा हुआ आनरेबुल श्री मुंशी साहब ने अपनी एक स्पीच म फरमाया । कि जैसे आई० सी० ए० आर० हैं, उसी तरह से जानवर के लिये कोई आर्गेनाइजेशन होना चाहिये । किदवई साहब ने उसको दोहराया गोसदन कौंसिल के मौके पर और अब श्री जैन ने भी उसकी ताईद की है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला तय नहीं होगा जब तक आप इसके लिये एक अलहदा मिनिस्ट्री कायम नहीं करेंग जो सारे देश के अन्दर इसकी तरफ खास तवज्जह दे । यह नेशनल वैलफेअर की बात है, यह मेरे जैसे आजिज़ आदमी की आवाज है जिस ने एकानामिक बेसिस पर दफा ४८ कांस्टीट्यूट असेम्बली से मंजूर करवाई थी, यह कह कर कि मैं किषी मजहब के बेसिस पर नहीं चाहता बल्कि एकानामिक्स के बेसिस पर इसको चाहता हूं । अगर आप जानवरों की तरफ तवज्जह नहीं देंगे तो आपकी सारी स्कीम धरी रह जायगी । जो जानवर आपको २३०० करोड़ रुपये सालाना आमदनी देते हैं, उनकी तरफ आप देखिये कि आप क्या खर्च करते हैं तो आप हैरान रह जायेंगे । मैं मामूली तौर पर नहीं, बड़ जोर से कहता कि मेहरबानी कर के इस बात की तरफ तवज्जह दीजिये और ऐसी एक नई मिनिस्ट्री यहां पर कायम कीजिये जो खास तौर से इसी तरफ तवज्जह दे और सारे हिन्दुस्तान के अन्दर मवेशियों की भलाई का इन्तजाम सर अंजाम दे ।

मैं आपकी तवज्जह एक और मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस देश के अन्दर बहुत सी सोशल खराबियां हैं, इस देश के अन्दर कई एक ऐसी "टेन्डेन्सीज" और ट्रन्ड्स हैं

अगर आप उनको दूर न ीं किया तो मझे डर है कि हम ने जो आजादी हासिल की है कहीं वह ऐसी खतरनाक बातों से न ो जाये । इस वास्ते में आप की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि मैं तकरीबन पांच साल से आप की खिदमत में शोशल रिफार्म के बारे में कहता आ रहा हूं कि एक सोशल वलफेअर की मिनिस्ट्री कायम की जाय। आप सुन कर हैरान होंगे कि आज के दिन भी, सन् १९५५ में लाखों शादियों इस देश में छोटी उम्र की होती हैं। आप शायद यकीन न करें क्योंकि आप को रूरल एरियाज का तजुर्बा नहीं है लेकिन मेरे कितने ही दोस्त जो यहां बैठे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी ताईद करेंगे कि लाखों शादियां आज भी इस किस्म की होती हैं ।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरी दक्षिण) : बुढ़ापे की भी होती हैं ।

[illegible] व : बुढ़ापे की भी होती हैं लेकिन बहुत थोड़ी होती हैं । मैं तो यह भी चाहता हूं कि यह शादियां भी नहीं होनी चाहियें । मैं अपने दोस्त से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसी शादियों को भी रोकना चाहिये ।

इसके अलावा और कितने ही सोशल रिफार्मस के काम आज पड़े हुए हैं। अछूतों और गैर अछूतों का झगड़ा कायम है । इस के बारे में स्टेटस के अन्दर कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है । इसी तरह के कितने ही और झगड़े हैं जो कि तय होने को पड़े हुए हैं । मैं आपका ध्यान एक और तरफ जो कि इस के "इंटरलिंक्ड" ही हैं ले जाना चाहता हूं । इस देश के अन्दर एक वक्त [illegible] जब हिन्दुस्तान आल इंडिया लीड[illegible] [illegible]दा करता था । महाराज तिलक, गोखले, महात्मा गां ीं, श्री सी० आर० दास, लाला लाजपत राय, श्री श्रीनिवास आयंगर जैसे कितने ही लीडर हिन्दुस्तान ने पैदा किये । इस तरह के कितने ही नाम मैं बता सकता हूं जिनको सारे हिन्दुस्तान के शहर और गांव वाले जानते थे । क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई है इसलिये आल इंडिया लीडर्स बनने भी खत्म हो चुके हैं । अब जो लीडर हैं उनमें से चन्द एक को छोड़ कर बाकियों के नाम बहुत कम लोगों को मालम हैं । पंडित नेहरू को छोड़ कर पंडित पंत को छोड़ कर—मुझे तो शक है कि बंगाल में ोई मुजायरा पंडित पंत को जानता भी है या उनके नाम से वा —हमें कोई आल इंडिया लीडर नजर नहीं आते । आज जब मैं आसाम और बंगाल की तरफ नजर ड़ाता हूं तो यह देख कर मुझे बहुत दुःख होता है कि आसामी लोग ी ोगों पर हमला करें और उन को वहां से कूच बिहार या किसी और दूसरी जग भगायें । यह एक ऐसा मामला है जिस कि देख कर हमारी नजरें शर्म से झुक जाती हैं । अगर यह बात वहां पर न हुई होती हाउस को जान कर मझे बेहद खुशी होगी । लेकिन मैं आसाम गया और मैंने खुद वहां देखा कि कसा सलूक बाहर वालों के साथ किया जाता है । जो सलूक वहाँ पर रिफ्यूजीज के साथ किया गया उसको मैं अभी तक भूला नहीं हूं । यहां से हमारी सरकार ने एक लाख रूपया रिफ्यूजीज में बांटने के लिए भेजा लेकिन आसाम गवर्नमेंट ने एक रुपया भी उनको नहीं दिया । जब जमीन का सवाल आया तो वह भी बगैर कीमत इन लोगों को नहीं दी गई । मुझे सिर्फ आसाम और बंगाल से ही शिकायत नहीं है । आज पंजाब में ही जा कर देखलीजिये जो कुछ रिआरगेंनाईजेशन स्कीम के बारे में सिखों और हिन्दुओं के बीच अमृतसर में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हो रहा है । आज किसी भी इलाके में जा कर देखिये यही हालत है । तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो आजादी हमें कई सौ बर्सों के बाद हासिल हुई है वह जो यह छोटे छोटे प्राविंशल झगड़े हैं मुझे तो डर लगता है कि उनके कारण कहीं वह चली न जाये । आज मुझे कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आता जिस को कि मैं आल इंडिया लीडर कह सकूं । आज हम गुडविल मिशंस पर रूस जाते हैं, चीन जाते हैं और ऐसे और कई मुल्कों में जाते हैं मगर क्या आपने इसी तरह के कोई मिशंस बिहार या आंध्र या बंगाल जाते देखे हैं ? इस हाउस के अन्दर लीग तीन तीन जबानें जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं और अपने प्राविन्स की भाषा जानते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा मेम्बर है जो कि तीन प्राविन्सों की ज़बाने बोल सकता है ? आज मुझ में यह ताकत नहीं है कि मैं आन्ध्र में जा कर उन लोगों को यह कह सकूं कि मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारी जबान में संदेश देने आया हूं । तो इस लिये आज जो चीजें हमें करनी चाहियें और हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहियें वह है प्राविंशल इंटेग्रेशन । यह प्राविंशल इंटेग्रेशन इतनी जबर्दस्त होनी चाहिये कि जिसके अन्दर हम यह महसूस करें कि हम सब एक मुल्क के बाशिंदे हैं कल को खुदा न करे हमारे जो दो चार पुराने लीडर हैं वे भी चल बसें तो मुझे तो ऐसा कोई लीडर नजर नहीं आता जो कि सारे हिन्दुस्तान को युनाइटेड रख सके । आर्मी को जाने दीजिये । उसमें तो सारा इंडिडया रिप्रिजेंटेड है । लेकिन सिविल के बारे में मुझे यह देख कर बहुत दुःख होता है कि कोई भी प्राविंसेज के अन्दर जा कर प्रोविंशल इंटेग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहता । इलैक्शन के अन्दर कुछ लोग दूसरे प्रोविंसेज के अन्दर चले गये यह काफी नहीं है । लोगों को कुछ ऐसे नेशनल लीडर्स की जरूरत है जो कि मुसीबत के अन्दर सारे हिन्दुस्तान को एक रख सकें । ऐसे कोई लीडर आज मेरी नजर में तो नहीं हैं । इस वास्ते मेरी आप से दर्ख्वास्त है कि अगर कुछ ऐसी तजवीजें सोची जायें जिसके प्रोविंशल इंटेग्रेशन हों, कुछ आदमी एक प्राविंस से दूसरे प्राविंस में जायें, वहां जा कर रहें, वहां के हालात को देखें, उनके साथ भाई चारा कायम करें तो इससे बहुत फायदा हो सकता है । मैं यह भी चाहता हूं कि पार्लमेंट के मेम्बर जब अपनी अपनी कंस्टिट्युएंसी का जिक्र करें अपने अपने प्राविंस का ज़िक्र करें उस वक्त उन प्राविंसेज़ का भी जरूर ज़िक्र करें जो हमारी हमदर्दी के मुस्तहक हैं । उनके वास्ते भी उनको उतनी ही फोर्स के साथ बोलना चाहिये जतनी फोर्स से कि वे अपनी कांस्टीट्यूएंसी के लिये या अपने प्राविंस के लिये बोलते हैं।

सभापति महोदय : श्री यू० एम० त्रिवेदी के औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं सभा को सूचित कर दूं कि यह सूचना प्राप्त हो गई है कि वित्त मंत्रालय ने जिन संशोधनों की सूचना दी है उन्हें प्रस्तुत करने एवं उन पर विचार करने के लिये राष्ट्रपति ने सिफारिश कर दी है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आपकी इजाजत से जो कुछ मैंने अर्ज किया है उस को एक मिनट में दोहरा देना चाहता हूं । सबसे पहली बात जो मैंने अर्ज की वह यह थी कि जैसा कि वायदा किया गया है कि एक ला कमीशन मुकर्रर किया जायगा, उसको जल्दी से जल्दी मुकर्रर किया जाय ताकि देश के अन्दर शान्ति हो । जैसे कि आप बहुत ज्यादा रुपया तरक्की के कामों में खर्च कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि इसके

बनाने से जो फायदा होगा वह ऐसा नहीं होगा जिस से कि बाद में आपको पछताना पड़े। ला एंड आर्डर को टाप प्रायोरिटी दी जानी चाहिये और इसी वास्ते मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक ला कमीशन जल्दी से जल्दी मुकर्रर कर दिया जाय।

दूसरी बात जो मैंने अर्ज की वह एक नई बात थी और मैंने चाहा था कि एक जेल कमीशन मुकर्रर किया जाये।

तीसरी चीज जो मैंने अर्ज की वह एक पुलिस कमिशन मुकर्रर किये जाने के बारे में थी।

चौथी बात जो मैंने कही वह फैमिन कोड में तबदीली के बारे में थी।

इन बातों के अलावा मैंने यह भी अर्ज किया कि एक डिप्टी मिनिस्टर या स्टेप मिनिस्टर अथवा मिनिस्टर कैटल वैलफेअर के वास्ते आप अलहदा मुकर्रर करें। अगर आप चाहें तो आप इस डिप्टी मिनिस्टर को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अन्डर ही रख सकते हैं लेकिन एक मिनिस्टर या स्टेप या डिप्टी मिनिस्टर इस काम के लिये अलहदा हो जो कि कैटल वैलफेअर को छोड़कर और किसी काम की तरफ तवज्जह न दे।

मैंने यह भी मांग की है कि एक सोशल रिफार्म्स मिनिस्ट्री या सोशल वैलफेअर मिनिस्ट्री बनाई जाये। मेरी यह मांग बहुत देर से चलती आ रही है। इस वक्त शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। १० साल के लिये इनको जो रिजर्वेशन दिया गया है उसमें छः साल तो खत्म हो गये हैं लेकिन अभी तक उनकी हालत को सुधारने के लिये हम कोई ठोस कदम नहीं उठा सके हैं। हमारा यह फर्ज है कि हम उनको इन १० सालों में उसी पैमाने पर ले आयें जिस पैमाने पर लाने का हमने वायदा किया है। अब जो चार पांच साल रह गये हैं हमें कोशिश करनी चाहिये कि हम जितनी तरक्की मुमकिन हो कर डालें। इसलिये मैंने पहले भी अर्ज किया था और अब मैं फिर दोहराता हूं कि इन अगले चार सालों में जितनी भी नौकरियां हों और जिनके लिये कि ये लोग फिट समझे जायें इनको दे दी जायें और एक भी ऐसी नौकरी अपर क्लासिस को न दी जाये। इसके साथ ही साथ जितनी भी जमीनें सरकार के पास हैं और जो तोड़ी जा चुकी हैं वे भी इन लोगों को दे दी जायें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो रियायतें इनको अब मिली हुई हैं वे और वक्त के लिये बढ़ानी पड़ेगी और आप यह भी नहीं कह सकेंगे कि जो कुछ आप इन के लिये कर सकते थे आप ने किया है।

आखिर में मैंने अर्ज किया कि जहां तक हो सके प्रोविंशल इंटेग्रेशन के बारे में गौर किया जाना चाहिये। मैं देखता हूं कि बोर्डर एरियाज की तरफ न तो लोकल गवर्नमेंट ध्यान देती है और न ही पूरी एहतियात यहां से होती है। मैं आसाम में गया और यह चीज वहां देखी। पंजाब को तो मैं जानता ही हूं और वहां पर भी यही हालत है। आपने देखा कि पिछले दिनों यहां पर आप के २० मिनिस्टरों के होते हुए उस वक्त बीस ही मिनिस्टर थे, और ५ लाख आदमी पाकिस्तान से आसाम के अन्दर दाखिल हो गये। उस के लिये हमने ला बनाया, वह ला अभी तक कायम है। लेकिन वह मुसलमान यहीं मौजूद हैं जिनको निकालने का सवाल था। इसी तरह से बौर्डर पर पूरी तवज्जह नहीं हो रही है। अगर आपका एक ऐसा मिनिस्टर होगा जो प्राविंशियल इंटेग्रेशन को करेगा और इन सब चीजों को देखेगा तो मुझे उम्मीद है कि लोगों में ताकत आ जायेगी और वे हिन्दुस्तान के वफादार सिपाही बन जायेंगे और खुद अपना इंतजाम कर लेंगे। इससे लोगों में जान आ जायेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—81 LSD—2-1-56—240